तृतीय माला, खंड 51, अंक 11 मंगलवार, 1 मार्च, 1966/10 फाल्गुन, 1887 (शक)

Third Series, Vol. LI, No. 11 Tuesday, March 1, 1966/Phalguna 10, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. LI contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11 मंगलवार, 1 मार्च, 1966/10 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 11—*Tuesday, March* 1, 1966/*Phalguna* 10, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
267	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विमान बेड़ा	I.A.C. Fleet . .	3825–27
268	पाकिस्तान को नौवहन सेवा	Shipping Service to Pakistan .	3827–29
269	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Unit in Co-operative Sector	3829–30
270	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार	Delhi State Central Co-operative Store	3830–33
272	दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi . . .	3833–35
273	दिल्ली में राशन की दुकानें	Ration Shops in Delhi . .	3835–37
274	खाद्यान्नों के लक्ष्य पूरे करने के लिये फसल योजना	Crop Plan to achieve Targets of Foodgrains	3837–39

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता. प्र. सं. *S. Q. Nos.			
271	गंटूर के विपणन अधिकारियों (मार्केटिंग अफसरों) के विरुद्ध आरोप	Charges against Marketing Officers of Guntur . . .	3840
275	पत्तनों की माल को उतारने-चढ़ाने की क्षमता	Capacity of Ports to handle Cargo	3840
276	सहकारी संस्थाएं	Co-operative Societies. . .	3840
277	कृन्तक प्राणियों द्वारा अनाज का नष्ट किया जाना	Foodgrains destroyed by Rodents	3840–42
278	कृषि सम्बन्धी सहकारी ऋण	Agricultural Co-operative Credit	3842–43
279	चीनी कारखानों का पुर्नस्थापन तथा आधुनिकीकरण	Rehabilitation and modernisation of Sugar Factories . . .	3843
280	खाद्य आय-व्ययक	Food Budget	3844
281	कनाडा और आस्ट्रेलिया से खाद्यान्न	Foodgrains from Canada and Australia	3844
282	उपभोक्ता सहकारी भंडार	Consumer Co-operative Stores .	3845
283	कच्चे काजू का उत्पादन	Production of Raw Cashew-nuts .	3845
284	हल्दिया बन्दरगाह	Haldia Port	3846

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
285	कृषि मूल्य आयोग के प्रधान द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Chairman, Agricultural Prices Commission .	3846
286	बिहार में गन्ने उत्पादकों की हड़ताल	Strike by Sugar-Cane Growers in Bihar	3846–47
287	बी० एम० टी० कमौडिटी कम्पनी, न्यूयार्क	B. M. T. Commodity Company, New York	3847
288	इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्ज़ लिमिटेड, सीरामपुर	India Belting and Cotton Mills Ltd., Serampore . . .	3847
289	विश्व बैंक से सहायता	Aid from World Bank . .	3847–48
290	खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers on Food Situation . . .	3848–49
291	हल्दिया बन्दरगाह	Haldia Port . . .	3849–50
292	दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi . . .	3850
293	बेकार पड़ी भूमि पर खेती	Cultivation of Waste Lands .	3350
294	खाद्यान्न का मूल्य	Prices of Foodgrains . . .	3851
295	चुनाव याचिकायें	Election Petitions . . .	3851–52
296	मलेशिया तथा सिंगापुर में उपलब्ध पत्तन सुविधाओं का अध्ययन	Study of Port Facilities in Malaysia and Singapore . . .	3852

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.			
1226	मोटरगाड़ी अधिनियम	Motor Vehicles Act . . .	3853
1227	त्रिचूर में बर्बाद हुई धान की फसल	Paddy Crop destroyed in Trichur	3853
1228	केरल में मछली पकड़ना	Fish Yield in Kerala . . .	3853–54
1229	केन्द्रीय सड़क निर्माण संगठन	Central Organisation for Construction of Roads . .	3854
1230	लन्दन के अनाज की ढुलाई सम्बन्धी विशेषज्ञ	Grain Transporting Expert from London	3854
1231	सूखा क्षेत्रों के लिये अमरीका से सहायता	Aid from U. S. A. for Drought-affected Areas . . .	3855
1232	मछली, झींगा मछली और समुद्री केकड़े	Fish, Prawns and Shrimps . .	3855
1233	पशुओं के लिये चारा	Cattle Fodder	3855–56
1234	भूमि परीक्षण यंत्र	Soil Testing Sets . . .	3856
1235	ग्रामदान आन्दोलन	Gramdan Movement . .	3856–57
1236	आदर्श राज्य फार्म	Model State Farms . . .	3857
1237	खाद्यान्न का उत्पादन तथा खपत	Production and Consumption of Foodgrains . . .	3858
1238	एक समय भोजन न करना आन्दोलन	"Miss-a-Meal" Campaign . .	3858
1239	बम्बई-कन्याकुमारी सड़क पर पुल	Bridge on Bombay-Cape Comorin Road	3858

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1240	तनूर और पराप्पननजडी के बीच पुल	Bridge between Tanur and Parappananjadi	3859
1241	हरी पत्तियों से प्रोटीन	Protein from Green Leaves	3859
1242	किसान दिवस	Kisan Diwas	3859–60
1243	किसानों के लिए ऋण सुविधायें	Credit Facilities for Farmers	3860
1244	रेडियो टेलिस्कोप	Radio Telescope	3860–61
1246	भारत में लकड़ी की कीमत	Cost of Wood in India	3861
1247	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन	British India Corporation	3861–62
1248	माल्दा से आसाम तक राष्ट्रीय राजपथ	National Highway from Malda to Assam	3862
1249	बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Barren Land	3863
1250	आलू के बीज	Potato Seeds	3863
1251	केरल में मछली पकड़ने वाली नावों का निर्माण	Construction of Fishing Boats in Kerala	3864
1252	अमरीका से खाद्यान्न	Foodgrains from U. S. A.	3864
1253	गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग	Cowdung used as fuel	3864
1254	खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Movement of Foodgrains	3865
1255	दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi	3865
1256	हवाई अड्डों पर पुस्तकों के स्टाल	Book Stalls at Airports	3865–66
1257	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उचित मूल्य की दुकानें	Fair Price Shops in U. P. and Bihar	38 66
1258	"पैकेज" योजनाओं में सम्मिलित क्षेत्र	Areas covered by Package Schemes	3866–68
1259	ऊसर भूमि में खेती किया जाना	Cultivation of waste lands	3868
1260	पश्चिम बंगाल को उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilisers to West Bengal	3868–69
1261	भारत का बीज निगम	Seed Corporation of India	3869
1262	अनाज से भिन्न खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी	Exhibition of Non-Cereal Foods	3869–70
1263	राशन में बाजरा और मका का दिया जाना	Supply of Bajra, Maize in ration	387 0
1264	कृषि उपकरण	Agricultural Implements	3870–71
1265	अनाज रहित भोजन को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Non-cereal dishes	3871–72
1266	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for I. A. C. Employees	3872
1267	रामेश्वरम् और तलैमन्नार के बीच नौका व्यवस्था	Ferry Service Between Rameswaram and Talaimannar	3873
1268	केरल में कृषि फसलों के लिये धातु-मूल (बेसिक स्लेग)	Basic Slag for Agircultural Corps in Kerala	3873–74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1269	विद्यार्थियों द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन	Food Production by Students	3874
1270	मंगलौर बन्दरगाह	Mangalore Port	3874–75
1271	कृषि उत्पादन	Agricultural Production	3875
1272	कृषि उत्पादन	Agricultural Production	387
1273	आम चुनाव	General Elections	3875–76
1274	ग्रामीण जनता को ऋण	Credit to Rural Population	3876
1275	राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilisers to States	3876–77
1276	खाद्यान्नों के एक स्थान से दुसरे स्थान को भेजने तथा उन के गोदामों में रखे जाने से क्षति	Transit and Storage Losses of Foodgrains	3877–78
1277	नलकूपों का लगाया जाना	Drilling of Tube-wells	3878
1278	देश में मछलियों की उपलब्धता	Availability of Fish in India	3878–79
1279	पंजाब में डेरी फाम	Dairy Farms in Punjab	3879
1280	केरल में सड़कों के लिये बृहद् योजना	Master Plan for Roads in Kerala	3879–80
1281	बम्बई में रोक लिये गये इटली के जहाजों के सम्बन्ध में हर्जाने की राशि	Damages for Italian Ship stranded in Bombay	3880–81
1282	खाद्यान्नों के आयात पर भाड़ा	Freight for Import of Foodgrains	3881
1283	देहातों में व्यापारी बैंक	Commercial Banking in Rural Areas	3881
1284	इटली के भारवाही जहाज़ "एम० वी० अडेगी" से जब्त किया गया माल	Cargo sized from Italian Freighter "M. V. Adegi"	3882
1285	उड़ीसा में 'अधिक अन्न उपजाओं' अभियान	"Grow More Food" Campaign in Orissa	3882
1286	उड़ीसा को गेहूं तथा चीनी का सम्भरण	Supply of Wheat and Sugar to Orissa	3882–83
1287	राजस्थान में बागबानी का विकास	Development of Horticulture in Rajasthan	3883
1288	राजस्थान को दिये गये उर्वरक	Fertilisers supplied to Rajasthan	3883–84
1289	राजस्थान में चीनी की आवश्यकता	Sugar Requirement in Rajasthan	3884
1290	राजस्थान में बीज फार्म	Seed Farms in Rajasthan	3884
1291	केरल में चूहों को मारने का आन्दोलन	Anti-Rat Campaign in Kerala	3885
1292	शिवालिक सड़क	Shivalik Road	3885
1293	परती भूमि का सर्वेक्षण	Survey of Fallow Lands	3886
1294	पत्तन विकास कार्यक्रम	Port Development Programme	3886
1295	पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल का मूल्य	Price of Rice in West Bengal and Orissa	3887
1296	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in Delhi	3887

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1297	दिल्ली-गोरखपुर विमान सेवा	Delhi-Gorakhpur Air Service	3888
1298	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	3888
1299	आंध्र प्रदेश में धान की खेती	Cultivation of Paddy in Andhra Pradesh	3888–89
1300	अखिल भारतीय वन आयोग	All India Forest Commission	3889–90
1301	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	3890
1302	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains under P. L. 480	3890–91
1303	चावल का आयात	Import of Rice	3891
1304	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कमचारियों की हड़ताल	Strike by I. A. C. Staff	3891–92
1305	तूतीकोरिन पत्तन की माल-वाहक नौका का लापता होना	Missing Cargo Boat Belonging to Tuticorin Port	3892
1306	बवाना सड़क, दिल्ली	Bawana Rod, Delhi	3892–93
1307	टेपिओका का निर्यात	Export of Tapioca	3893
1308	जैसलमेर जिले में सड़कें	Roads in Jaisalmer District	3893
1309	पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते स्टीमर सेवा	Steamer Service through East Pakistan	3893–94
1310	दिल्ली में आटो-रिक्शा का किराया	Auto-Rickshaw Fares in Delhi	3894
1311	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	3894–95
1312	केरल में पंचायत कर्मचारी	Panchayat Employees in Kerala	3895
1313	केरल में पंचायत कर्मचारी	Panchayat Employees in Kerala	3895
1314	बिहार में आटा कारखानों को गेहूं का सम्भरण	Supply of Wheat to Flour Mills in Bihar	3895–96
1315	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा (नई दिल्ली)	Indian Agricultural Research Institute, Pusa (New Delhi)	3896
	ध्यान दिलाने की सूचना क बार में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice (Query)	
	उपमंत्री का परिचय (श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह)	Introduction of Deputy Minister (Shrimati Jahanara Jaipal Singh)	3896 3896
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3897–98
	सदस्य की परोल पर रिहाई (श्री उमानाथ)	Release of Member on Parole (Shri R. Umanath)	3899
	सदस्य द्वारा कही गयी बातों और उनके उत्तर के बारे में वक्तव्य	Statement re : remarks made by a Member and Reply thereto—	
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	3899
	श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित	Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit	3899
	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव— श्रीमती इंदिरा गांधी	Motion on the President's Address— Shrimati Indira Gandhi	3900–04

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
रेलव आयव्ययक, 1966–67–सामान्य चर्चा––	Railway Budget, 1966-67—General Discussion—	
श्री नरसिम्हा रेड्डी	Shri Narasimha Reddy .	3908-09
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	3909-11
डा० श्रीनिवासन	Dr. P. Srinivasan . .	3911-13
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . . .	3913-15
श्री विश्वनाथ पांडे	Shri Vishwa Nath Pandey .	3915
श्रीमती अकम्मा देवी	Shrimati Akkamma Devi .	3915-17
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	3917-20
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary . .	3920-21
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda .	3921-22
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	3922-23
अधिवक्ता अधिनियम की कार्यान्विति का पुनरीक्षण करने वाली समिति के बारे में वक्तव्य––	Statement re : Committee to Revise Working of Advocates Act—	
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman	3921
कार्य मंत्रणा समिति––	Business Advisory Committee—	
चौवालीसवां प्रतिवेदन	Forty-fourth Report . .	3923
राज्यों की अनाज वसूली योजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा––	Half-an-hour discussion re: Procurement Levy Schemes of States—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	3923

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12—बुधवार, 2 मार्च 1966/11 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 12—Wednesday, March 2, 1966/Phalguna 11, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
297	रिक्शा चलाना	Rickshaw-Pulling . .	3925–28
298	अनुसंधान के लिए उद्योग पर शुल्क	Levy on Industry for Research .	3928–31
299	ढोरी कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Dhori Colliery .	3931–34
300	खम्भात तेल क्षेत्र में तरल ईंधन	Liquid Fuel from Cambay Oilfield	3934–36
* 301	रूस से मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल का आयात	Import of Kerosene and Diesel Oil from U.S.S.R. . . .	3936–37
302	दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index Numbers for Delhi	3937–38

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
303	कैरों हत्या कांड	Kairon Murder Case . .	3939
304	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का पुनर्वास कार्यक्रम	Rehabilitation Programme of Dandakaranya Development Authority	3939
305	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना	Settlement of Migrants in Andaman and Nicobar Islands . .	3940
306	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	Banaras Hindu University .	3940–41
307	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद	U.P.-Bihar Boundary Dispute .	3941
308	कोट्टयम में श्री नम्बूदिरीपाद का वक्तव्य	Statement by Shri Namboodiripad at Kottayam . . .	3941–42
309	दिल्ली में कार/स्कूटर की चोरियां	Car/Scooter Thefts in Delhi .	3942
310	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक बैठकें	Communal Meetings in Banaras Hindu University . .	3942
311	दक्षिणी राज्यों में तूफान से हुई क्षति	Damage done by Cyclone in the Southern States . . .	3943–44
312	गंधक के तेजाब का कारखाना	Sulphuric Acid Plant . .	3944

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—28 L. S./66

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत—	Motion for Adjournment—Negatived—	
दिल्ली में उपद्रव—	Disturbances in Delhi	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh .	4843–44
श्री बागड़ी	Shri Bagri . . .	4844–45
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	4845
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	4845–46
श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand .	4846
श्री अ० प० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	4846–47
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	4847
श्री ग० सि० मुसाफिर	Shri G. S. Musafir . .	4847–48
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	4848
श्री कर्णी सिंहजी	Shri Karni Singhji .	4848
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	4849
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	4849
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	4850
राज्यों की अनाज वसूली की योजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion re : Procurement Schemes of States—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	4850

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 1 मार्च, 1966/10 फाल्गुन, 1887 (शक)
Tuesday, March 1, 1966/Phalguna, 10, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का विमान बेड़ा

+

*267. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस बेड़े में कितने तथा किस प्रकार के विमानों की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने 6 कारवेल/कारवेल टाइप विमान, वाईकाउंट और स्काईमास्टरों को बदलने के लिये 7 विमान, 15 एवरो-748 सीरीज़ ii/एफ. 27 टाईप विमान और छोटे (फीडर) मार्गों पर चलाने के लिये 15 छोटे विमान प्राप्त करने की योजना बनाई है।

(ग) यद्यपि इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन की चौथी योजना का मसौदा सरकार ने स्वीकार कर लिया है, फिर भी जब कभी विमान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, कारपोरेशन को सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम में स्थायी रूप से परिवहन की कठिनाईयां हैं और इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये तरलोक सिंह समिति ने हाल ही में सिफारिश की थी कि उस प्रदेश में छोटे विमानों की सेवाएं चालू की जाएं। इस प्रयोजन के लिये कितने विमान तथा किस टाइप के विमान प्राप्त किये जा रहे हैं?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है कि फीडर मार्गों के लिये हम छोटी किस्म के 15 विमान प्राप्त कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इन विमानों को उन मार्गों पर चलाया जायगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां; इसको भी ध्यान में रखा गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह देखा गया है कि कि रूसी 'इलुसियन 18 विमान' हमारे ट्रंक मार्गों पर चलाये जाने के लिये उपयुक्त है । क्या सरकार का विचार इन विमानों को खरीदने का है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार के पास अपने विमान बेड़े को निकट भविष्य में बड़ा करने की कोई योजना है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटनाओं में हमारे काफी विमान नष्ट हो गये हैं, सरकार कार्यक्रम में क्या परिवर्तन करना चाहती है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : 1966-67 तक वाइकाउंट विमानों को बदलने की हमारी योजना है और 'एवरो' विमानों को प्राप्त करने का कार्यक्रम इस प्रकार है : 1966 में पांच, 1967 में छे: और 1948 में चार ।

Shri M. L. Dwivedi : What is the total expenditure involved in the procurement of these aircrafts ? The hon. Minister did not mention the name of Caravelles. May I know whether their purchase is being discontinued because of accidents or for some other reasons ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक कैरेविल विमानों का संबंध है हम इनके स्थान पर ऐसे विमानों को लाना चाहते हैं जो या तो स्वयं कैरेविल टाइप के हो यां चलने में और बैठने के स्थानों में इसके तुल्य ही हों ।

अध्यक्ष महोदय : कुल कितनी राशि व्यय की जायगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : चतुर्थ योजना के लिये इस संबंध में 44 करोड़ रु० की राशि अस्थायी रूप से रखी गई है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि हमारे पास फालतू 'डकोटा' विमान हैं और क्या उनका निपटान किया जा रहा है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : डकोटा विमानों की निश्चित अवधि समाप्त हो गई है । अत: हम उनको हटाना चाहते हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether there exists any arrangement for the procurement of aircrafts from the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore for the Indian Air lines Corporation ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस बात को ध्यान में रखा गया है । वास्तव में हमने एक प्रकार का समझौता किया है जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड, बंगलौर 10.82 करोड़ रु० की लागत पर 'एवरो'-448 विमान देगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने, कर्मचारियों द्वारा विमान चलाने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया है जिनके कारण कि यात्रियों का जीवन असुरक्षित हो जाता है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस बात को निश्चय ही ध्यान में रखा गया है ।

श्री क० ना० तिवारी : सभी मार्गों के लिये कुल कितने विमानों की आवश्यकता है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमारे पास 50 से 56 विमान सेवा में हैं। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, संख्या कुछ कम होगी, परन्तु इन में से अधिकांश विमानों में बठने के स्थान काफी अधिक होंगे।

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने स्वयं यह कहा कि डकोटा विमान पुरानी चाल के हैं, तो दक्षिण में मद्रास से कोचीन तक पिछले सप्ताह में डकोटा विमान क्यों चलाया गया है?

श्री चे० मु० पुनाचा : उचित निरीक्षण और संधारण के बाद अब वे चलने के योग्य हैं।

श्री शिकरे : लगभग एक सप्ताह पूर्व पश्चिम जर्मनी के एक दैनिक पत्र 'फ्रैंकफर्ट एल्जीमीन' ने सभी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों तथा संबंधी सरकारों को इस तथ्य को छिपाने के लिये लताड़ा है कि जिस समय भारतीय विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ लगभग उसी समय से इटली का एक जेट लड़ाकू विमान भी उसी क्षेत्र में लापता है। आरोप यह है कि इटली के जट लड़ाकू विमान ने भारतीय विमान के टक्कर मारी और इस प्रकार दुर्घटना हुई। क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं और यदि हां, तो सचाई का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री चे० मु० पुनाचा : मामला जांच अदालत के विचाराधीन है। इसलिये में अभी इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता।

Shipping Service to Pakistan

+

*268. **Shri Oankar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya
Shri Yashpal Singh :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Smt. Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Smt. Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted the ships of non-aligned countries to proceed to Pakistan after loading goods at Indian ports ;

(b) if so, the condtions imposed in this behalf; and

(c) the nature of goods involved therein ?

The Minister of State in the Ministry of Civil Aviation (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). No conditions or restrictions as regards the nature of goods were imposed.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Pakistan is prepared to accept the terms imposed by India ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पाकिस्तान ने शर्तों को स्वीकार कर लिया है और अब एक प्रकार की पारस्परिक व्यवस्था लागू की गई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : On what basis this report has been made ? Are Government fully confident that Pakistan will not offload the goods in future as she did in the past ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमें पूरा भरोसा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : ताशकन्द वार्ता से स्थिति में आगे क्या सुधार हुआ है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारतीय निर्यात को यदि तटस्थ देशों के जहाजों में लादा जाय तो उन्हें पाकिस्तानी बन्दरगाहों के रास्ते ले जाया जा सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या ताशकन्द भावना के परिणाम स्वरूप सरकार ने कुछ और रियायतें दी हैं कि इस प्रकार की कोई सीमा नहीं होगी, और तटस्थ देशों के जहाज बिना माल उतारे पहले पाकिस्तान अथवा भारत जा सकेंगे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां, यह रियायत सभी विदेशी जहाज़ों को दी जाती है, और उन्हें अपना कार्यक्रम अपनी सुविधा के अनुसार बनाना पड़ता है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the Indian Cargo offloaded by Pakistan during the recent Indo-Pak hostilities, has been since been taken back if not the steps being taken in that regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या तटस्थ देशों के जहाजों के लिये पहले भारत की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी होता था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : आपात के दौरान, जब कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। उससे पहले ऐसे कोई प्रतिबन्ध नहीं थे। अब इन प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : गुटों वाले देशों से आनेवाले जहाज़ों के संबंध में क्या स्थिति है ? क्या उनको भी वही रियायतें दी जायेंगी अथवा उनके लिये पृथक् नियम है ? यदि उत्तर 'हां' में है तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनके जहाजों के लिये पृथक् नियम हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ये विशिष्ट रियायतें और पुनरीक्षित प्रक्रियायें तीसरे देशों पर लागू होती हैं। और इसमें गुटों वाले अथवा तटस्थ देशों का कोई भेद नहीं रखा गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या बम्बई में इटली के भारवाहक जहाज 'एडिज' से जो पाकिस्तानी माल उतारा गया था वह पाकिस्तान को लौटा दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? हाल ही के संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत का कितना माल उतारा था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस घटना पर विशेष रूप से जांच की जा रही है। 'एडिज' को बम्बई में रोका गया था जिस समय कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी। उसके बाद कुछ माल भारत में उतारा गया था और जहाज को बम्बई से जाने दिया गया।

श्री बुटा सिंह : क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ सीधा परिवहन, उड्डयन, पर्यटन आदि द्वारा पुनः सामान्य संबंध स्थापित करने के लिये लिखा पढ़ी की है अथवा करने का विचार है ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, हां।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि ताशकन्द घोषणा ने दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बनाने का वातावरण पैदा कर दिया है, क्या सरकार ने आपात संबंधी सीमाओं को हटाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसका संबंध एक सामान्य प्रश्न से है। दोनों देशों के बीच यातायात को सामान्य बनाने के संबंध में जहां तक जहाजरानी का संबंध है, सामान्य बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है, और सामान्यता स्थापित करने के लिये दोनों ओर से पारस्परिक कार्यवाही पहलेसे ही की गई हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या इन जहाजरानी सुविधाओं से पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस प्रश्न पर का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है, जो अन्य हालात पर निर्भर करता है।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना

+

*269. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री काजरोलकर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अमरीकी सहकारी संस्थाओं के साथ बातचीत की जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक या दो राज्यों को पत्र लिखे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ङ) क्या कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है और यदि हां, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में अमरीकी सहकारी संस्थाओं के साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही है। यू० एस० एड से इस प्रायोजना के तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन की व्यवस्था करने के लिये निवेदन किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

Shri Vishwa Nath Pandey : Do Government propose to establish such like factories in the Co-operative Sector with a view to encouraging the Co-operation ?

Shri Shyam Dhar Misra : Yes, Please ; and it is with this intent that the Government of India have written to the U. S. A. I. D. The U. S. A. I. D. people are preparing the feasibility report. If the feasibility report is found suitable, we will take further steps in the matter.

Shri Vishwa Nath Pandey : By what time this report is expected to be received ?

Shri Shyam Dhar Misra : Just now we had sent our request. We hope, as soon as the study report is received, we will take further steps in the matter. But at this stage nothing can be said with precision.

श्री लिंग रेड्डी : क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों को प्रोत्साहन देने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जैसा कि मैंने बताया सरकार ने इस पर विचार किया है ।

Shri Vishram Prasad : According to the newspaper reports, Americans shall have the right to fix the prices for some-time. Are Government giving this relaxation to them ?

Shri Shyam Dhar Misra : The question asked by the hon. Member does not pertain to the Co-operative Sector factory.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या सरकार इससे अवगत है कि श्री चेस्टर बाउल्स ने कैरा सहकारी संघ की सुज्ञात अमुल डेरी का दौरा किया, और गुजरात के उर्वरक कारखाने को एक सहकारी समिति में बदलने के संबंध में उन्होंने जो बातचीत की क्या सरकार उससे अवगत है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : हम श्री चेस्टर बाउल्स को भली भांति जानते हैं और वह भी हमें अच्छी तरह जानते हैं। वह उर्वरक कारखाने में सहकारी विकास चाहते हैं। हम भी इस से अवगत हैं, और इसलिये हम उर्वरक कारखाने में सहकारी क्षेत्र रखना चाहते हैं, और इसलिये हमने य० एस० ए० आई० डी को लिखा है और जब तक प्रति वेदन न हो, हम उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

Shri Sarjoo Pandey : Have Government taken any decision regarding the site for this factory ?

Shri Shyam Dhar Misra : Decision regarding the site of the factory will be taken after the arrival of the experts from America.

Delhi State Central Co-operative Store

+
***270. Shri Bagri :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Patnayak :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the C. B. I. has submitted its report in respect of the inquiry conducted into the alleged sale of low grade coal by the Delhi State Central Co-operative Store;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The allegation of criminal conspiracy against the officials of the colliery and the Delhi State Central Cooperative Store was not substantiated. The report only pointed out that the representative of the Store posted at the site of loading and the Loading Inspector of the Office of the Coal Superintendent, Dhanbad, were negligent in the performance of their duties and recommended that the Delhi Administration and the Ministry of Mines & Metals may take whatever action they might deem fit against them.

The Delhi Administration after taking legel opinion on the subject found that the alleged negligence on the part of employee of the store was not actionable. Moreover, the employee is no longer in service. As regards the Loading Inspector, the Ministry of Mines & Metals have asked the Coal Controller to take suitable action against him.

Shri Bagri : From the statement it appears that no legal proceedings can be launched against them. May I know whether Government propose to cancel their licence, if they are unable to take any legal action against them ? Their licence should be cancelled.

Shri Shyam Dhar Misra : Yes Sir, all the supplies like that of Gur and Khandsari etc. which were being given to this Co-operative Store through the Civil Supplies Department have been cancelled.

Shri Bagri : It is undesirable that such shortcomings should exist in co-operative societies, when an attempt is being made to lead the country to progress through Co-operatives. May I know whether Government propose to enquire the root causes the evils of corruption and negligence of duties prevalent among co-operatives and eliminate them so that co-operatives may function properly ?

Shri Shyam Dhar Misra : Government as well as the hon. Member are aware that these shortcomings are not found in a particular sector only. They are existing in private sector, in public sector and also in co-operative sector.

Recently a Report has been submitted by Ram Niwas Mirdha Committee in this regard, which has been considered by Ministers throughout the country. The recommendations of the Committee's Report have been sent to States and it is hoped that further actions would be taken on them. The hon. Members can see the report, if they so like.

Shri Yashpal Singh : May I know the main recommendations regarding abolition of corruption and better functioning of co-operatives made in the Mirdha Committee's report and whether the Ministry of Co-operation would take necessary action to implement them ?

Shri Shyam Dhar Misra : This question covers wide range of subjects and involves many questions. It involves the question of vested interests, the question of reorganisation and the question of eradications of shortcomings. I remember that the Committee's report was laid on the Table of the House. Even then if any hon. Member desires to see the report, he can see it in the Library. I am ready to answer the questions arising out of that.

Shri Kishen Pattnayak : I would like to know the percentage of coal allotted to this co-operative Store out of the total consumptions of coal in Delhi and the number of days for which this Store supplied coal of inferior quality ?

Shri Shyam Dhar Misra : I have said that no supplies are given to this store at present.

Shri Kishen Pattnayak : But supplies were given in the past.

Shri Shyam Dhar Misra : It is correct that an *ad hoc* quota of 32 wagons was given to this Store and it was given in that quota that coal of good quality would be supplied. Unfortunately it was not defined in the licence as to what is the exact meaning of this good quality coal. What has happened in this that when the coal was examined and it was found that it contained 36% ash contents and definitely it was a coal of poor quality. The coal which contains 22 or 24 % of ash contents is considered as second grade or first grade coal. But definitely it was inferior quality coal and the fact had been examined.

Shri Yashpal Singh : Justice delayed is justice denied. May I know the actual time taken in reaching this decision and the time formerly fixed for this purpose by Government ? Co-operative Societies were created for serving the people.

Shri Shyam Dhar Misra : The hon. Minister has quoted a general law. I quite agree with him. But justice has not been delayed and justice has not been denied in this matter. A special investigation was made only in June and a case has recently been constituted. I hope full justice will be given.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : विवरण में कहा गया है कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने जिन्होंने अपने कर्त्तव्य-पालन में लापरवाही की थी, त्यागपत्र दे दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की इस नीति के अनुसरण में किया गया कि जब कभी किसी अधिकारी अथवा मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं और वह त्यागपत्र दे देता है, तो मामले को वहीं समाप्त कर दिया जाता है और आगे जांच नहीं की जाती ? भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के मामले में भी ऐसा ही किया गया है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक इस मामले का संबंध है हमें नीति संबंधी वक्तव्य देने को नहीं कहा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विशेष मामले में त्यागपत्र को पर्याप्त सजा समझा गया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उसको केवल यही सजा दी जा सकती है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाता। उस ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया है। उस के विरुद्ध कोई अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री हरि विष्णु कामत : दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भण्डार के प्रधान का नाम क्या है और कहां तक ....

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह है कि प्रधान कौन है तथा इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग अथवा अन्य जांच अभिकरण द्वारा उन्हें कहां तक अनियमितताओं और दुराचरण का जिम्मेदार ठहराया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान कौन है तथा क्या उन्हें केन्द्रीय जांच विभाग ने इस मामले में जिम्मेदार ठहराया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : अब श्री दीप चन्द शर्मा दिल्ली उपभोक्ता सहकार भंडार के प्रधान हैं। जब यह मामला दर्ज कराया गया था तो इस संस्था के प्रधान एक अन्य सज्जन थे जिन के विरुद्ध आरोपों की जांच की गई थी **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरि विष्णु कामत : वह कौन थे ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्री ब्रह्म प्रकाश। पिछली बार भी सभा में इस का उल्लेख किया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : वह नाम लेते हुये लज्जा क्यों अनुभव कर रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : प्रश्न यह था कि प्रधान कौन है। मैंने कह दिया श्री शर्मा। अब मैं कहता हूं कि जब मामला दर्ज किया गया तो उस समय श्री ब्रह्म प्रकाश प्रधान थे। उनके विरुद्ध जांच की गयी थी परन्तु उनके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has just stated that 32 wagons of coal were transported by this Store and the President of the Store had given a statement in this House to the effect that coal was transported by giving bribe to the Railways. May I know the total profit earned by the Store in this transction, by supplying inferior quality coal keeping in view the bribe given to the Railways ?

Shri Shyam Dhar Misra : No profit has been earned by the Society in this transaction. Rather the society had to incure loss of Rs. 10,000. I am not aware about bribe. I have not seen any such statement.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He had stated in this House.

Shri Prakash Vir Shastri : On one hand Government want to eradicate Corruption and one the other hand they are defending the Delhi State Central Co-operative Store, because some potilical leaders of Delhi are involved in this matter. I want to know how it will be possible for Government to develop Co-operatives in the Country when there is corruptions in the co-operative Societies ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम उन व्यक्तिओं को सजाये नहीं दे सकते जिनके विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है । यह पूर्णतः ज्ञात हो गया है कि प्रधान इस मामले में शामिल नहीं थे और वह बिल्कुल निर्दोष हैं । यदि हा इसी प्रकार सभा के उस माननीय सदस्य के नाम का उल्लेख करते रहे, जिस के विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह होगा की हम सभा की सदस्यता का आदर नहीं कर रहे है ।

Rationing in Delhi

\+

*272. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri P. H. Bheel :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya **Shri P. K. Deo :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints regarding the working of rationing system in Delhi;

(b) if so, the steps taken to remove them; and

(c) the total estimated annual expenditure on the rationing system in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) & (b). Yes, Sir. The complaints were firstly about non-issue of ration cards and later about the quality of atta and non-issue of indigenous wheat. Arrangements had been made for the prompt issue of ration cards at the Circle Rationing Offices. The complaint about quality of atta was carefully examined and was found baseless. Arrangements have been made to issue indigenous wheat through the ration shops in Delhi from the week commencing on 2-3-1966.

(c) About 42 lakhs of rupees.

Shri Prakash Vir Shastri : Keeping in view the population of Delhi, whether Government have collected some information that a large number of ghost ration cards have been issued and if so, the steps Government propose to take to check it ?

श्री गोविन्द मेनन : समय समय पर इसकी जांच पड़ताल की जाती है । माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has stated that cases of bad quality of wheat have come to light. May I know whether Government have also collected information regarding supply of bad quality of other foodgrains than atta by ration shops and if so, the steps Government propose to take to ensure that bad quality of food grains would not be sold in future by ration shops ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will Government state the number of ration cards prepared so far and the number of those ration cards which have been given to the persons concerned and also whether it is a fact that a large number of labourers are facing great difficulties for non-issue of ration cards ?

श्री गोविन्द मेनन : हाल में किसी भी वर्ग के लोगों की राशन कार्ड प्राप्त न होने की कोई शिकायत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कुल संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द मेनन : 21 लाख व्यक्ति ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the hon. Minister is aware that atta mill owners are extracting nutritious contents of wheat like Maida in connivance with rationing department employees and are supplying the rest non-nutritious atta to shops for sale and if so, the steps Government propose to take to check this practice ?

श्री गोविन्द मेनन : आटे की किस्म के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर 18 राशन की दूकानों से आटे के नमूने लिये गये और उनकी जांच की गई तथा यह ज्ञात हुआ कि यह आटा अच्छी किस्म का था । ये शिकायतें इसलिये पैदा हुई थी कि इस आटे का रंग एक विशेष किस्म का था । इस आटे में लाल रंग इस कारण से विद्यमान था, क्योंकि यह आटा बनाने में आयात किया गया गेहूं प्रयोग किया गया था ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई हैं कि सरबती गेहूं खाने वाले पंजाबियों के लिये यह आयात किये गये गेहूं का बना हुवा आटा उपयुक्त नहीं है और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री गोविन्द मेनन : कुछ समय के लिये हमें पंजाब से पर्याप्त मात्रा में देशी गेहूं नही मिल सका था । इसी कारण मैंने कहा है कि कल से देशी गेहूं दिया जायेगा, क्योंकि हमे पर्याप्त मात्रा में देशी गेहूं मिल गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरबती गेहूं दिया जायगा ?

श्री गोविन्द मेनन : जी, हां ।

श्री वासुदेवन नायर : जैसा कि दिल्ली मुख्यत: गहूं खाने वाला क्षेत्र है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है कि यहां चावल का राशन कम किया जाय तथा उस की जगह गेहूं दिया जाय ।

श्री गोविन्द मेनन : इस संबंध में कुछ प्रस्ताव हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को आटे की बजाय गेहूं के मिलने की कोई संभावना है ?

श्री गोविन्द मेनन : कलहि से आरम्भ होने वाले सप्ताह से स्वदेशी गेहूं मिलना आरम्भ हो जायेगा ।

श्री त्यागी : माननीय मंत्री ने जो अनुमानित वार्षिक व्यय बताया है क्या उसमें खाद्यान्नों की लागत भी शामिल है अथवा केवल स्थापना तथा अन्य चीजों का ही व्यय शामिल है ?

श्री गोविन्द मेनन : कुलव्यय 42 लाख रु० का है। अलग अलग खर्च इस प्रकार हैं : अधिकारियों का वेतन 3,54,900 कर्मचारियों का वेतन 16,46,600 रु०; भत्ते तथा वेतनमान 15,02,000 रु० अन्य प्रभार 7,25, 000 रु०।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इन राशन की दुकानों द्वारा प्रायः सड़ा हुआ चावल दिया जाता है और यदि हां, तो इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : यह बात हमारी जानकारी में नहीं आई है।

श्री वासुदेवन नायर : यह कैसे हो सकता है कि सरकार इसको नहीं जानती है ?

डा० रानेन सेन : सड़े हुये चावल की सप्लाई के विरोध में समाचार पत्रों में पत्र छपे हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको ऐसी किसी कठिनाई का पता ही नहीं है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है।

श्री गोविन्द मेनन : दिल्ली में चावल की सप्लाई के संबंध में जहां तक मुझे पता है कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस बात का तुलनात्मक अध्ययन किया है कि देश में अन्य स्थानों पर दिल्ली की तुलना में कितना तथा किस प्रकार का राशन उपबन्ध है; और क्या समानता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : इस विषय पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी नहीं किया गया है—मैं समझता हूं कि यही उत्तर है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister just now stated that flour of 18 shops was tested and found satisfactory. What is the name of the Department which tested those samples ? Was this work got done by the inspectors of the supply Department who are usually having contacts with the shop-keepers ?

श्री गोविन्द मेनन : 18 दुकानों से जो नमूने लिये गये थे उनका परीक्षण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था। नमूने प्रादेशिक खाद्य निदेशक के कर्मचारियों द्वारा लिये गये थे।

दिल्ली में राशन की दुकानें

+

*273. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की दुकानों पर केवल आयातित आटा ही बिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन दुकानों पर देशी गेहूं क्यों नहीं बेचा जा रहा है;

(ग) आटे में मिलावट को रोकने और खराब आटा की बिक्री को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : जी नहीं। 12 जनवरी 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह से आयातित गेहूं भी बिक्री के लिये रखा गया है। 2 मार्च, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह से राशन की दुकानों पर देसी गेहूं भी दी जाएगी।

(ग) रोलर आटा मिलों द्वारा उत्पादित और राशन की दुकानों को दिये जाने वाले आटे की किस्म पर बराबर निगरानी रखी जाती है। कार्ड धारियों को बेचे जाने वाले आटे की किस्म की जांच करने के लिये राशन की दुकानो का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है।

Shri Vishram Prasad : Why wheat is not supplied instead of atta ?

श्री गोविन्द मेनन : 2 मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह से गेहूं दिया जायेगा।

Shri Bagri : What is the difference between the price of wheat and atta ?

श्री गोविन्द मेनन : सही मूल्य बताने के लिये मुझे सूचना चाहिये। परन्तु मैं समझता हूं कि आटे का मूल्य उतना ही है जितना कि गेहूं का, केवल उसमें मजदूरी जोड़ दी जाती है।

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the retail price of wheat and what is the price paid to U. S. A. for the same quality of wheat and atta ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे खेद है कि मेरे पास जानकारी नहीं है।

Shri Kishan Pattnayak : The restaurants in Delhi do not give the impression that there is any sort of rationing in Delhi. Why the bread has not been rationed like atta ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस समय डबल रोटी पर राशनिंग लागू करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि बाज़ार में कोई न कोई तो ऐसी चीज़ उपलब्ध होनी चाहिये जिसे हर कोई खरीद सके। जहां तक जलपानगृहों का संबंध है, उनमें आने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उनका कोटा निर्धारित किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन साप्ताहिक आधार पर शुक्रवार से दिया जाता है और यदि अगले दो दिन, शनिवार और रविवार छुट्टियां हों तो उन दोनों दिनों के लिये राशन अगले दिन नहीं दिया जाता है ? इन दोनों दिनों के लिये सरकार क्या आशा करती है कि लोक भूखे रहें या चोर बाजार से चावल खरीदें।

श्री गोविन्द मेनन : यदि किसी दिन छुट्टी होती है तो उसके कारण राशन देना बन्द नहीं किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने मेरा राशन बन्द कर दिया था।

Shri Yashpal Singh : Rotten atta is being used by Shashi Ram Caterer in Parliament House. Has the Minister ever made a Surprise visit ?

Mr. Speaker : It is my duty to see that you may take me there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the number of ration shops in Delhi and whether Complaints have been received regarding the inadequacy of their number. Which Causes great rush of people there ?

श्री गोविन्द मेनन : दुकानों की सही संख्या के बारे में मझे सूचना चाहिये। उनकी संख्या 2 हजार कुछ है। दुकानों की संख्या के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Shri Siddheshwar Prasad : What will be the quantum of wheat to be supplied from the 2nd of March, 1966 ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अतिथियों के लिये भी उतना ही राशन दिया जा रहा है।

श्री काशीराम गुप्त : शरबती गेहूं दिया जायेगा या दड़ा गेहूं दिया जायेगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पंजाब से जो भी गेहूं उपलब्ध होगा वह दिया जायेगा।

श्री काशीराम गुप्त : शरबती या दड़ा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि पंजाब दड़ा गेहूं देगा तो दड़ा दिया जायेगा और यदि पंजाब शरबती गेहूं देगा तो शरबती दिया जायेगा।

श्री बुटा सिंह : दिल्ली में राशनिंग लागू किये जाने के बाद खाद्यान्न की चोर बाजारी तथा तस्करी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के नागरिकों को राशनिंग के लागू किये जाने की के लिये 42 लाख रु० का व्यय वहन करना पड़ा था। क्या इन सब बातों को देखते हुये सरकार अब भी राशनिंग को जारी रखना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नीति यह है कि राशनिंग व्यवस्था को जारी रखा जाये। जहां तक खर्च का संबंध है 31 लाख की जनसंख्या पर 42 लाख रुपये का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1.2 रु० पड़ता है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहना कहां तक सच है कि खाद्य मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन और मिल मालिकों के सहयोग से सारे सड़े हुये आयातित गेहूं को जिसे कि बेचा नहीं जा रहा था उसका आटा बना कर बेचने में सफल हो गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सब आरोप गलत है। गेहूं की किस्म का परीक्षण किया जाता है और यदि उसे मानव उपभोग के लिये उपयुक्त पाया जाता है केवल तब ही उसे दिया जाता है।

खाद्यान्नों के लक्ष्य पूरे करने के लिये फसल योजना

+

*274. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य पूरे करने के उद्देश्य से आगामी खरीफ फसल तथा 1966–67 की रबी की फसल के लिये कोई फसल योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु सरकार का जो ठोस निदेश देने तथा प्रोत्साहन देने का इरादा है उसकी क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) रबी तथा खरीफ फसलों के विषय में समस्त देश के लिये कोई एक सदस्य योजना तैयार नहीं की गई है। फिर भी 1966–67 की अवधि के लिये 48.8 लाख एकड़ भूमि में धान, गेहूं, मकई, ज्वार तथा बाजरे की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती के लिये कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकारें ही इस कार्यक्रम को कार्यरूप देंगी और उन्हें बीजों, उर्वरकों तथा कीट-नाशक औषधियों तथा परामर्श आदि के विषय में आवश्यक सुविधायें प्रधान की जा रही हैं।

Shri Madhu Limaye : The Government have brought out about two thousand books on the Five Year Plan, but we find only vague things about the price policy and no categorical thing. The prices of food crops are not in parity with the prices of Commercial crops. During the last three five year Plans the area under food crops has increased only by 17-18 perecnt. Whereas the area under the Commercial crops has increased by 50-100 percent. May I know whether any thought will be given to the price policy during the Fourth Five Year plan and the 1st Year of the Fourth Five Year Plan ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं यह मानता हूं कि खाद्यान्नों के मूल्य वाणिज्यिक फसलों के मुकाबिले कम थे। इसीलिये कृषि मूल्य आयोग की नियुक्ति की गई है ताकि वह खाद्यान्नों के लिये निम्नतम समर्थक मूल्यों के लिये सिफारिश दें।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Central Government have recommended to the State Governments to frame schemes for every Development Block and Panchayat area regarding the quantum of production of wheat, rice and other food grains in individual blocks and Panchayat area ? May I know whether in the event of failure of the scheme the B. D. O. and the Sarpanches will be punished ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि देश भर में किसी सख्ती के तरीके से फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन विभिन्न उत्पादकों को जो मूल्य हम देते हैं उसके आधार पर आर्थिक पहलू काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में तिलहन या रूई फालतू मात्रा में होती है। हमें उनको भी पैदा करना है। अन्त में, कमी केवल प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा कर ही दूर की जा सकती है।

Shri Kishan Pattnayak : One of the main reasons for the low production of foodgrains is that the per acre yield in India, especially of rice is very low and the second reason is the economic poverty of the farmer which prevents him from applying more inputs to his land. May I know whether the Central Government in consultation with the State Government will evolve measures for giving financial assistance to the farmers ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां, इस प्रयोजन के लिये हम राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं और हम योजनायें तैयार कर रहे हैं ताकि किसान को अधिक धन लगाने के लिये आर्थिक शक्ति प्राप्त हो।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether the Central Government propose to give special financial assistance for irrigation to deficit areas such as Uttar Pradesh ?

Shri Shyam Dhar Misra : Sir, Emergency Plans have been drawn up for minor irrigation and for utilisation of irrigation projects which is a major plan for areas which are deficit and which have irrigation potential. So far as Uttar Pradesh is concerned a big sum has been given for minor irrigation and lift irrigation as also for major irrigation and for finding out ways to utilise unutilised potential.

Shri Tulsidas Jadhav : May I know whether large sums are given under taqavi loans for cash crops and small sums for the food crops and if so, how will it raise the food production ?

Shri Shyam Dhar Misra : In this connection, full investigations are made as to requirement of loan for each crop. The per acre requirement of loan is more for cash crops than the food crops and the loans are given in accordance with this. But it is true that taqavi loans and co-operative credit are not disbursed to the desired extent due to paucity of funds.

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग को, उत्पादकों को एकीकृत उचित मूल्य देने के लिये कोई अनुदेश दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, यह अनुदेश दिया गया है ।

Shri Sheo Narain : May I know the amount of money given to deficit areas for small irrigation and the progress report thereof ?

Shri Shyam Dhar Misra : For Uttar Pradesh one and a half crores of rupees have been given beyond the Plan ceiling and it is hoped that a further amount of Rs. 75 lakhs will also be given.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि समस्त देश के लिये कोई एक सस्य योजना तैयार नहीं की गई है ।क्या इस सस्य योजना को किसी राज्य अथवा जिले में आरम्भ किया गया है अथवा क्या सरकार इस देश में सस्य योजना की कोई आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री श्यामधर मिश्र : उत्तर स्पष्ट है । रबी और खरीफ की फसलों के लिये समस्त देश के लिये कोई एक सस्य योजना तैयार नहीं की गई है । इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई सस्य योजना है ही नहीं । विकेन्द्रीकृत तरीके से सस्य योजना को आरम्भ किया गया है ।

श्री प्र० र० पटेल : क्या सरकार की नीति यह है कि अनाज को सड़ने दिया जाये ताकि किसानों को अधिक मूल्य न मिल सके और यह भी देश के किसानों के साथ कोई सहयोग न किया जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसी नीति नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether Government have also made provision for bringing down the rates of the fertilisers so that the farmers may use them in bigger quantities ?

Shri Shyam Dhar Misra : It is true that the fertiliser in this country is supplied in lesser quantities and at higher rates as compared to other countries. But still in view of the high prices of food grains, it has been calculated that the incentive still exists regarding the present price of fertiliser. The policy of the Government is to bring down the prices of fertiliser as far as possible.

श्री जसवन्त मेहता : माननीय मंत्री ने कहा कि सस्य योजना बनाई गई है । कमी वाले क्षेत्रों में कमी का कारण यह है कि वहां पर व्यापारिक फसलें अधिक पैदा की जाती हैं विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये व्यापारिक फसलें भी आवश्यक हैं । क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिया है कि व्यापारिक फसलों और अनाज की फसलों के संबंध में सरकार की क्या नीति होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्यान्न , तिलहन, रेशों आदि के बारे में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में हमारी एक सामान्य योजना है और उनका ख्याल रखा जायेगा ; हम उन क्षेत्रों को ध्यान में रखेंगे जहां पर इन पदार्थों को उगाया जा सकता है । सरकार की यह नीति नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक वस्तु के संबंध में आत्म निर्भर हो ।

गुंटूर के विपणन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

*271. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को तम्बाकू श्रेणीकरण योजना, गुंटूर के कुछ विपणन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क), जी हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार को गुंटूर के एक विपणन अधिकारी के विरुद्ध 14 नवम्बर, 1965 को एक हस्ताक्षर रहित शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस शिकायत की तथा गुंटूर के एक अन्य सहायक विपणन अधिकारी के विरुद्ध एक ऐसी ही शिकायत की जांच की जा रही है।

(ग) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पत्तनों की माल को उतारने-चढ़ाने की क्षमता

*275. श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री परमशिवन :
डा० श्रीनिवासन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री काजरोलकर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मधु लिमये :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामपुरे :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न पत्तनों की प्रतिदिन माल उतारने-चढ़ाने की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ख) अमरीका तथा अन्य देशों से भारत में आने वाले अनाज को उतारने धरने तथा उसे देश के भीतरी भागों में भेजने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5628/66 ।]

Co-operative Societies

*276. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to enact a uniform and comprehensive law for the establishment of co-operative societies ; and

(b) If so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कृन्तक प्राणियों द्वारा अनाज का नष्ट किया जाना

*277. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मधु लिमये :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :

श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिकरे :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बादशाह गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कुल खाद्य उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग कृन्तक प्राणियों, टिड्डियों तथा अन्य नाशक कीटों द्वारा खाया अथवा नष्ट किया जाता है और परिष्करण तथा भंडार भरने के दोषपूर्ण तरीकों के कारण नष्ट हो जाता है;

(ख) क्या पिछले दस वर्षों में इस विषय में कोई सुधार किया गया है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) कृषि की फसलों तथा उत्पादों को कीटों तथा बीमारियों से 20 प्रतिशत की हानि होने का अनुमान है । इन हानिकारक कीटों, जिनमें टिड्डे तथा टिड्डियां भी आते हैं 10 प्रतिशत तक हानि करते है और 10 प्रतिशत हानि पौदों की बीमारियों आदि से होती है । जमा किये हुए अनाज को 5–7 प्रतिशत तक हानि होने का अनुमान है । यह हानि विभिन्न कीटों, फसलों, स्थानों तथा मौसमों में एक समान नहीं होती । इस लिये हानी का अनुमान कठिन है ।

(ख) कीटों तथा पौधों की बीमारियों को कम करने के लिये अधिकाधिक उपाय किये जा रहे हैं । किसान लोग इन उपायों के महत्व को समझने लगे हैं । पहली और दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में इन उपायों के अन्तर्गत आने वाला फसल क्षेत्र क्रमशः 61 लाख एकड़ और 1 करोड़ 60 लाख एकड़ था । तीसरी योजना के अन्त तक यह क्षेत्र 4 करोड़ 30 लाख एकड़ हो जाने की आशा है । 1968–69 तक यह 21 करोड़ एकड़ हो जायेगा और इसे चौथी योजना के अन्त तक कायम रखा जायेगा ।

(ग) पौधों की सुरक्षा के लिये बहुत से उपाय किये गये है और या करने का प्रस्ताव है । उनमें से महत्वपूर्ण इस प्रकार है :

(1) सभी राज्यों में पौध सुरक्षा संगठन, जिन में प्रशिक्षित कर्मचारी है, बना दिये गये हैं ताकि कीट नियन्त्रण कार्य में सहायता मिले । केन्द्रीय सरकार तकनीकी सलाह तथा कीटनाशक वस्तुओं तथा उपकरणों के आयात के लिये के विषय में राज्यों की सहायता करती है । भूमि तथा विमानों द्वारा भी इस काम में सहायता उपलब्ध की जाती है ।

(2) बहुत से कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई है ताकि वनस्पति रोग विज्ञान, कीट विज्ञान तथा पौधो की रक्षा आदि कार्य में गवेषणा की जा सके ।

(3) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के अन्तर्गत अन्य गवेषणा संस्थाएं कीटनियन्त्रण कार्य के नये तरीके ढूंढने का कार्य कर रही है ।

(4) गवेषणा के परिणामों को लोगों तक पहुंचाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विस्तार अभिकरणों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

(5) सरकारी क्षेत्र में पौधा सुरक्षा कार्य के लिये दी जाने वाली धनराशी में वृद्धि हो रही है । जैसे पहली तथा दूसरी योजना में 4.91 करोड़ रुपये व्यय हुए और तीसरी योजना में इस के लिये 10.2 करोड़ रुपये रखे गये थे । 1965–66 के अन्त तक इसके बढ़कर 13 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है । सरकारी क्षेत्र के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये 33.56 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है ।

(6) देश में निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर दी गई है । आवश्यक कीट-नाशक पदार्थों की एक सहमति वाली सूची तयार की गई है और उनको जहां तक सम्भव हो बनाया जायेगा या आवश्यक हुआ तो आयात किया जायगा । इसी प्रकार उपकरणों का भी देश में निर्माण किया जा रहा है । देश में जो पुर्जे तय्यार नही होते उनके आयात के लिये भी सहायता दी जा रही है ।

(7) भूमि पर छिड़काव कार्य के पौधा सुरक्षा तथा क्वारंटीन निदेशालय ने सात विमानों का एक वैमानिक यूनिट बनाया है । गैर-सरकारी क्षेत्र में 9 विमान है । ये मूंगफली, कपास तथा अन्य चीज़ों की फसलों पर छिड़कने के कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए है ।

कृषि संबंधी सहकारी ऋण

*278. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिकरे :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कहां तक सच है कि कृषि सम्बन्धी सहकारी ऋण में से लगभग 23 प्रतिशत का उपयोग अनुत्पादी कार्यों के लिये किया जाता है;

(ख) क्या किसानों की तुलना में गैर-किसानों द्वारा अनुत्पादि कार्यों पर ऐसा व्यय अधिक किया जाता था;

(ग) कर्जदारों के शक्षणिक-स्तर के अनुसार अनुत्पादि कार्यों में ऋण का व्यय कितने प्रतिलोभ अनुपान से होता है;

(घ) इस प्रकार से अनुत्पादि कार्यों के लिये ऋण का उपयोग होने के मुख्य कारण क्या है; और

(ङ) ऋण व्यवस्था की विद्यमान तुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्रा) : (क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सहकारी ऋणों के उपयोग के बारे में जो अध्ययन किया है, उससे पता चला है कि अल्पकालीन उत्पादन कार्यो के लिए उधार ली गई राशि में से 23 प्रतिशत का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) दूसरे कामों पर व्यय करने का प्रचलन अधिक पढ़े-लिखे ऋण पाने वालों में कम है और कम पढ़े-लिखों में ज्यादा। अनपढ़ और पढ़ना-लिखना जाननेवालों में यह अनुपात 45 प्रतिशत तक है और मैट्रिक तथा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों में 12 प्रतिशत।

(घ) सहकारी ऋण का उपयोग दूसरे कार्यों में करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण की अपर्याप्तता;

(2) इस प्रकार का ऋण मंजूर करने में समयोचितता का अभाव;

(3) कारगर पर्यवेक्षण तंत्र का अभाव;

(4) सहकारी समितियों से मिले ऋणों के उचित प्रयोग के बारे में सदस्यों, विशेष रूप से नीचे के स्तर के काश्तकारों, में शिक्षा का अभाव।

(ङ) इस बारे में निम्न उपाय किए जा रहे है :

(1) फसल ऋण पद्धति को कार्यान्वित करना, जिसके अन्तर्गत सहकारी ऋण समिति के सदस्य को उसकी लौटाने की क्षमता को देखते हुए उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नकदी तथा जिस (उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, बीज आदि) के रूप में ऋण सुलभ किया जाना है;

(2) सदस्यों द्वारा सहकारी समितियों में थ्रिफ्ट डिपाजिट्स बढ़ाना, जिनका उपयोग आवश्यकता ग्रस्त काश्तकारों को उन कार्यों के लिए ऋण देने हेतु किया जा सकता है जो उत्पादन से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते है;

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिक कुशल पर्यवेक्षण; और

(4) सदस्य शिक्षा का सतत कार्यक्रम।

चीनी कारखानों का पुर्नस्थापन तथा आधुनिकीकरण

*279. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागडी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में चीनी उद्योग के पुर्नस्थापन तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं और इन की जांच करने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

खाद्य आय-व्ययक

*280. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागडी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उटिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य आय-व्ययक तयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ग) कौन कौन से राज्यों में अनाज आवश्यकता से अधिक पैदा होता है तथा कौन कौन से राज्यों में कम होता है तथा प्रत्येक मामले में अधिक तथा कम उत्पादन की मात्रा कितनी है; और

(घ) वर्ष के दौरान समूची कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं । अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) इस कमी को अधिकांशतः पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं और माइलो का आयात कर, चावल की जितनी मात्रा उपलब्ध हो सकेगी और अपने पास संचित विदेशी मुद्रा से खरीदी जा सकेगी, का आयात कर और बहुत से मित्र देशों द्वारा पेश की गयी अनुकूल शर्तों के आधार पर इन देशों से गेहूं और अन्य अनाजों को आयात कर पूरा करने की आशा है ।

कनाडा और आस्ट्रेलिया से खाद्यान्न

*281. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से खाद्यान्नों का आयात करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो लगभग कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्न का आयात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपभोक्ता सहकारी भंडार

*282. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता सहकारी भंडारों के कार्यकरण के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) निष्कर्षों के संक्षेप की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

(ग) रिपोर्ट में प्रगति का जो रुख बताया गया है, वह उत्साहवर्धक पाया गया है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5629/66 ।**]

कच्चे काजू का उत्पादन

*283. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 821 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में तीन लाख टन कच्चे काजू का उत्पादन करने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजना की अवधि में 8.08 लाख एकड़ क्षेत्र में कच्चे काजू उगाने का लक्ष्य बनाया गया था । इसके अतिरिक्त पूर्ववत योजनाओं में काजू उगाने में सघन खेती के उपाय अपनाए गए थे । तीसरी योजना में उगाए गए कच्चे काजू और पुराने पौदों में सघन उपायों और एकत्र करने में अधिक अच्छे तरीकों को अपनाने के फलस्वरूप आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक 3.28 लाख टौन्स वार्षिक उत्पादन होगा ।

हल्दिया बन्दरगाह

*284. **श्री प० ह० भोल :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने यह मत व्यक्त किया था, जैसा कि 15 दिसम्बर, 1965 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है कि विश्व बैंक ने हल्दिया बन्दरगाह के बारे में कुछ ऐसे अप्रत्याशित तथा असाधारण सुझाव दिये हैं, जिनसे भारत सरकार के अधिकार का अतिक्रमण होता है; और

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों की मुख्य बातें क्या है, तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : यह देखा गया है कि हल्दिया परियोजना पर विश्व बैंक निर्धारण मिशन से हाल ही में हुये समझौते के बारे में परिवहन के पूर्व राज्य मंत्री के नाम से कुछ टिप्पणियां समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। चूंकि ऋण के लिये बैंक से बातचीत अभी चल ही रही है इसलिये समझौता करने वाली दोनों पार्टियों के बीच आदान प्रदानकी गई रायों का ठीक ब्यौरा देना संभव नहीं है। यहां यह बता देना उचित होगा कि समझौते में पारस्परिक मैत्री, सौहार्द्रता और स्नेह का वातावरण रहा।

Resignation by Chairman, Agricultural Prices Commission

*285. **Shri Bagri:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Kapur Singh:
Shri P. H. Bheel:
Shri Lahtan Chaudhry:
Shri P. R. Chakravarti:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri M. Rampure:
Shri Mohammed Koya:

Will the Minister of **Food, Agriuclture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Prof. M. L. Dantwala, Chairman, Agricultural Prices Commission has resigned from his post; and

(b) if so, the reasons thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Food , Agriuclture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बिहार में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल

*286. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के 600,000 गन्ना उत्पादकों ने धमकी दी है कि यदि गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं की जायगी तो वे हड़ताल कर देंगे;

(ख) उनको गन्ने का कितना मूल्य दिया जा रहा है और वे कितना मूल्य मांगते हैं,

(ग) उस क्षेत्र में गन्ना उगाने पर प्रति मन कितना खर्चा आता है ; और

(घ) क्या सरकार ने मूल्य का पुनरीक्षण करने की सम्भावना पर विचार किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां । बिहार के ईख काश्तकार संघ ने जनवरी, 1966 में सांकेतिक हड़ताल करने की धमकी दी थी ।

(ख) उनसे गन्ना रु० 5.36 प्रति क्विंटल के भाव पर लिया जा रहा है और उनकी यह मांग है कि चालू सीज़न में यह भाव बढ़ाकर रु० 8.06 पैसे ति क्विंटल कर दिया जाए ।

(ग) यह उपलब्ध नहीं है ।

(घ) यह सम्भव नहीं समझा गया है ।

बी० एम० टी० कमाडिटी कम्पनी, न्यूयार्क

*287. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **विधि** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नैशनल जूट कंपनी लिमिटेड द्वारा बी० एम० टी० कमाडिटी कम्पनी, न्यूयार्क को विदेशी मुद्रा में किये गये अवैध भुगतान के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर क्या कार्यवाही हुई है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : दिसम्बर, 1965 में सुनाया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है । मामले की जांच हो रही है ।

इण्डिया वेल्टिंग एण्ड काटन मिल्ज़ लिमिटेड, सीरामपुर

*288. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि प्रशासन ने सीरामपुर पश्चिमी बंगाल की इन्डिया वेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो किन किन आरोपों के बारे में जांच की गई है; और

(ग) उस जांच के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क), (ख) और (ग) : समवाय विधि बोर्ड ने इन्डिया वेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के मामलों की जांच के लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति नहीं की है । समवाय अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के लिये एक आवेदन मिला है जो विचाराधीन है ।

विश्व बैंक से सहायता

*289. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उर्वरकों के उत्पादन तथा उनकी खरीद और नलकूप लगाने के लिए सहायता प्राप्त करने के एक प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **उर्वरक :**

उर्वरकों की तैयारी तथा क्रय के लिए ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के पास एक प्रार्थना भेजी गई है । ब्योरा निम्न प्रकार है :

1. उर्वरकों की तैयारी :

(1) एक प्राईवेट फर्म सर्वश्री हिन्दुस्तान अलाईड कैमिकल्स, जिसे कोथागुडम में एक उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने के लिए एक लाईसेंस दिया गया था, संयंत्र के मूल्य के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के बारे में पत्र व्यवहार कर रही है ।

(2) एक प्राईवेट फर्म सर्वश्री बिरला ग्वालियर प्राईवेट लिमिटिड, जिसे गोवा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के विषय में लाईसेंस दिया गया था, 150 लाख डालर का ऋण लेने के बारे में इन्टरनैशनल फाईनांस कार्पोरेशन (जोकि विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है) के साथ पत्र-व्यवहार कर रही है ।

2. उर्वरकों का क्रय :

उर्वरकों के आयात के लिए धन राशि लेने के लिए विश्व बैंक को एक प्रस्ताव भेजा गया है । अभी इस विषय में विचार विमर्श हो रहा है ।

(ख) **नलकूपों का निर्माण :**

इन्टरनेशनल डिवैल्पमेंट एसोसिएशन (जोकि विश्व बैंक से सम्बद्ध है) का एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसने 1961 में इन्टरनैशनल डिवेल्पमेंट एसोसिएशन से मिले ऋण से उत्तर प्रदेश में हुई नलकूपों की प्रगति का पुनर्विलोकन किया था, में इन्टरनैशनल डिवैल्पमेंट एसोसिएशन की सहायता से भावी विस्तार की संभावनाओं के बारे में विचार किया है । अभी मामला विचाराधीन है ।

खाद्य स्थिति के संबंध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*290. **श्री दे० शि० पाटिल :**

श्री तुलशीदास जाधव :

क्या खाद्य, **कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की खाद्य स्थिति तथा खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये 13 फरवरी, 1966 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे; और

(ख) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा के सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) निर्णय इस प्रकार है :

(1) खाद्य सम्बन्धी वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्था अभी जारी रखी जाये । हाँ, इसे जारी रखने पर यथाशीघ्र विचार किया जाये ।

(2) केरल में राशन के चावल के भाग को बढ़ाकर प्रति दिन प्रति बालिग मार्च के तीसरे सप्ताह से 160 ग्राम कर दिया जाये ।

(3) चावल की खपत पर प्रतिबन्ध लगाये जायें । किसी भी राज्य में राशन में चावल का भाग 200 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(4) गत सितम्बर में चार प्रतिशत तक चावल के पालिश करने के निर्णय को एक समान रूप से सभी राज्यों में लागू किया जाये ।

(5) विभिन्न राज्यों में पैदा होने वाले धान की किस्मों का नियमित तथा वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनायी जाये ताकि वर्गीकरण में विशेषत: निकटवर्ती में समानता लायी जा सके ।

(ख) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये ये कदम उठाये गये है :

(1) खाद्य क्षेत्रों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा रही है ।

(2) मार्च के तीसरे सप्ताह से केरल में राशन में दिये जाने वाले राशन में चावल की मात्रा बढ़ाने के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है ।

(3) और (4) राज्य सरकारें ये निर्णय कार्यान्वित कर रही है ।

(5) उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० के० रामैया को एक पत्र भेजा गया है कि वह इस समिति की अध्यक्षता स्वीकार करें ।

हल्दिया बन्दरगाह

*291. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० रानेन सेन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प० ह० भील :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेम बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह के विकास के लिये विश्व बैंक से मांगा गया 15 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण के निबंधन तथा शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं, ऋण के लिये विश्व बैंक से बातचीत अभी चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Rationing in Delhi

*292. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Utiya :**
Shri Bagri : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Kishen Pattnayak : **Shri Shiv Charan Gupta :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rationing has been introduced in Delhi;

(b) if so, the total number of ration shops since set up; and

(c) the steps taken to supply foodgrains of good and pure quality to these shops ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) 2,411.

(c) Wheat and rice are issued to the Ration Shops direct from Central Stocks. Samples of wheat-products are periodically drawn from ration shops and the roller flour mills and tested to ensure prescribed standard of quality.

बेकार पड़ी भूमि पर खेती

*293. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 23 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये प्रकार के चारे उगाने के लिये खेती योग्य बेकार पड़ी भूमि पर खेती करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन के स्थान और उन पर किये जाने वाले धन विनियोजन का ब्यौरा क्या है और क्या उस भूमि का स्वामित्व राज्य का होगा अथवा सहकारी संस्थाओं का अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) भारत सरकार ने नये प्रकार के चारे उगाने के लिए खेती योग्य बेकार पड़ी भूमि पर खेती करने के लिए कोई लक्ष्य न निर्धारित किया है, न सिफारिश की है । फिर भी, उन्होंने चारे के संसाधनों के विकास हेतु एक नमूना योजना अपनाने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश की है और चारे की विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी पेश की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

खाद्यान्न का मूल्य

*294. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन स्थानों में, जहां कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू नहीं की गई है, खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों में मूल्यों को उचित स्तर तक घटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जिन स्थानों पर सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू नहीं की गयी है वहां खाद्यान्नों के भावों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गेहूं, बाजरा, मक्का और चने के थोक भावों के अखिल भारतीय सूचकांक में अगस्त, 1965 से दिसम्बर, 1965 की अवधि में गिरावट का रुख आया था। ज्वार की कीमतें न्यूनाधिक स्थिर रहीं जबकि चावल के भावों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रही ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर और उचित स्तर पर रखने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) कुछ राज्यों में धान तथा चावल के अधिकतम मूल्यों को कानून द्वारा नियत करना ।

(2) खाद्यान्नों के आयात को बढ़ाना और केन्द्रीय स्टाकों से अधिक वितरण ।

(3) कलकत्ता, मद्रास, कोयम्बत्तूर, हैदराबाद, सिकन्दराबाद, विशाखापटनम, कानपुर और दिल्ली में कानूनी राशन व्यवस्था लागू करना और केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था आरंभ करना । कानूनी राशन व्यवस्था धीरे धीरे उन सभी बड़े बड़े नगरों में आरंभ कर दी जायेगी जहां की जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक है । यह औद्योगिक नगरों में भी ऐसा किया जायगा । राशन व्यवस्था को एक लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में भी धीरे धीरे लागू किया जायेगा ।

(4) बैंकों द्वारा खाद्यान्नों पर अग्रिम धन दिये जाने पर लगे प्रतिबन्धों को और कड़ा करना ।

(5) केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तन विभाग को सुदृढ़ करना ।

(6) जमाखोरी के विरुद्ध उपायों का करना तथा संक्षिप्त विचारण (समरी टरायल) की व्यवस्था करना । और

(7) वसूली के काम को बढ़ाना ।

निर्वाचन याचिकायें

*295. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री विभूति मिश्र :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पिछले साधारण निर्वाचनों के बाद से अब तक निर्वाचन अधिकरणों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के सामने बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचन याचिकायें अब भी लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उन का निपटारा शीघ्र करवाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि निर्वाचन याचिकाएं अब भी बहुत बड़ी संख्या में लम्बित हैं । किन्तु 1962 के साधारण निर्वाचन से सम्बद्ध 15 निर्वाचन याचिकाएं अभी लम्बित हैं ।

(ख) राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

(i) निर्वाचन अधिकारणों के समक्ष—आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में दो दो याचिकाएं, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर और राजस्थान में एक एक याचिका;

(ii) निर्वाचन अधिकरणों के अंतिम आदेशों से दो अपीलें उच्च न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं—एक जम्मू तथा कश्मीर में और दूसरी उत्तर प्रदेश में;

(iii) उच्च न्यायालयों के अंतिम आदेशों से चार अपीलें उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं । ये मद्रास, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित हैं ।

(ग) तृतीय साधारण निर्वाचन के बारे में निर्वाचन आयुक्त की रिपोर्ट, जिसमें इस सम्बन्ध में सुझाव अन्तर्विष्ट हैं, विचाराधीन है ।

मलयेशिया तथा सिंगापुर में उपलब्ध पत्तन सुविधाओं का अध्ययन

*296. **श्री प० ह० भील :** **श्री सोलंकी :**

श्री नारायण रेड्डी : **श्री कपूर सिंह :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने मलयेशिया तथा सिंगापुर में उपलब्ध पत्तन सुविधाओं का अध्ययन करने के लिये हाल ही में संसद् सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल उन देशों में भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सदस्यों ने अपने पहले कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य किया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग): मद्रास और सिंगापुर के बीच चल रहे जहाज टी० एस० एस० स्टेट आफ मद्रास पर डेक यात्रियों की दशाओं का अध्ययन करने के लिये संसद् सदस्यों और राज्यों के अन्य प्रमुख व्यक्तियों का एक शिष्ट मंडल भेजा गया था । शिष्ट मंडल के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था । शिष्ट मंडल के नेता ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो अभी परीक्षाधीन है ।

मोटरगाड़ी अधिनियम

1226. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कन्नूनर जिले के मोटर गाड़ी मालिकों के द्वारा मोटार गाड़ी अधिनियम का पालन न किये जाने के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कानून का पालन कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केरल सरकार ने उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना केरल राज्य से प्राप्त की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त होगी, सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

त्रिचूर में बर्बाद हुई धान की फसल

1227. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन किसानों ने, जिन की धान की फसल चेत्तिरा, क्विचर में तूफान (साइक्लोन) के कारण नष्ट हो गई थी, त्रिचूर के जिला कलैक्टर को एक अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका आवेदन किस प्रकार का था;

(ग) उनके लिये क्या सहायता कार्य किये गये हैं; और

(घ) भूमि को पुनः खेती करने के योग्य बनाने के लिये किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ): पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में मछली पकड़ना

1228. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में 1964–65 में पिछले सब वर्षों की अपेक्षा अधिक मछलियां पकड़ी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मछलियां पकड़ी गई थीं;

(ग) अनुमानतः उनका मूल्य कितना था;

(घ) क्या शार्क तथा अन्य मछली तेल के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ङ) केरल से 1965 में निर्यात की गई मछलियों का कुल कितना मूल्य था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) 4.02 लाख मीट्रिक टन ।

(ग) 7.29 करोड़ रुपये ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) 1964–65 में 5.04 करोड़ रुपये ।

केन्द्रीय सड़क निर्माण संगठन

1229. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश के विभिन्न भागो में सड़कों के निर्माण के लिये एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निर्माण और आवास मंत्रालय ने इसे स्वीकृति नहीं दी क्योंकि मंत्रालय आसानी से यह कार्य कर सकता है; और

(ग) क्या दोनों मंत्रालयों में कोई समझौता हो गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : राजस्थान में एक केन्द्रीय सड़क निर्माण विभाग स्थापित करने की योजना विचाराधीन रही है । निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय ने यह विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय लोक निर्माण की फालतू क्षमता का उपयोग राजस्थान की सड़कों के निर्माण के लिये किया जाय । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की फालतू क्षमता को अन्य निर्माण कार्यों में अति उत्तम तरीके से उपयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

लन्दन के अनाज की ढुलाई सम्बन्धी विशेषज्ञ

1230. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तौर पर तथ्यों का पता लगाने के लिये अनाज की ढुलाई सम्बन्धी लन्दन के एक विशेषज्ञ हाल में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके यात्रा का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उन्होंने क्या सुझाव दिये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): देश की वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सहित अनेक देशों से सहायता मांगी है । जिन मदों के लिए सहायता मांगी गयी है उनमें से बन्दरगाहों पर बहुत बड़ी मात्रा में आयातित खाद्यान्नों को उतारने के लिए अपेक्षित यन्त्रीकृत उपकरण भी मांगे गए है । इस प्रार्थना के संदर्भ में यू० के० सरकार ने जनवरी, 1966 में भारतीय बन्दरगाहों की हैण्डलिंग क्षमता और अनाज हैण्डलिंग के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मशिनरी और उपकरण की अनुमान लगाने के लिए जो अमरीकी विशेष खाद्य मिशन इन बन्दरगाहों का दौरा करने के लिए आया था उसके साथ अपना एक विशेषज्ञ भेजा था ।

(ग) इस विशेषज्ञ ने भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है ।

सूखा क्षेत्रों के लिये अमरीका से सहायता

1231. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सूखे से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी एजेन्सी ने 54,000 टन गेहूं शीघ्र भेजने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गेहूं की सप्लाई की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस गेहूं के भारत में कब उपलब्ध होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इस देश में सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में वितरण करने के लिये 54,000 मीटरी टन गेहूं आबंटित किया है और न कि अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी एजन्सी ने। इस आवंटन की लगभग 42,000 टन की पहली किश्त देश में माच के महीने में पहुंचने की सम्भावना है। शेष मात्रा का लदान बाद में होगा जोकि यहां अप्रल में पहुंचेगी ।

मछली, झींगा मछली और समुद्री केकड़े

1232. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में लंबी तट रेखा पर मछली, झींगा मछली और समुद्री केकड़े बहुत पाये जाते हैं जो केवल खाने के लिये ही उपयोगी नहीं बल्कि उनका निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जा सकता है;

(ख) क्या जीवाणुओं द्वारा दूषण के कारण ये बड़ी मात्रा में खराब हो जाते हैं और फिर ये देश में खपत और निर्यात के लिये उपयोगी नहीं रहते; और

(ग) इस बारे में स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्थिति सुधारने के लिए समुद्र तट के साथ साथ ठंडे और प्रशीतित मत्स्य गोदाम स्थापित करने और शीतताप रेल तथा सड़क परिवहन चालू करने का विचार है ।

पशुओं के लिये चारा

1233. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज़रायल ने 'केकटी' की एक नई किस्म निकाली है जिसका पशुओं के सामान्य किस्म के चारे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी इसी किस्म के चारे के बारे में प्रयोग हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमि परीक्षण यंत्र

1234. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पैकेज प्रोग्राम के सघन क्षेत्रों में चलते फिरते भूमि परीक्षण यंत्रों (सैट) की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये यंत्र काम के लिए तैयार हैं ; और

(ग) उनको किस प्रकार से काम में लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां । सघन कृषि के क्षेत्रों में चलती फिरती भूमि परीक्षण एककों की स्थापना करने की एक योजना विचाराधीन है । योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने तथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था होने के पश्चात् इस योजना को कार्यरूप दिया जायेगा ।

(ग) योजना के अनुसार शुरू में देश के प्रत्येक ज़िले में एक चलती फिरती भूमि परीक्षण एकक की स्थापना होनी है । अन्त में प्रत्येक खण्ड में ऐसी एकक की स्थापना की जायेगी । प्रत्येक एकक एक मानक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला से सम्बध्द होगी। योजना की क्रियान्विति के कार्यक्रम में सघन कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रयोगशलाओं तथा उन क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जहां उर्वरकों की खपत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है ।

ग्रामदान आन्दोलन

1235. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामदान आन्दोलन के अधीन संविधिक ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की कार्य-प्रणाली तथा संगठन में क्या अन्तर है; और

(ख) इन दो प्रकार की संस्थाओं के गुण और दोष क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) सभी राज्यों में प्रत्येक गांव अथवा गांवों के समूह के लिए सांविधिक ग्राम पंचायतें होती हैं, जबकि ग्रामदान आन्दोलन के अन्तर्गत ग्राम सभाएं उनके अपने अधिनियम के अधीन आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक ग्रामदान गांव के लिए स्थापित की जाती हैं । ग्राम पंचायतों में निर्वाचित पंच तथा एक सरपंच होता है;

ग्रामदान गांवों की ग्राम सभाओं, जिन्हें कुछ राज्यों में ग्राम परिषदें/मण्डल कहा जाता है, में उस गांव के वे व्यक्ति होते हैं जो उस गांव में रहते हैं अथवा वहां भूमि के मालिक हैं अथवा जिन्होंने वहां भूमि का दान ग्रामदान के रूप में दिया हो। इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अपना प्रधान, कार्यकारिणी और अन्य समितियां (यदि हों) होती हैं। ग्राम पंचायतें विकास कार्यों की गतिविधियों के अलावा नागरिक कार्य भी करती हैं; ग्रामदान गांवों में ग्राम सभाओं का मुख्य कार्य भूमि प्रबन्ध तथा विकास और गांव की सामाजिक व आर्थिक उन्नति होती है। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं के आमदनी के अपने अपने निश्चित साधन होते हैं। ग्रामदान गांवों की ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं का अपने-अपने विधानों के अधीन संवर्ती क्षेत्राधिकार होता है, किन्तु कानून में यह व्यवस्था है कि ग्राम सभाएं ग्राम पंचायतों के कार्यों को अपने हाथों में ले सकती हैं।

(ख) ग्राम पंचायत प्रशासन की एक अधिक सुगठित इकाई होती है; दूसरी ओर ग्राम सभा का आधार अधिक व्यापक होती है; तथापि इनमें से प्रत्येक संस्था के लिए इस बात की व्यवस्था है कि वे एक दूसरे की प्रतिरूप है। ग्रामदान के विशिष्ट संदर्भ में ग्राम सभाएं अधिक उपयुक्त हैं।

आदर्श राज्य फार्म

1236. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चल रहे आदर्श राज्य फार्मों के उत्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार को विदित है कि बहुत से राज्यों में ऐसे फार्मों में ठीक प्रकार काम न होने के कारण किसानों में सरकारी कार्य-व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा नहीं किया जा सका है; और

(ग) ऐसे कौन से उपाय किये जा रहे हैं जिनसे उनमें सुधार हो सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : सुधरे कृषि तरीकों का प्रदर्शन करने के लिए देश में 4,000 बीज वृद्धि फार्म पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं जो आदर्श फार्मों के रूप में हैं। योजना आयोग तथा अन्य विशेषज्ञों के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, बीज वृद्धि दल (प्लान परियोजनाओं पर समिति) जैसे विभिन्न विशेषज्ञ निकायों ने इन फार्मों की अन्य बातों के साथ-साथ प्रगति पर पुनर्विचार किया जो कमियां निकली उनके सुधार के लिए इन विशेषज्ञ निकायों ने सुझाव दिए, इन फार्मों की बेहतरी के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार ने तैयार किया और राज्यों को भेज दिया। सुधार हेतु जो विभिन्न तकनीकी तथा संगठित उपाय अपनाने के लिए सिफारिश की गई है वे ये हैं :

(1) सिंचाई तथा स्टोर्स का पूरा होना और अच्छे प्रबन्ध के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था।

(2) फार्मों में खेती के लिए उपलब्ध समस्त भूमि का सुधार।

(3) बाड़ लगाने की व्यवस्था।

(4) पर्याप्त फार्मिंग के लिए आवश्यक अन्य औजारों की व्यवस्था।

राज्यों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे संकेत मिलता है कि फार्मों के आगे विकास तथा सुधार के लिए उनके द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

खाद्यान्न का उत्पादन तथा खपत

1237. **श्री सेज्जियान :**

श्री राजा राम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1964–65 में प्रत्येक राज्य में चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन तथा खपत के आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : एक विवरण, जिसमें 1964–65 की अवधि में चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन के विषय में राज्यवार जानकारी दी गई है, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5630/66]** चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत के विषय में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु फरवरी, 1966 में खाद्य और कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा प्रकाशित "खाद्य स्थिति का पुनर्विलोकन" नामक पुस्तिका में विभिन्न राज्यों में 1965 तथा उससे पहले के वर्षों के धान्यों के प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब के आंकड़े दिये गये हैं । इस पुस्तिका की प्रतियां संसद् सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं ।

"Miss-A-Meal" Campaign

1238. **Shri D. S. Patil :**

Shri M. L. Jadhav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have suggested to the Sttate Governments to start a campaign to miss a meal in one more day in addition to that on Monday evening; and

(b) if so, the reaction of the State Governments in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बम्बई-कन्याकुमारी सड़क पर पुल

1239. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-कन्याकुमारी सड़क पर कितने और किस किस स्थान पर पुल बनाये जायेंगे; और

(ख) पुल कब बन कर तैयार हो जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तनूर और पराप्पननजड़ी के बीच पुल

1240. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि तनूर और पराप्पननजड़ी के बीच पुल बनाये जाने पर ही केरल में कुट्टीपुरम और कालीकट को सीधी सड़क द्वारा मिलाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पुल चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा; और

(ग) क्या इस पुल के महत्व को ध्यान में रख कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : केरल राज्य में पराप्पननजड़ी और तनूर के बीच में प्रस्तावित पुल बन जाने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा । अतः इस मामले से मुख्यतः केरल की सरकार का सबन्ध है । उनके द्वारा बतलाई स्थिति के अनुसार वे इस पुल योजना को अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में रखना चाहते हैं । इसे उच्च प्राथमिकता मिलने में सन्देह है क्योंकि कुट्टीपुरम और कालीकट के बीच तिरूरन्गादी होते हुये सड़क मौजूद है ।

Protein From Green Leaves

1241. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the Chemistry Department of the Calcutta University has discovered some method to extract protein from green leaves;

(b) if so, the particulars thereof ; and

(c) whether this can be used to make up the deficiency of protein in the food of the poor people in the country at a very little cost ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) Protein is prepared from leaf extracts by precipitation.

(c) The approach is only on an experimental stage at present and is not ready for practical application.

Kisan Diwas

1242. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to celebrate "Rajendra Babu Jayanti" as "Kisan Diwas";

(b) if so, whether Government propose to give some additional help to the peasants in this way; and

(c) if not, the reasons to celebrate the said "Jyanti" as "Kisan Diwas" ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) It has not been considered necessary.

किसानों के लिये ऋण सुविधायें

1243. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को सिंचाई प्रयोजनों के लिये आसान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में किसी योजना पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) व (ख) : सहकारी संस्थाएं (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और भूमिबन्धक बैंक) काश्तकारों को सिंचाई कार्यों, जैसे कुएं खोदने, तेल के इंजिन तथा पम्प सेट लगाने, फील्ड चेनल बनाने आदि, के लिए मध्य तथा दीर्घकालीन ऋण देती हैं । राज्य सरकारें भी लघु सिंचाई कार्यों के लिए ऋण देती हैं । हाल ही में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई सम्भावनाओं के उपयोग हेतु आयकट विकास की एक योजना तैयार की गई है जो चुने क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर चलायी जानी है । इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात सिंचाई कार्यों के लिए अपेक्षित वित्त की व्यवस्था करना है । जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं अपेक्षित वित्त सुलभ नहीं कर सकती हैं, वहां राज्य सरकारों को आवश्यक ऋण देने होंगे । इस बारे में राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

रेडियो टेलीस्कोप

1244. **डा० श्री निवासन :**
श्री परमशिवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक रेडिओ टेलीस्कोप स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां और कब स्थापित किया जायेगा तथा उस पर कितना खर्च आयेगा और अन्य ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) कोदायकनल की ताराभौतिकीय वेधशाला पर 1967 के अन्त तक एक रेडियो टेलिस्कोप स्थापित करने का प्रस्ताव है। रेडियो टेलिस्कोप की अनुमानित लागत लगभग 1,15,000 रुपये होगी।

भारत में लकड़ी की कीमत

1246. श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री लाटन चौधरी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरदून स्थित लट्ठे बनाने की प्रशिक्षण परियोजना से सम्बन्धित स्वीडन के विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किया है कि भारत में लकड़ी की अधिक कीमत का कारण यह है लट्ठे बनाने के तरीके अच्छे नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने लट्ठे बनाने के तरीकों में सुधार करने के लिये क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) क्या प्रशिक्षण तथा प्रयोगों के लिये स्वीडन को विशेषज्ञों का एक दल भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) देहरादून स्थित लट्ठे बनाने की प्रशिक्षण परियोजना से सम्बन्धित स्वीडन के विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किया है कि भारत में लकड़ी की अधिक कीमत का कारण यह है कि लट्ठे बनाने के तरीके अच्छे नहीं हैं।

(ख) निम्नलिखित तरीके सुझाए गए हैं :—

(1) लट्ठे बनाने की प्लानिंग तथा कार्यकौशल-अध्ययन में सुधार।

(2) वृक्षों के फैलिंग तथा क्रौस कटिंग जैसे लट्ठे बनाने में सुधार।

(3) ट्रैक्टर तथा ट्रक खिचाई।

(4) सफरी लकड़ी चीरने की मशीन।

(5) पहाड़ी भूभागों में जहां सम्भव हो इमारती लकड़ी का हवाई परिवहन।

(ग) विशेषज्ञों का दल स्वीडन भेजने का कोई अलग प्रस्ताव नहीं है। फिर भी "लट्ठा बनाने के प्रशिक्षण केंद्र" परियोजना के अंतर्गत कुल 48 मैन-मन्थस विदेशों में फैलोशिप्स के लिए व्यवस्था की गई है।

British India Corporation

1247. Shri Kishen Pattnayak : **Shri Madhu Limaye :**

Dr. Ram Mohnohar Lohia : **Shri Bagri :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the British India Corporation is facing some financial difficulties and prices of the shares of industries functioning under its control are going down in the market ; and

(b) if so, the precautions being taken by Government to safeguard the Government money invested in this Corporation ?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) The financial results of the British India Corporation during 1965 are likely to show a substantial reduction in profits compared to previous years. Though the Corporation cannot be said to be facing financial difficulties yet, the borrowings as well as the current liabilities continue to remain at a high level.

(b) The Situation is being watched.

मालदा से आसाम तक राष्ट्रीय राजपथ

1248. **श्री वसुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालदा से दार्जिलिंग तथा आसाम तक जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ का केवल एक छोटा सा भाग बिहार राज्य से होकर निकलता है जिसके लिये पश्चिम बंगाल के मोटर-लारी मालिकों को सीमा-चौकी पर नियुक्त बिहार पुलिस बुरी तरह परेशान करती है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य से होकर एक सीधी सडक निकालने की व्यवस्था किये जाने पर ऐसी स्थिति को टाला जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी एक सड़क की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : स्थिति को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) मालदा से दार्जिलिंग तक का रास्ता डालखोला तक राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 34 में पड़ता है और डालखोला पर यह रास्ता राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 31 से मिल जाता है, जो बिहार में बरही से शुरू होता हुआ बरोनी, पूर्निया, डालखोला किशनगंज, सिलिगुड़ी और कूच बिहार होता हुआ गोहाटी जाता है। सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग तक की सड़क पश्चिम बंगाल में राज्य सड़क है। राष्ट्रीय मुख्य मार्ग सं० 31 डालखोला और सिलिगुड़ी के बीच 5 मील तक किशनगंज कस्बे से होकर जो बिहार राज्य में है, निकलता है। भारत सरकार को ज्ञात नहीं है कि पश्चिम बंगाल से आने वाले सड़क यातायात को इस सड़क के इस भाग में कितनी कठिनाई होती है।

(ख) और (ग) : चूंकि राष्ट्रीय मुख्य मार्ग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक के यातायात के लिये होते हैं अतः उनकी संरेखण किसी एक राज्य की सीमाओं के अन्दर ही नहीं रखा जाता है। चूंकि राष्ट्रीय मुख्य मार्ग सं० 31 के किशनगंज कस्बे से गुजरने वाले भाग में भीड़भाड़ रहती है इसलिये किशनगंज के बाहर एक बाहरी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि इस बाहरी सड़क का संरेखण इस प्रकार किया जाय कि वहां पूर्णरूप से पश्चिम बंगाल के अन्दर ही पड़े जिससे राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 31 के डालखोला और सिलिगुड़ी के बीच के भाग का कोई हिस्सा बिहार में न पड़े। राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के विकास की योजना में बाहरी सड़कों की व्यवस्था को सामान्यतया निम्न प्राथमिकता दी जाती है।

Reclamation of Barran Land

1249. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the area of barren lands so far reclaimed under the land reclamation and development scheme; and

(b) the estimated quantity of food-grains to be produced as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) The estimated area of land that would be reclaimed and developed by end of 1965-66, as a result of the land Reclamation and Development Schemes in the country would be 8.1 million acres.

(b) The anticipated additional argicultural production from these lands would be on an average 2·025 million tonnes.

Potato Seeds

1250. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that potato seed "Great Scot" has developed some serious disease which has adversely affected the prospects of its crop;

(b) if so, the steps taken to eradicate this disease; and

(c) the places where "Great Scot" is grown in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) Yes. A very serious pest known as "Golden nematode" has been found to be parasitiging on Great Scot potato. Another disease known as "Late blight" also annually infects crops of Great Scot.

(b) & (c). The cultivation of the Great Scot variety is confined to the Nilgiri District of Madras State in a little over 22,000 acres. Out of 16,400 acres so far surveyed, 931 acres are found to be infested with golden nematode. The only method of eradicating the pest is by chemical treatment of the soil. Proposals for undertaking an eradication programme are under the active consideration of the Government of Madras.

"Late blight" is effectively controlled by the use of chemical sprays, the schedule of which in regard to the kind of chemicals and time and frequency of spray has now been worked out.

केरल में मछली पकडने वाली नावों का निर्माण

1251. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मछली पकड़ने वाली नावों के निर्माण सम्बन्धी परियोजना में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) नावों का निर्माण कब शरू हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रखी जाएगी।

अमरीका से खाद्यान्न

1252. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 के दूसरे सप्ताह में अमरीकी सरकार ने भारत को शीघ्र खाद्यान्न पहुंचाने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं में छूट दी,

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार की छूट थी, और

(ग) यह कितनी मात्रा थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां।

(ख) संयक्त राज्य अमेरिका सरकार ने खरीद प्राधिकरण के जारी होने की तारीख से सामान्य 7 दिनों की प्रतीक्षा किए बिना खाद्यान्न खरीदने की हमें छूट दी है।

(ग) इस मात्रा में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं और एक लाख मीट्रिक टन माइलो था।

गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग

1253. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबर के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में एक विधान पेश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विधान कब पेश किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :
(क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Restrictions on Movement of Foodgrains

1254. Shri Bade : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have imposed restrictions on the movement of foodgrains from and to Delhi; and

(b) if so, the resons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) For the purposes of movement of rice, wheat and wheat products, the Union Territory of Delhi formed part of the Northern Zone comprising the State of Punjab and the Union Territories of Delhi and Himachal Pradesh. However, export of rice, paddy, wheat, gram, jowar, bajra, maize and barley including products thereof was prohibited from the Union Territory of Delhi in order to conserve supplies. The restrictions were further modified in respect of wheat, atta, maida, suji, rawa and rice as part of the administrative arrangements for the enforcement of statutory rationing.

Rationing in Delhi

1255. Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the difficulties experienced by the rationing department of Delhi in the fair distribution of foodgrains, etc. after the introduction of rationing in Delhi;

(b) the steps being taken by Government to remove them; and

(c) the reasons for the non-availability of one or more items of ration in ration shops resulting in inconvenience to the consumers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) No special difficulties were experienced by the Ration Department of Delhi.

(b) Does not arise.

(c) No case has come to the notice of the Government of non-availability of items of ration that have been offered to the rationees.

Book Stalls at Airports

1256. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the agencies for book-stalls at various airports namely, Calcutta, Delhi, Madras and Bombay have been given to such parties who do not keep books of Hindi and of other Indian languages; and

(b) if so, whether Government propose to provide facilities to the people speaking Hindi or other Indian languages to sell books at the above places ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उचित मूल्य की दुकानें

1257. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा स्थापित कृषि आर्थिक केन्द्र ने, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उचित मूल्य की दुकानों के कार्यों का अध्ययन किया है;

(ख) क्या यह पता चला है कि ईमानदार व्यक्ति उचित मूल्य की दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं क्योंकि सरकार उन्हें बहुत कम मुनाफा देती है और वे अनुचित तरीके नहीं अपनाना चाहते हैं;

(ग) क्या अध्ययन दल ने दुकानदारों के मुनाफे की मात्रा बढ़ाने का सुझाव दिया है;

(घ) अध्ययन दल ने और दूसरे क्या सुझाव दिये हैं; और

(ड़) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ड) : सरकार द्वारा स्थापित की गयी उचित मूल्य की दुकानों की अध्ययन टोली ने सभी कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रों से प्रार्थना की है कि वे उचित मूल्य की दुकानों के कार्यचालन का शीघ्र ही सर्वेक्षण करें। आशा है कि ये केन्द्र अध्ययन टोली के अध्यक्ष को सीधे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । क्योंकि अध्ययन टोली ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है इसीलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि किन कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रों ने अध्ययन टोली की प्रार्थना पर सर्वेक्षण किए हैं या उन के क्या निष्कर्ष हैं।

पैकेज योजनाओं में सम्मिलित क्षेत्र

1258. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पैकेज" कार्यक्रम की प्रगति में बाधक मुख्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) जिन गांवों में बिजली लगाई जाती है उन में कुंओं और नलकूपों के लिये भविष्य ऋण की किस हद तक व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या आयातित उर्वरकों के बारे म सघन खेती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सघन खेती जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) जो तीसरी योजना के आरंभ चालू किया गया था के अन्तर्गत संतोषजनक प्रगति हुई है। फिर भी कछ रूकावटें खड़ी हो गई है जिनसे प्रगति धीमी हो गई है। बड़ी बड़ी समस्याएं ये है जैसे पर्याप्त संख्या में तकनीकी कर्मचारियों का न मिलना, कर्मचारियों के स्थानान्तरण, ऐसे वितरण केन्द्रों की कमी कि जहां से किसानों को सुगमता से आवश्यक वस्तुएं विशेष रूप से उर्वरक मिल सके और सरकारी संस्थाओं की दुर्बलदशा।

कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय उपरोक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखा जाता है और उन्हें हटाने के लिये ये उपाय किये गये थें :—

(1) राज्य सरकारे सघन खेती जिला कार्यक्रम वाले जिलों को वहां पर अनुभवी व्यक्तियों को तैनात करती हैं और जिलास्तर पर विषय विशेषज्ञों और खण्ड स्तर पर कृषि विस्तार अधिकारियों को लगाय जाता है।

(2) कार्यक्रम के आरंभ से ही कर्मचारियों को विभिन्न स्तर पर प्रक्षिण देने की की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, यह विशेषत: कृषि विस्तार अधिकारियों तथा ग्राम स्तर अधिकारियों के लिये है। इससे उनकी योग्यता बढ़ाती है। जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर प्रत्येक सघन खेती जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) कई ज़िलों में कर्मचारियों के बदलने के कारण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के स्थानान्तरण को यथासंभव कम करने की कोशिश की है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने हिदायतें जारी की है कि कर्मचारियों को कम से कम तीन वर्षों से पहले तबदील न किया जाये।

(4) कृषि सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ आदि को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिये जमा करने के मालगोदाम बना दिये गये है या बनाये जा रहे हैं। यह मंडी। रेल और ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। अब तक 2,073 देहाती गोदाम तैयार हो चुके हैं। हाल ही केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है ताकि सघन खेती क्षेत्रों में इस कार्य को बढ़ाया जा सके।

(5) राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के आरंभ होने के साथ साथ सहकारी संस्थाओं को सुदढ़ बनाने का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है ताकि वे किसानों को उधार तथा मंडी की सुविधाएं उपलब्ध कर सकें। इसके फलस्वरूप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण अधिक दिया जाने लगा है। सघन खेती जिला कार्यक्रम वाले जिलों में अल्पावधि का ऋण 1961-62 में 12·78 करोड़ रुपय था और यह 1964-65 बढ़कर यह 16·50 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी दुर्बल सहकारी संस्थाओं वाले क्षेत्रों में किसानों की मांगें पूरी नही हो सकी है। ऐसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के ऋण के साथ साथ सरकार की ओर से तकावी द्वारा सहायता दी जा रही है।

(ख) जहां हो सकता हो कुएं खोदने और नलकूप लगाये जाने पर बल दिया जा रहा है। इस कार्य को बढ़ाया देने के लिये राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे भमिगत जल का सर्वेक्षण करें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्युतचलित नलकूपों से भूमिगत पानी से कुशलता से कार्य होता है, ऐसे नलकूप लगाने पर विशेष बल दिया जायेगा। राज्यों की सरकारों से कहा गया है न्यूनतम खर्च से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये विद्युतचलित नलकूपों के लगाने के कार्यक्रम में तालमेल लाये। देहाती क्षेत्रों को बिजली की मंजूरी देते समय ध्यान रखना चाहिये कि वहां भूमिगत जलक्षमता है और विद्युतचलित नलकूप/सेट लगाये जा सकते हैं।

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय पूल से उर्वरक देने के बारे में नीति विचाराधीन है। सघन खेती वाले क्षेत्रों और अधिक लाभ कार्यक्रम वाले क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रस्ताव है। पूल के देशी तथा आयात किये हुए स्टाल से यह बंटन किया जाता है।

ऊसर भूमि में खेती किया जाना

1259. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बारिअर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दशरथ देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी ऊसर भूमि गैर-सरकारी संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों को देने के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं; और

(ग) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : इस विषय में विचार किया गया था परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया।

पश्चिम बंगाल को उर्वरकों का संभरण

1260. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल की रासायनिक उर्वरकों के सम्भरण की मांग गत वर्ष पूर्ण रूप से पूरी नहीं की गयी;

(ख) क्या इस बारे में पश्चिम बंगाल के खाद्यान्न आयुक्त ने इसके विरोध में केन्द्र को अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अगले वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल का कोटा बढ़ा दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1964-65 की अवधि में 52,150 मीटरी टन नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की मांग की थी, परन्तु उर्वरकों की आम कमी के कारण राज्य सरकार को केवल 24,65क मीटरी टन नाईट्रोजनपूरक खाद का नियतन किया जा सका।

(ख) और (ग) : जी नहीं। परन्तु 1965-66 की अवधि में पश्चिम बंगाल को 34,384 मीटरी टन नाईट्रोजनपूरक खाद दी गई है। आशा है 1966-67 में स्थिति में सुधार हो जायेगा।

भारत का बीज निगम

1261. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बीज निगम ने गेहूं और धान के बीजों की बढ़िया किस्मों का उत्पादन तथा सप्लाई आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें आने वाले वर्ष के लिए बीजों का उत्पादन तथा संग्रह कर लिया है;

(ग) बीजों का कितना उत्पादन किया गया है; और

(घ) किन राज्यों में इनका वितरण किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने अब तक धान बीजों की केवल एक सुधरी किस्म टाइचुंग नेटिव 1 (ठेके के उत्पादकों के द्वारा) का उत्पादन कार्य शुरू किया है। अगले वर्ष गेहूं के बीज की सुधरी किस्मों का उत्पादन करने की उसने योजना बनाई है।

(ख) फसल खेत में है। बीजों की उपलब्धि अप्रैल, 1966 से शुरू होगी।

(ग) 18,000 टन पूर्वानुमानित उत्पादन में से लगभग 9,000 टोन्ज़ टाइचुंग नेटिव 1 धान बीज प्राप्त होने की आशा है।

(घ) ये बीज महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, यू०पी०, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार राज्यों में बांट दिये जायेंगे।

Exhibition of Non-cereal Foods

1262. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwar Nand :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to hold an exhibition of non-cereal foods in different parts of the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) & (b). Yes, Sir. Steps to organise exhibitions on non-cereals foods as well as recipes using less cereals are being taken in consultation with the Institutes of Catering Technology and Applied Nutrition. One such exhibition is being organised at Bombay on March 6 by the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Bombay.

Supply of Bajra, Maize in ration

1263. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give some quantity of ration in the form of coarse grains like barley, gram, maize and bajra in order to save consumption of wheat to certain extent; and

(b) if so, the time by which the coarse grains will be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) & (b). There is no proposal to issue coarse grains as part of the ration in the areas where statutory rationing has been introduced so far.

Agricultural Implements

1264. Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Subodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi : **Smt. Savitri Nigam :**
Shri S. C. Samanta : **Shri P. C. Borooah :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research organised a design research and improvement competition in agricultural implements and machines in 1964-65;

(b) whether its results have been announced; and

(c) if so, the items which get prizes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) & (b). Yes.

(c) No entry was considered suitable for the award for the first three prizes. The remaining prizes where awarded to the following :—

Fourth Prize	Multi-grain four rows seed-drill.	Division of Agricultural Engineering, IARI, New Delhi.	Rs 1,500

			Rs.
Fifth Prize	Sigma Power Spray Pump.	M/s. Sigma Steel Industries, A-2 Industrial Estate, Ludhiana (Pb.)	1,000
Sixth Prize	Master Seed-*cum*-fertilizer Drill.	M/s. Scientific Agencies, Hazarat Ganj, Lucknow (UP)	500

The following were awarded certificates of commendation :

Maharashtra Tankan Yantra	Shri K. D. Shinde, Maharashtra Tankan Yantra, Market Yard, Industrial Area, Karad, District Satara (Maharashtra).
Automatic Seed drilling Box	Shri S. K. Palanitkar, Project Officer, Groundnut Package, Gwalior (M.P.)
Seed-*cum*-fertiliser Drill	Shri S. R. Gunti, 128, Mahatma Gandhi Road, North, P. B. 39, Secunderabad-3 (A.P.).
Green Manuring made easy	Shri M. B. Tippanapar, Agronomist, Minor Irrigation and Water Use, College of Agriculture, Dharwar (Mysore).

अनाज रहित भोजन को लोकप्रिय बनाना

1265. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज रहित भोजन को लोकप्रिय बनाने तथा खाद्य पदार्थों की बरबादी रोकने के लिये कोई कदम उठाए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) : जी हां। देश में चुने हुए समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करा कर बिना अनाज के भोजन तथा ऐसे भोजन जिन में कम अनाज प्रयुक्त होता हो, को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। अनाज रहित पकवानों की सूचियां उनकी पौष्टिक और उष्णीय महत्ता को ध्यान में रखकर, तैयार की गयी हैं। ये सभी प्रादेशिक भाषाओं में वितरण करने के लिए प्रकाशित करायी गयी है ताकि यथासम्भव अधिक से अधिक लोक इससे लाभान्वित हो सकें।

चलती फिरती खाद्य तथा पोषाहार विस्तार गाड़ियां और खान-पान औद्योगिकी तथा व्यवहारिक पोषाहार संस्थान द्वारा संगठित सुव्यवस्थित अभियानों से सरकार अनाजों की अत्यधिक खपत को कम करने और पौष्टिकता में सुधार करने के लिए सहायक खाद्यों का प्रचार कर रही है। ये अभियान फलों तथा सब्जियों के परीक्षण करने और विशेष तौर से खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने पर जोर देते हैं। प्रदर्शन इन कार्यक्रमों की विशेष विशिष्टता है। इस समस्या के इस पहलू पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए "भोजन सभी के लिए लेकिन कोई भी इसे बर्बाद न करे" (फूड फार आल बट नन टू वेस्ट) के शीर्षक से एक डाकोमेन्टरी फिल्म तैयार की जा रही है। प्रदर्शनियां भी लगायी जा रही हैं।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी सलाह दी है कि वे खाद्यान्नों की खपत में किफायत बरतें और उनकी बर्बादी को भी रोकें।

सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों से जनता की पर्याप्त अभिरुचि है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये मकान

1266. **श्री उमानाथ :**
श्री मधु लिमये :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती ममूना सुलतान :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री बड़े :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण के समय से ही इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन सदा अपने कर्मचारियों को मकान देने का बचन देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनको मकान देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगम के कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि-मंडल दिसम्बर, 1965 में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री से मिला था और यह प्रश्न उनके सामने रखा था; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन अपने कर्मचारियों के लिए रहने के मकानों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करता रहा है लेकिन विभिन्न कारणों से, खासकर जमीन न मिलने के कारण अधिक प्रगति नहीं की जा सकी।

(ग) जी, हां।

(घ) कारपोरेशन का सबसे पहले, चार मुख्य स्टेशनों, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मकानों के बनाने का विचार है। दिल्ली में 1960 में ही एक जमीन का हिस्सा प्राप्त किया गया था लेकिन इसे मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन ने ले लिया। कारपोरेशन बड़े प्रयत्नों के बाद, मुनीरका ग्राम में 27.2 एकड़ जमीन प्राप्त कर सका है और उन्होंने इसके लिए भूमि और विकास कार्यालय, नयी दिल्ली में 29-12-65 को 67,46,990 रुपये जमा कर दिये हैं। वे अब जमीन को लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कलकत्ता में भी शुरू में चुने हुए स्थानों को विभिन्न कारणों से छोड़ना पड़ा। अब नागर विमानन के महानिदेशक से प्राप्त जमीन के एक खाली हिस्से में क्वार्टरों का निर्माण करते हुए शुरूआत की गयी है।

बम्बई में जमीन नागर विमानन के महा निदेशक से पट्टे पर ली गयी है और 150 लाख रुपये की लागत की इस प्रायोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

मद्रास में राज्य सरकार से 16.9 एकड़ जमीन खरीदी गयी है और एक आवास कालोनी बनाने के लिए उसके विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

रामेश्वरम् और तलैमन्नार के बीच नौका व्यवस्था

1267. **श्री उमानाथ :**

श्री बाल कृष्णन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम् और तलैमन्नार के बीच नौका व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव भारतीय जहाजरानी निगम के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित सेवा को शुरू करने का प्रयोजन भारत और श्री लंका के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग स्थापित करना है।

(ग) प्रारंभ में यह सेवा सप्ताह में दो बार चलेगी।

केरल में कृषि फसलों के लिये धातुमूल (बेसिक स्लेग)

1268. **श्री उमानाथ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विभिन्न कृषि फसलों के लिए धातुमूल (बेसिक स्लेग) को इस्तेमाल करने के परीक्षणों से प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फसलों में इसको इस्तेमाल किया गया था;

(ग) प्रत्येक फसल में प्रति एकड़ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या केरल में इस्तेमाल के लिए सरकार ने पश्चिम जर्मनी से धातुमूल के आयात की अनुमति दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो कितने धातुमूल के आयात की अनुमति दी है;

(च) क्या इसमें कुछ विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(छ) यदि नहीं, तो किस आधार पर और किन शर्तों पर आयात की अनुमति दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। थामस खाद स्कीम आफ इण्डिया ने थामस फासफेट, जिसे प्राय : 'बेसिक स्लेग' कहा जाता है (और जो नमूने के रूप में मुफ्त सप्लाई किया गया था) पर कुछ प्रदर्शन परीक्षण किये थे। ये परीक्षण धान, गन्ना, अमरूद, फलों, सब्जियों तथा टोपिओका आदि कुछ फसलों पर कृषकों के खेतों में कृषि महाविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थान, वेलायानी, त्रिवेन्द्रम के कृषि रासायनिक की देख-रेख में किये गये थे। इन प्रदर्शनों से उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। एक ऐसा विवरण जिसमें थामस फासफेट (बेसिक स्लेग) तथा अन्य फास्फटिक उर्वरकों के तुलनात्मक परिणाम दिये गये हैं, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 5631/66**]

(घ) से (च) और (छ) : सर्वश्री थामस खाद स्कीम ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ने 1965-66 में केरल में वितरण के लिए पश्चिम जर्मनी से 2,000 मीटरी टन थामस फासफेट (बेसिक स्लेग) के आयात के लिए अनुमति की प्रार्थना की थी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत सरकार ने 3 से 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष बारटर आधार पर जर्मनी से उच्च श्रेणी के 2,000 मीटरी टन बेसिक स्लेग के आयात के विषय में विचार करना मान लिया है परन्तु यह तभी हो सकेगा जब कि भारत सरकार बारटर आधार पर निर्यात की जिनसों के बारे में सहमति प्रकट करे। इस मामले पर विचार हो रहा है।

विद्यार्थियों द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन

1269. **श्री कर्णी सिंहजी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छुट्टियों तथा अवकाश के समय में विद्यार्थियों द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन में सहायता करने का योजना तैयार करने के बारे में उपकुलपतियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सरकार ने जो अनुरोध किया था क्या उसके समर्थन के बारे में उनको कोई उत्तर मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा प्रस्तुत योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना को कब लागू किया जायेगा ताकि खाद्यान्न उत्पादन आन्दोलन में गति लाई जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। 16 विश्वविद्यालयों तथा कई राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) तथा (ग) : केवल 3 विश्वविद्यालयों ने योजनाएं शुरू की हैं। विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालय के समीप ढाका ग्राम की बेकार भूमि को सुधारना और उस पर खेती करना इस योजना के अन्तर्गत आता है। क्रियान्विति पहले ही शुरू कर दी गई है और दस एकड़ भूमि बो दी गई है।

जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता : विश्वविद्यालय ने थोड़ी सी किचन गार्डनिंग शुरू कर दी है और खेतों में विद्यार्थियों के क्रियाकलाप यथासमय बढ़ा दिये जायेंगे। वाद-विवादों के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं और उस सम्बन्ध में रिपोर्ट दे दी जायेगी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र : वाइस चान्सलर ने विश्वविद्यालय के 60 एकड़ फार्म पर मुट्ठी भर पकी पैली काट कर 16 अक्तूबर को अभियान शुरू किया। 10 एकड़ सब्जी फार्म होस्टेल के लड़के-लड़कियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। कालिज में फार्मिंग क्लब तथा मत्स्यपालन शुरू कर दिये गये हैं।

मंगलौर बन्दरगाह

1270. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 7 दिसंबर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर बन्दरगाह सम्बन्धी वृहत् योजना तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : यह मामला अभी परीक्षाधीन है।

कृषि उत्पादन

1271. **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न देशों से कृषि उत्पादन के हेतु कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से अनुरोध किया है; और

(ग) किन-किन देशों ने इस अनुरोध पर अपने कृषि विशेषज्ञ भेजे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : अन्य देशों की सरकारों से ऐसा कोई सामान्य अनुरोध नहीं किया गया है। परन्तु उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों तथा कृषि मशीनों आदि की उपलब्धि के विषय में विभिन्न राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से सहायता प्राप्त करने के बारे में पूछ-ताछ की जा रही है । कुछ देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अन्य देशों से बातचीत चल रही है।

Agricultural Production

1272. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the extent to which electricity, water and manure were made use of during the last three months for growing more food in the States of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Madras and Kerala ; and

(b) the estimated increase likely to be achieved as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) A statement is enclosed.

(b) The estimates have not yet been finalised. [**Placed in Library. See L. T. No. 5632/66.**]

साधारण निर्वाचन

1273. **श्री उमानाथ** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश भर में वामपंथी साम्यवादियों की नजरबन्दी जारी रखते हुए आगामी साधारण निर्वाचन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रश्न पर किसी अवस्था में विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) भारत प्रतिरक्षा नियम के अधीन व्यक्तियों का निरोध साधारण निर्वाचन के संचालन के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण जनता को ऋण

1274. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ति** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सहकारी समितियों के द्वारा ग्रामीण जनता को कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या उत्पादकों (हाउस होल्डर्स) को ग्राम्य ऋण देने के तरीके का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि धनवान उत्पादकों को बहुत अधिक ऋण दिया जाता है;

(घ) क्या अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण दल ने 1954 में यह सुझाव दिया था कि ऋण वितरण के साथ साथ ऐसे ठोस उपाय किये जाने चाहियें जिससे छोटे उत्पादकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें ; और

(ङ) इस से उन किसानों को, जिन्हें ऋण की सबसे अधिक आवश्यकता थी, किस प्रकार से वास्तविक लाभ पहुंचा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क), (ख), (ग), (घ) व (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5633/66]**

राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई

1275. **श्री कोल्ला वेंकया :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 की तीसरी तिमाही के बाद विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली निर्धारित रासायनिक उर्वरक की शेष मात्रा क्या पूर्ण रूप से दिसम्बर, 1965 की समाप्ति के पूर्व सप्लाई कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 1965 के अन्त तक विभिन्न राज्यों को कितना खाद सप्लाई किया गया है;

(ग) विभिन्न राज्यों के लिये 1965-66 की चौथी तिमाही के लिये कितना कोटा नियत किया गया है;

(घ) चौथी तिमाही के लिये कोटा की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है; और

(ङ) नियत कोटा की सप्लाई न होने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : चालू वर्ष के प्रथम तीन तिमाही अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर, 1965 तक और चौथी तिमाही अर्थात् जनवरी से मार्च, 1966 के लिए राज्य सरकारों को रासायनिक उर्वरक की अलाटमन्ट के सम्बन्ध में और 31-12-65 तक तथा जनवरी, 1966 के दौरान की गई सप्लाई की मात्रा सम्बन्धी विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5634/66]**

(ङ) कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) कुछ जहाजों के पहुंचने में देरी।

(2) पावर की कमी, कोक ओवन गैस तथा सल्फर की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कई कारखानों के उत्पादन में कमी आना। नेवेली फैक्टरी के चालू होने में देरी, युरिया का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ।

(3) चालू होने के कारणों आदि के कारण कुछ बन्दरगाहों तथा कारखानों में वैगन सप्लाई की आकस्मिक कमी।

खाद्यान्नों के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा उनके गोदामों में रखे जाने से क्षति

1276. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री द० ब० राजू :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में खाद्यान्नों के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा उनके गोदामों में रखे जाने के कारण कितनी क्षति हुई है;

(ख) उस के क्या कारण हैं, तथा इस क्षति को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस क्षति के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1964-65 में खाद्यान्नों के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा उनके संचयन के कारण निम्नलिखित हानि हुई :—

संचयन सम्बन्धी हानि		लाने ले जाने सम्बन्धी हानि	
मात्रा (हजार मीटरी टन)	वर्ष के दौरान संचित की गयी मात्रा का प्रतिशत	मात्रा (हजार मीटरी टन)	वर्ष के दौरान खरीदी गयी मात्रा का प्रतिशत
15.8	0.26	24.2	0.31

(ख) संचयन सम्बन्धी हानि मुख्यत: अनाज के सूख जाने के कारण होती है क्योंकि जो अनाज सम्भाला जाता है वह अधिकांशत: आयातित होता है और उसमें नमी तत्व बहुत अधिक होता है। कुछ हानि प्राप्त करने और भेजने के समय तौल के विभिन्न तरीके होने के कारण और कीड़-मकोड़ों से होती है। अनाज को लाने लेजाने से जो हानि होती है वह माल के लादने तथा उतारने वाले स्थानों पर तौल के विभिन्न तरीकों, अनाज के गरम जलवायु वाले स्थानों से गुजरने पर सूख जाने और दानों के आवश्यक रूप से बिखरने के कारण होती है। इस हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए है :—

संचयन सम्बन्धी हानि

(1) सरकार द्वारा बनवाए गए गोदाम चूहों और सीलन से सुरक्षित होते है।

(2) अनाज की बोरियों के लिए उपयुक्त संरक्षी-काष्ठ सुलभ किए जाते है ।

(3) तकनीकी योग्यताप्राप्त अधिकारियों द्वारा प्राप्ति के समय, संचयन में तथा निर्गम करते समय अनाज की जांच की जाती है ।

(4) जब कभी आवश्यक होता है तब समय समय पर कीड़े-मकोड़े की रोक-थाम के लिए तकनीकी उपचार किए जाते हैं।

लाने ले जाने सम्बन्धी हानि

(1) माल लादते तथा उतारते समय सुरक्षा सम्बन्धी उपाय कड़े कर दिए गए हैं,

(2) जहां आवश्यक होता है वहां माल लादने वाले स्थानों (गोदियां/रेलवे स्टेशनों और गोदामों) के बीच मार्ग में माल की सुरक्षा की जाती है।

(3) भेजते तथा प्राप्त करते समय दोनों बार माल तोला जाता है ।

(4) रेलवे के विरुद्ध मान्य दावों को दायर करने में तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

(5) सड़क-परिवहन में हुई हानि की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदारों पर डाली जाती है।

(ग) जहां तक रेल ढुलाई से हानि का सम्बन्ध है, जिन मामलों में रेलवे के विरुद्ध दावे मान्य होते हैं उनसे वसूली करने के लिए कदम उठाये जाते हैं। इसी प्रकार, जहां तक सड़क परिवहन से हानि का सम्बन्ध है, जहां सम्भव होता है वहां सड़क परिवहन ठेकेदारों पर जिम्मेदारी डाली जाती है और उससे रकम वसूल की जाती है। हानि का नियमितकरण करने की कार्यवाही करने से पूर्व जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से अन्य नुकसानों की भी जांच-पड़ताल की जाती है।

नलकूपों का लगाया जाना

1277. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश में राज्यवार कितने प्रायोगिक नलकूप लगाये गये; और

(ख) उन में से कितने ठीक पाए गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : 1965-66 के दौरान उत्तर प्रदेश में देहरादून के जिले में केवल 2 प्रायोगिक नलकूप लगाए गए। इनमें से एक ठीक पाया गया और दूसरे का परीक्षण किया जा रहा है।

Availability of Fish in India

1278. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food, Agriculture Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have made any survey regarding the quantum of fish available within the country in 1965 and in the Indian Ocean and Arabian Sea near India;

(b) whether Government have made any assessment about the quantum of fish which can be obtained within the country and from sea in case fish development programme is undertaken;

(c) the extent to which food problem can be solved by obtaining fish in greater quantity; and

(d) the schemes formulated for the development of fishery ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) The Government have conducted survey of coastal waters covering approximately one-third of the area. In 1965 the survey was continued from six centres. The State Governments have also conducted surveys of inland waters.

(b) On the basis of the survey, a rough estimate has been made which indicates that nearly 10 million tons of fish can be obtained annually from Indian waters out of which approximately one-tenth will be from inland waters.

(c) Additional availability of fish will contribute significantly towards solution of the problem of meeting the nutritional requirements of protein.

(d) The schemes aim at an additional production of 8.25 lakh tons in the Fourth Plan, and mainly consist of mechanised fishing in the sea and culture of fish in inland waters with ancillary programmes of processing, distribution, marketing, training, demonstration and research.

पंजाब में डेरी फार्म

1279. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मन्त्री** 23 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये दूध की मांग को पूरा करने हेतु पंजाब में बड़ी संख्या में डेरी फार्म स्थापित करने के लिये 1965 और 1966 में अब तक पंजाब सरकार के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) : पंजाब में बड़ी संख्या में डेरी फार्म स्थापित करने के लिए राशि नियत करने का प्रश्न नहीं होता क्योंकि अभी तक कोई विशेष योजना प्राप्त नहीं हुई है।

केरल में सड़कों के लिये बृहत् योजना

1280. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में इस बीच बृहत् योजना प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल की सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों और राज्य क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिये 36.46 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय का प्रस्ताव बनाया गया है। राज्य क्षेत्र में शामिल की जाने वाली स्कीमों में 30 करोड़ रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है। अभी तक भारत सरकार द्वारा उन स्कीमों का ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ है क्योंकि अभी तक राज्य सरकार उनका परीक्षण कर रही है।

राज्य में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के विकास के प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं। उन में 6.46 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत होगी, जैसा नीचे दिखाया गया है :—

(क) मौजूदा रा० मु० मार्गों का विकास	प्राक्कलित लागत रु० करोड़ में
1. तीसरी से चौथी पंचवर्षीय योजना में लाई जाने वाली संभाव्य स्कीमें	0.45
2. गायब टुकड़ों का निर्माण	0.05
3. कमजोर पुलों का फिर से निर्माण . . .	0.63
4. मौजूदा संरक्षण के ज्यामिति प्रमापनों का सुधार . .	2.25
5. बाहरी सड़कों का निर्माण . .	2.14
(ख) नये रा० मु० मार्ग	
मौजूदा रा० मु० मार्ग पद्धति में योग	1.00
	6.52
तीसरी योजना में व्यय की गई राशि को घटाना	0.06
योग	6.46

इन प्रस्तावों की परीक्षा की जा रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राष्ट्रीय मुख्य मार्ग कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में, फंडों की उपलब्धता के अनुसार इन पर विचार किया जायेगा।

बम्बई में रोक लिये गये इटली के जहाजों के संबंध में हर्जाने की राशि

1281. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 दिसम्बर, 1965 के 'मार्च आफ दि नेशन (साप्ताहिक)' में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि इटैलियन शिपिंग कम्पनी के हाल में 45 दिन तक बम्बई पत्तन में रोक लिये गये जहाजों को हुई 15 लाख रुपये की हानी के लिये उक्त कम्पनी भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर करेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : उल्लिखित समाचार को सरकार ने देख लिया है परन्तु वह उसकी सत्यता की साक्षी करने में असमर्थ है। सरकार काल्पनिक क्षति की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है।

खाद्यान्नों के आयात पर भाड़ा

1282. श्री प० ह० भील :

श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा वचन दिये गये 1966 में एक करोड़ पचास लाख टन खाद्यान्न के आयात पर भाड़े के रूप में भारत को विदेशी मुद्रा में कुल कितना भुगतान करना होगा; और

(ख) क्या भाड़े का भुगतान स्थगित करने के बारे में अमरीकी अधिकारियों से कोई अनुरोध किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने 1966 में इस देश को 150 लाख टन खाद्यान्नों की सप्लाई करने का अब तक कोई वायदा नहीं किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में जो खाद्यान्न भारतीय ध्वज पोतों में लाया जाता है उसको छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों का भाड़ा विदेशी मुद्रा में अदा करना पड़ता है। 10 लाख मीटरी टन खाद्यान्न लाने पर 6 करोड़ रुपये भाड़े के रूप में देने पड़ते हैं।

(ख) जी नहीं।

देहातों में व्यापारी बैंक

†**1283. श्री दी० चं० शर्मा :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी उधार संस्थाओं के संसाधनों तथा उधार देने की क्षमता के मूल्यांकन से पता चलता है कि यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जानी है तो देहातों में व्यापारी बैंक का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : सहकारी ऋण क्षेत्र के ढांचे के कार्य और कृषि ऋण के लिये अन्य संस्थायी अभिकारणों के प्रश्न पर रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक अनौपचारिक ग्रुप द्वारा जांच की गई थी। ग्रुप ने पता लगाया कि कुछ राज्यों को छोड़ कर समूचे तौर पर सहकारी ऋण का कार्य संतोषजनक था। जिन राज्यों में कार्य संतोषजनक नहीं था उनके संबंध में ग्रुप ने वाणिज्यिक बैंकों सहित विभिन्न वैकल्पिक अभिकारणों के कार्य पर विचार किया और सुझाव दिया कि कुछ समय के लिये कृषि ऋण निगम स्थापित किये जायें। जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का संबंध है, ग्रुप ने अनुभव किया कि इन बैंकों के पिछले अनुभव को देखते हुए ये वाणिज्यिक बैंक कृषि उत्पादन ऋण की व्यवस्था के लिये अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के वित्त पोषण में सरकार को अधिक भाग लेना चाहिये। कुछ राज्यों में जहां कि वाणिज्यिक बैंक कृषि उत्पादन ऋण देने के लिये राजी हो गये हैं वहां पर सरकार ने उनको तकनीकी मंत्रणा तथा आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

इटली के भारवाही जहाज "एम० वी० अडेगी" से जब्त किया गया माल

1284. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली के भारवाही जहाज "एम०वी०अडेगी" से पाकिस्तान के लिए भजी गई किमती इलेक्ट्रोनिक तथा रेडार उपकरणों की निन्यानवे पेटियां पकड़ी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में "अधिक अन्न उपजाओं" अभियान

1285. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा राज्य को "अधिक अन्न उपजाओं" अभियान के लिए अनुदान की वास्तव में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उस राज्य को इसी कार्य के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अधिक अन्न उपजाओ अभियान के लिए राज्यों को अनुदान विकास के शीषकों (1) कृषि उत्पादन (जिसमें भूमि विकास शामिल) तथा (2) लघु सिंचाई के अन्तर्गत दिया जाता है। 1965-66 के दौरान उड़ीसा राज्य को उपरोक्त विकास के दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत 76.29 लाख रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है। वास्तव में यह अनुदान राज्य सरकार को मार्च, 1966 में अदा किया जाएगा जबकि प्रथम तीन त्रिमासिकों के लिए वास्तविक खर्च और 1965-66 के चौथे त्रिमासिक के लिए पूर्वानुमानित खर्च सम्बन्धी विवरण राज्य सरकार से प्राप्त हो जायेंगे।

(ख) 1966-67 के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

उड़ीसा को गेहूं तथा चीनी का संभरण

1286. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1965-66 में उड़ीसा के लिये गेहूं तथा चीनी की कितनी मात्रा निर्धारित की गई थी और वास्तव में कितनी मात्रा में गेहूं तथा चीनी दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : 1965 और जनवरी, 1966 में उड़ीसा को गहूं और शर्करा की नियत की गयी मात्रा और वास्तव में दी गयी मात्रा निम्न प्रकार है :–

(आंकड़े हज़ार मीटरी टनों में)

	गेहूं		शर्करा	
	नियत की गयी मात्रा	सप्लाई की गयी मात्रा	नियत की गयी मात्रा	सप्लाई की गयी मात्रा
1965 (जनवरी-दिसम्बर)	69.4	67.3	54.1	52.9
जनवरी, 1966	6.7	6.7	4.9	3.1

राजस्थान में बागबानी का विकास

1287. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 में राजस्थान को बागबानी के विकास के लिये मंजूर की गई राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल रख दी जायेगी।

राजस्थान को दिये गये उर्वरक

1288. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में राजस्थान को वास्तव में कितनी मात्रा में उर्वरक दिये गये; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उस राज्य के लिये कितनी मात्रा में उर्वरक नियत करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पूछी गई जानकारी निम्नलिखित है :—

(आंकड़े टोन्ज़)

उर्वरक की किस्म	अलाटमैन्ट 1965-66	15-2-66 तक सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	12,970	10,538
यूरिया	2,394	1,503
अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट	585	515
कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	19,530	16,060

(ख) सामान्य पद्धति के अनुसार वर्ष 1966-67 के लिए तिमाही के आधार पर निर्धारण करने का प्रस्ताव है। 1966-67 के दौरान उपलब्धि स्थिति में सम्भावित सुधार को दृष्टि में रखते हुए सम्भवत: राजस्थान सरकार को 1965-66 के मुकाबले अधिक मात्रा अलाट की जाय।

राजस्थान में चीनी की आवश्यकता

1289. **श्री धुलश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में राजस्थान को कितनी चीनी की आवश्यकता है; और

(ख) अब तक उस राज्य को वास्तव में कितनी चीनी दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे): (क) शर्करा वर्ष 1965-66 (नवम्बर-अक्तूबर) मे राजस्थान को लगभग 1,05,000 मीटरी टन शर्करा नियत की जाएगी।

(ख) पहले तीन महीनों में नवम्बर 1965 से जनवरी, 1966—राज्य सरकार को 25,600 मीटरी टन शकरा नियत की गयी थी और इस में 22,188 मीटरी टन शर्करा उठायी गयी।

राजस्थान में बीज फार्म

1290. **श्री धुलश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 में राजस्थान कोई में बीज फार्म स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी राजस्थान सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केरल में चूहों को मारने का आन्दोलन

1291. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुटनाड पैकेज क्षेत्र में चलाया गया चूहों को मारने का आन्दोलन सफल रहा है; और

(ख) क्या इस आन्दोलन को पालघाट क्षेत्र में भी आरम्भ करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां। 1965-66 की अवधि में एलेप्पी ज़िले में कृषकों के खेतों और घरों में चूहों को मारने का एक अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान पंचायतों तथा कृषकों आदि स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से 8978 एकड़ भूमि तथा 9365 घरों में शुरू किया गया था।

(ख) समस्त सघन कृषि कार्यक्रम के ज़िलों के परियोजना अधिकारियों से (जिसमें पालघाट ज़िला भी शामिल है) भी ऐसा ही अभियान शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

शिवालिक सड़क

1292. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री राम हरख यादव :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1300 मील लम्बी शिवालिक सड़क के कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस सड़क के कार्य की देख-रेख की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है;

(घ) क्या इस सड़क को 1971 से पहले पूरा करने के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था चौथी योजना में कर दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : बरेली से अमीनगांव तक 1300 मील लम्बी लेटरल सड़क जिस से 'शिवालिक रोड' का आशय समझा जाता है, के अधिकांश सेक्शन पर निर्माण कार्य अच्छी प्रगति पर है और उसके 1968-69 के अन्त तक सम्पूर्ण हो जाने की आशा है। सड़क पर निर्माण कार्य का काम, केन्द्रीय परिवीक्षण के अधीन अपने अपने राज्य क्षेत्रों में वहां के राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों द्वारा किया जा रहा है। पूरी लागत की पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी। वित्तीय तंगी के कारण 1966-67 में धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है किन्तु आशा की जाती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है पूर्ण धन राशि उपलब्ध हो जायगी।

परती भूमि का सर्वेक्षण

1293. **श्री ह० च० सोय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में परती भूमि का पूरा सर्वेक्षण करने के लिए ताकि उस भूमि को कृषि और खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाये, कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में जोती न जाने वाली भूमि पर खेती करवाने में वर्तमान नियमों और संस्थाओं की किन्हीं त्रुटियों का पता लगाने के लिए कोई पुनर्विलोकन किया है ; और

(ग) क्या अनाजों और पटसन तथा कपास जैसी अनाजों से भिन्न फसलों के वर्तमान अन्तर का पुनर्विलोकन करने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। खेती के लिए उपलब्ध होने वाली कृष्य परती भूमि का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण हो रहा है।

(ख) राज्य सरकारें अपने सामान्य नियमों के अनुसार ही भूमिहीन कृषक परिवार को परती भूमि का अलाटमेंट करती है, अत: वर्तमान नियमों का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(ग) मुख्यत : सघन कृषि के माध्यम से ही खाद्यान्नों तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने का विचार है। अनाजों तथा अन्य समस्त फसलों के अन्तर के विषय में कोई मूल परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

पत्तन विकास कार्यक्रम

1294. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षित पत्तन विकास कार्यक्रम का मोटा ब्यौरा क्या है ?

(ख) उस पर कितनी लागत आयगी ; और

(ग) इसके अनुसरण में अब तक क्या कायवाही की गई है ?

परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : जैसा 16 नवम्बर, 1965 को मौखिक प्रश्न संख्या 240 के उत्तर में निदेशित किया गया था सरकार की नीति सब प्रकार की समान स्थितियों का सामना करने और भारत के समुद्री व्यापार के होने वाले विस्तार की पूर्ति के लिये उचित गुंजायश के साथ पर्याप्त पत्तन क्षमता का विकास करना है। पत्तन विकास की सामान्य नीति के अन्तर्गत समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल का मूल्य

1295. श्री बसुमतारी :

डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाहार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल का मूल्य बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) हाल ही में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में चावल के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। यह बढ़ोत्तरी उत्पादकों को धान के देय मूल्य में वृद्धि के कारण की गयी थी।

(ख) पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में यह वृद्धि क्रमशः 0.35 पैसे और 1.50 रुपये प्रति क्विंटल थी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

1296. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय में पेश किये गये मामलों में से प्रत्येक का क्या अन्तिम परिणाम रहा है;

(ख) अन्य मामलों में से प्रत्येक मामले में जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं के "विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति" वाक्यांश में शामिल किये गये विभिन्न वर्गों की पूरी सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) पिछले तीनों मामले जो अदालत में अनिर्णित दिखाये गये थे उन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

(ख) जांच पड़ताल के लिये निलंबित दिखाये गये 5 मामलों में से एक मामले का पता नहीं चला है और बाकी चार मामलों पर जांच पड़ताल हो रही है।

(ग) विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं के विशेषाधिकार वाले व्यक्तियों वाक्यांश में शामिल किये गये विभिन्न वर्गों की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। मोटे तौर पर विशेषाधिकार वाले व्यक्ति ये हैं :–

(1) विदेशी राजनयिक मिशन के अधिकारी और कोन्सली केन्द्र के अधिकारी;

(2) संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी; और

(3) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, जिन का भारत सदस्य है और जिन्होंने भारत में कार्यालय स्थापित किये हैं।

इन अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय न्याय और राज्य व्यवहार के अन्तर्गत विशेषाधिकार और निरापदता मिली हुई है।

दिल्ली-गोरखपुर विमान सेवा

1297. **श्री विश्वनाथ राय :**

श्री सिंहासन सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से गोरखपुर तक फिर से विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कसिया के हवाई अड्डे को प्रयोग में लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कसिया हवाई अड्डे में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। जब पिछले समय अप्रल, 65 से सितम्बर, 1965 तक सेवाएं चलाई गयी थीं तो उपलब्ध यातायात बहुत कम था।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सीमावर्ती सड़कें

1298. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राजस्थान तथा गुजरात में सीमावर्ती सड़कों के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) क्या सरकार इस राशि को राज्यों के माध्यम से दे रही है अथवा कार्य को तेजी से करवाने के लिये कोई दूसरी संथा बनाई गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राजस्थान और गुजरात राज्यों की सामरिक सड़कों के निर्माण के खर्च को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में क्रमशः 100 लाख रुपया और 400 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) इन सीमान्त सड़कों के निर्माण का काम संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपा गया है। राजस्थान में इस निर्माण कार्य के कुछ भाग के लिए एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधिन है।

आंध्र प्रदेश में धान की खेती

1299. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष कितने क्षेत्र में सिंचाई द्वारा पैदा की जाने वाली धान की दूसरी फसल बोई गई है;

(ख) इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में दूसरी फसल के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की कितनी-कितनी मात्रा नियत की गई थी तथा कितनी दी गई है;

(ग) यदि दूसरी फसल के लिए उर्वरकों का कोई विशेष नियतन नहीं किया गया था, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि पूरा अभ्यंश नहीं दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अखिल भारतीय वन आयोग

1300. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में वनरोपण को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय वन आयोग नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) भारत सरकार, प्रस्ताव संख्या 3-13/62-एफ० डी०, दिनांक 25 अगस्त, 1965 के अनुसार केन्द्रीय वन आयोग स्थापित किया गया था। केन्द्रीय वन आयोग के विधान तथा कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

विधान :

अध्यक्ष : वन महा निरीक्षक,
खाद्य और कृषि मन्त्रालय
(कृषि विभाग)

सदस्य : चार सदस्य—निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रत्येक से एक सदस्य लिया जाएगा।

(क) पूर्वी प्रदेश

आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैण्ड तथा उड़ीसा और मनीपुर के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र, त्रिपुरा, नेफा तथा अन्डेमान और निकोबार द्वीप समूह।

(ख) उत्तरीय प्रदेश

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर।

(ग) पश्चिमी प्रदेश

गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गोवा।

(घ) दक्षिणी प्रदेश

मद्रास, मैसूर, केरल और आन्ध्र प्रदेश। वन के मुख्य संरक्षक की पदवी वाले सेवा करने-वाले अधिकारी सदस्य होंगे और बारी-बारी प्रत्येक क्षेत्र से लिए जायेंगे और साधारणतया 3 वर्ष तक आयोग में कार्य करेंगे। आयोग की तीन महीनों में एक मीटिंग होगी।

कार्यकलाप

(1) राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की क्रियान्विति का अध्ययन करना और जहां आवश्यक हो सुझाव देना।

(2) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की बड़ी कार्यकारी योजनाओं की आरम्भिक अवस्था में सुधार के लिए सुझाव देना।

(3) वन विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करना और प्रकाशित करना।

(4) राज्यों तथा विदेशों से प्राप्त वन विज्ञान सम्बन्धी तकनीकी जानकारी इकट्ठा करना।

(5) लकड़ी तथा वन पदार्थों और उनकी उपयोगिता पर अध्ययन।

(6) केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, अनुसन्धान पर सलाहाकार बोर्ड, नदी आयोग, केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजैन्सी जिनका काम प्रत्यक्ष या अप्रयक्ष रूप से वनों तथा वन विकास से सम्बन्ध रखता है, के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

(7) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में वन विकास कार्यक्रमों को क्रियान्विति के लिए सहायता तथा तकनीकी सलाह देना।

(ग) केन्द्रीय वन आयोग एक तकनीकी निकाय है जिसकी तीन महीनों में एक बार मीटिंग होगी।

खाद्यान्नों की वसूली

1301. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एकाधिकारी खरीद अथवा धान वसूली आदेश योजना के अन्तर्गत वसूल किये गये खाद्यान्नों को उसी पंचायत अथवा खण्ड या जिले में यदि उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो, बांटने का कोई विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : अधिशेष क्षेत्रों में जहां सरकार द्वारा एकाधिकार, या लेवी अथवा अन्य किसी पद्धति के अन्तर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जाती है वहां पर यदि कोई कमी वाले क्षेत्र हैं, तो आम तौर पर ऐसे कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अधिप्राप्त मात्रा में से कुछ मात्रा उनके लिये रख दी जाती है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात

1302. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी०एल० 480 के अन्तर्गत देश में खाद्यान्नों के आयात पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) इस शीर्ष के अन्तर्गत ब्याज के रूप में अब तक कितनी धन राशि दी गई है; और

(ग) उक्त ऋण की कितनी धन राशि का अभी भुगतान करना बाकी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) : 1956-57 से वर्ष 1965 के अन्त तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत खरीदे गये खाद्यान्नों पर 1140.3 करोड़ रुपये और 91.4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कुल 1231.7 करोड़ रुपये खर्च हुये थे।

क्योंकि ये खरीदारी नकद की जाती है इसलिए ब्याज का भुगतान अथवा ऋण की अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल का आयात

1303. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री बसुमतारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला दे कर चावल लेने के लिये पाकिस्तान के साथ एक वस्तु विनियमय करार करने के लिये बातचीत चल रही थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) अब प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल

1304. श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० रानेन सेन :**

श्री कृष्णपाल सिंह : **श्री काजरोलकर :**

श्री मुहम्मद इलियास : **श्री पाराशर :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 फरवरी, 1966 को दमदम हवाई अड्डे पर इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के केबिन अटेन्डेंट तथा यातायात अनुभाग के कर्मचारी काम पर नहीं आये; और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की व्योम बालाएं पहले ही 6 फरवरी, 1966 से हड़ताल पर थीं;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों ने हड़ताल करने के क्या कारण बतायें; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : दो विमान परिचारिकाओं को ड्यूटी की लापरवाही और जानबुझ कर अवज्ञा करने के लिए एरिया मैनेजर, कलकत्ता, द्वारा चार्ज शीट जारी करने के बाद, 6 फरवरी, 1966 को कलकत्ता से होकर जाने वाली सेवाओं पर लगाये जाने के लिये नियुक्त विमान परिचारिकाओं ने बीमार होने की रिपोर्ट दे दी। 7 फरवरी, को ड्राइवर और दमदम स्थित मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन, मूवमेंट कंट्रोल और पैसेंजर हैंडलिंग सेक्शन के अन्य दूसरे कर्मचारी एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन के निदेश पर जोकि औरों के साथ साथ केबिन एटेन्डेंटों का भी प्रतिनिधित्व करती है, काम पर नहीं आये जिसके परिणामस्वरूप बड़ी असुविधा हो गई। उनके इस कार्य की अवैधता के बारे में यूनियन को बताया गया और यूनियन को यह कहा गया कि वे कर्मचारियों को काम पर आने

की सलाह दें। 8 फरवरी से कर्मचारियों ने "नियम के अनुसार काम", "व्यवसाय के अनुसार काम" और "काम धीमे करो" के तरीकों को अपनाना शुरू किया है। यह उन्होंने अपनी इस मांग के लिए दबाव डालने को किया है कि विमान परिचारिकाओं को जारी की गयी चार्ज शीट वापस ली जानी चाहिए या कम से कम, जांच होने तक उनको उड़ानों पर न लगाये जाने की शर्त वापस लेली जानी चाहिए।

(ग) सरकार ऐसे हालातों से चिन्तित है। उन्होंने कारपोरेशन पर इस बात का जोर दिया है कि कारपोरेशन में अवश्य अनुशासन बनाये रखा जाना चाहिए और जहां कहीं ऐसे उल्लंघन किये जाते हैं, उनके बारे में सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कारपोरेशन ने एरिया अधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं कि उन सब मामलों में, जिनमें कि अवज्ञा करने या ड्यूटी की लापरवाही करने का प्रत्यक्ष सबूत मिल जाता है, शीघ्र ही अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

तूतीकोरिन पत्तन की माल-वाहक नौका का लापता होना

1305. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन की एक तटीय नौका, टी० टी० एन० 69 जो 7 दिसम्बर, 1965 को कालीकट से टाइलें लाद कर बेरावल के लिए रवाना हुई थी, तभी से लापता है;

(ख) क्या उक्त नाव के लापता हो जाने तथा उस को चलाने वाले कर्मचारियों की स्थिति मालूम करने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : व्यापार पोत अधिनियम, 1958 अनुच्छेद 358 के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

बवाना सड़क, दिल्ली

1306. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रांड ट्रंक सड़क को नरेला (दिल्ली) तथा बादली औद्योगिक बस्ती के साथ मिलाने वाली बवाना सड़क बहुत ही कम चौड़ी है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस सड़क पर भारी मोटर गाड़ियों समेत मोटर गाड़ियों का यातायात बहुत अधिक रहता है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस सड़क पर बहुत यातायात होने तथा सड़क कम चौड़ी होने के कारण बहुत दुर्घटनायें होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सड़क को और चौड़ा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : स्थिति बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रश्न में उल्लिखित सड़क जी० टी० रोड से बवाना तक औचन्दी सड़क और बवाना से नरेला तक बवाना-नरेला रोड़ है। अभी यह सड़क 10 फीट चौड़ी है। इस सड़क पर गाड़ी यातायात की जरूरत की पूर्ति के लिये, दिल्ली की नगर पालिका निगम इसे कुछ सेक्शनों पर चौड़ा करने की कार्यवाही कर रही है। इस के लिये जी० टी० रोड़ के जंक्शन से औचन्दी तक सड़क चौड़ी करने के लिये 7.83 लाख रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। मील 14/3 से 16/3 के भागों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। बाकी हिस्सों के लिये निगम द्वारा तीसरी बार टेंडर मांगे जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले टेंडर नहीं मिले थे। अभी तक स्वीकृत किए प्राक्कलनों में और बातों के अलावा जी० टी० रोड़ से बवाना तक सड़क का भाग शामिल है। फिलहाल बवाना से नरेला तक सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेपियो का निर्यात

1307. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में केरल से बाहर के राज्यों को कितना टेपिओका भेजने के लिये परमिट दिया गया था; और

(ख) केरल में कितने व्यक्तियों को परमिट दिया गया और उन में से कितने व्यक्ति स्वयं खेती करते हैं, जिन को परमिट मिले हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

जैसलमेर जिले में सड़कें

1308. **डा० रानेन सेन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर जिले में, विशेष कर पाकिस्तान में सिन्ध के साथ लगने वाले क्षेत्रों में, सड़कों का विकास करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी हां। परन्तु प्रस्तावित सड़कों का ब्यौरा बताना जन हित में नहीं है।

पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते स्टीमर सेवा

1309. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते रिवर स्टिम नैवीगेशन कम्पनी की स्टीमरी सेवा को फिर से आरम्भ करने के बारे में है; पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्टीमर सेवा पुनः कब आरम्भ की जायेगी?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों से होने वाली बातचीत पर इस मामले को लिये जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में आटो-रिक्शा का किराया

1310. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा कि करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा नयी दिल्ली में चलने वाली आटो-रिक्शाओं को किराया बढ़ाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राज्य परिवहन अधिकरण दिल्ली ने आटो रिक्शाओं के मौजूदा किरायों में 15 मार्च 1966 से इस शर्त पर वद्धि करने की अनुमति दे दी है कि गाड़ियों में अधिकरण द्वारा अनुमोदित किराया मीटर लगे हों।

(ख) पुनरीक्षित किराया पहले दो किलोमीटरों या कम के लिए 40 पसे और अगले प्रत्येक चौथायी किलोमीटर के लिए 5 अतिरिक्त पैसे होगा। आटो रिक्शाओं के चालन मल्य की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए इस बढ़ती की अनुमति दी गयी है।

Jayanti Shipping Company

1311. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state ;

(a) whether Government have received any reports of misappropriation in the Jayanti Shipping Company;

(b) if so, the nature of the complaints received and the action taken by Government thereon;

(c) whether complaints involving foreign exchange have also been received; and

(d) the amount that has been realised by Government so far out of the previous loan and the balance that is still outstanding ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping & Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Government have received allegations and complaints, most of which are anonymous, relating to the working of the Jayanti Shipping Company.

(b) & (c). As these allegations are still being looked into, it would not be in overall public interest to disclose at this stage details of the complaints or allegations made.

(d) A total loan of Rs. 20·25 crores was sanctioned by the Shipping Development Fund Committee in favour of Jayanti Shipping Company for the acquisition of 11 ships all of which have already been delivered. The amount actually advanced so far by the Committee is, however, only Rs. 5·91 crores and the balance would be advanced as and when the intstalments fall due to the Shipyard. The first repayment of principal by the Company fell due on the 21st January 1966 and the amount involved, *viz.*, Rs. 12·08 lakhs was paid on the due date. In addition, the company has just made an *ad hoc* re-payment of Rs. 1·53 lakhs in respect of one ship. Thus the balance due from the Company now remains at Rs. 5·77 crores which is repayable over a period of years. In addition to the abovementioned repayments of principal, the Company has also paid all the 6 instalments of interest that have so far fallen due, aggregating to a sum of Rs. 20·50 lakhs.

केरल में पंचायत कर्मचारी

1312. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मकान किराया भत्ता केरल के पंचायत कर्मचारियों को भी दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) व ( ) : केरल सरकार से आवश्यक जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखा दी जाएगी ।

केरल में पंचायत कर्मचारी

1313. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल वेतन आयोग की सिफारिशों को केरल के पंचायत कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) व (ख) : केरल सरकार से आवश्यक जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में आटा कारखानों को गेहूं का सम्भरण

1314. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष भारत सरकार की स्वीकृति से बिहार में स्थापित किए गए आटा कारखानों के नाम तथा स्थान कौन-कौन से है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक प्रयोग के रूप में कारखाना चलाने अथवा आटा पीसने के लिए गहूं का अभ्यंश मंजूर नहीं किया है जिस कारण इन कारखानों की क्षमता बेकार पड़ी है; और

(ग) राज्य में खाद्य की वर्तमान कमी को देखते हुए, इन कारखानों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार गहूं का अपेक्षित अभ्यंश मंजूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से गत वर्ष बिहार में कोई रोलर आटा मिल स्थापित नहीं की गयी थी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, पूसा (नई दिल्ली)

1315. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा, नई दिल्ली के अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के होस्टल की दशा बड़ी दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो उन विद्यार्थियों के लिए काम करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए दीर्घकालीन और तात्कालिक आधार पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) होस्टल के विद्यार्थियों या किसी अन्य से संस्थान के होस्टलों की दशा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION-NOTICE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है। यह बम्बई में हड़ताल के बारे में है। मेरा आप से निवेदन है कि आप आज ही इस पर निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आज ही निर्णय करूंगा।

Shri Bagri : Sir, I have received a telegram from Allahabad stating that people are dying of starvation there.

Mr. Speaker : He should give these things in writing then I will consider.

उपमंत्री का परिचय

INTRODUCTION OF DEPUTY MINISTER

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान, आप के द्वारा मैं श्रीमती जहाँनारा जयपाल सिंह का सभा से परिचय कराता हूं। वह परिवहन और उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री नियुक्त की गई हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विशाखापटणम पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

केरल के बारे में उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : श्रीमान्, श्री संजीव रेड्डी की ओर से मैं ये पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963, की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत विशाखापटनम पत्तन न्यास के 29 फरवरी, 1964 से 31 मार्च, 1964 की अवधि के वार्षिक लेखों की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5258/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 446/65 की एक प्रति, जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1965, के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस के द्वारा केरल मोटर-गाड़ी नियम, 1961, में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5622/66]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 1181, जो दिनांक 16 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5623/66]**

(दो) अन्तक्षत्रीय गेहूं तथा गहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 15 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 262 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5223/66]**

(तीन) मध्य प्रदेश मोटे अनाज (निर्यात पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 15 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र के अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 263 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5623/66]**

व्यापारिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958, की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापारिक नौहवन (भारतीय जहाजों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 12 फरवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 227 में प्रकाशित हुये थे सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5624/66]**

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962, की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 की एक प्रति, जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित किया गया है और जो दिनांक 14 फरवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 494 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5625/66]**

केरल संबंधी उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिसूचनायें

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए, उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) केरल पंचायत (पंचायती अथवा गैर-पंचायती स्रोतों, तालाबों, कुंओं तथा अन्य जल स्रोतों के उपयोग का विनियमन) नियम, 1965 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 369/65 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 381/65 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (खतरनाक तथा घृणित व्यवसायों तथा कारखानों को लाइसेंस देना) नियम, 1963 कतिपय संशोधन किये गये।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 393/65 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (व्यय का प्राधिकरण) नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 421/65 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिस के द्वारा केरल पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 451/65 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केरल पंचायत (अभिलेखों की परिरक्षा तथा कार्यवाही अथवा अभिलेखों की प्रतिलिपियों का देना) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5626/66]**

(2) भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के वर्ष 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5627/66]**

———

सदस्य की पैरोल पर रिहाई

RELEASE OF MEMBER ON PAROLE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे केन्द्रीय कारावास, कुडलूर, के अधिक्षक स 25 फरवरी, 1966 का एक संदेश प्राप्त हुआ है, उसमें सूचना दी गई है कि लोक सभा के सदस्य श्री उमानाथ को एक मास की अवधि के लिये पैरोल पर 20 फरवरी, 1966 को रिहा कर दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पैरोल पर रिहाई के समय एक सदस्य सभा में उपस्थित हो सकता है। मैंने पहले भी यह प्रश्न उठाया था और आपने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैंने इस पर विचार नहीं किया है। मैं कल तक बता दूंगा। यदि पैरोल पर रिहाई के साथ कुछ शर्तें लगी है जैसे कि विशेष कार्य के लिये रिहाई है तो मैं आज्ञा नहीं दे सकता। मैं मंत्री महोदय की भी राय लूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : एक संसदीय समिति के सभापति के रूप में आपने पैरोल पर रिहा हुए एक सदस्य को समिति के समक्ष अपने विचार रखने की आज्ञा दी थी। अब इस मामले में हम जानने के उत्सुक है। यह बजट सत्र है। मैं आशा करता हूं कि उन्हें यहां पर उपस्थित होने दिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : विधि मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : कल।

सदस्य द्वारा कही गई बातों और उनके उत्तर के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : REMARKS MADE BY A MEMBER AND REPLY THERETO

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhbad) : Sir, the other day I had referred to our northern frontiers which used to be near Kailash Mansarovar and river Brahmaputra. I had got this information from a daily newspaper which had published an interview with Mr. Edgar Snow. It was published that China was prepared to consider this. I had been trying to raise this, but Government has not paid proper heed to this. Now she has also referred to this. I think she is mistaken.

श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित (फुलपुर) : मेरे विचार में पिछले महीने की 16 तारीख को डा० लोहिया ने "लुक" नाम की पत्रिका में एडगर स्नो के लेख की बात की थी। मैंने दो वर्ष पूर्व अमरीकी पत्रिका "लुक" में एक लेख पढ़ा था। यह एडगर स्नो का था और वह चीन की यात्रा कर के आये थे। यह लेख शायद चीन के भारत पर आक्रमण से कुछ सम्बन्ध रखता था। मैं डा० लोहिया की बात को गलत समझी थी और अमरीकी पत्रिका के बारे में सोचा था। मुझे यह मालूम नहीं था सायंकाल प्रकाशित होने वाला इसी नाम का दैनिक समाचार पत्र भी है। मैं इस भूल के लिये क्षमा मांगती हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिये गये सुझावों को हमने बड़े ध्यान से सुना है और उनपर पूरी तरह से विचार होगा। इन को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय समस्याओं पर हमारे देश में सभी दल मिलकर विचार करते है। यह एक बहुत अच्छी परम्परा है। हम चाहते है कि देश के सभी वर्गों में सहकारिता की एक भावना होनी चाहिये। देश की समस्याओं के समाधान में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इस के लिये हमें और अधिक कार्यकुशलता से कार्य करना होगा। अन्य देशों ने आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का अधिक लाभ उठाया है। मैं चाहती हूं कि बड़ों के अनुभव के साथ साथ हमें युवक कार्यकर्ताओं का भी लाभ उठाना चाहिये। हमें अपनी प्रशासन प्रणाली में उचित परिवर्तन करने चाहिये। इस बारे में कुछ कार्य हुआ भी है और अभी हो भी रहा है।

भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा हुई है। परन्तु हमें इस बारे में बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं करनी चाहिये। मैं स्वयं चाहती हूं कि भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में कड़ी कार्यवाही हो। इस बारे में बड़े बड़े सभी लोगों को सार्वजनिक जीवन का स्तर ऊंचा रखना है।

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। इस बारे में वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम दस वर्षों के अल्प काल में बहुत प्रगति करना चाहते है। यह कोई आदर्शवाद नहीं बल्कि भारत की वर्तमान स्थिति के लिये यह बहुत आवश्यक है।

हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना है। प्रतिरक्षा के लिये होने वाले व्यय में से कुछ धन औद्योगिक इकाइयों और सड़कों आदि पर व्यय होगा। हम चाहते है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य न बढ़े। इसके लिये हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा और उत्पादकों को अधिक मूल्य देकर उत्साहित करना होगा। इसलिये हमें मूल्य पहले ही निश्चित करने होंगे। जहां पर खाद्यान्नों की कमी है वहां मूल्यों को स्थिर रखने के लिये नियन्त्रण बहुत आवश्यक है।

यहां पर कहा गया है कि खाद्यान्नों सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था की जाये। यह ठीक है कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखना चाहिये परन्तु हमें व्यावहारिक बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और सभी स्थानों और वर्गों की कठिनाइयों को देखना चाहिये। हां, इस पर फिर भी विचार हो सकता है।

हाल में हुई वर्षा के कारण गेहूं की सप्लाई में सुधार की आशा है। परन्तु चावल की कमी बनी रहेगी। इस का यह अर्थ नहीं है कि हम चावल की आयात नहीं करना चाहते, अपितु विश्व बाजार में ही चावल की कमी है और यह उपलब्ध नहीं हैं। मैं सभा के माननीय सदस्यों से और विशेषत: केरल तथा बंगाल के सदस्यों से अपील करती हूं कि वे स्थिति को समझने का प्रयत्न करें और अपने राज्य के लोगों को चावल की उपलब्धता की कठिनाइयां समझायें तथा उनसे कहें कि चावल का उपयोग कम करके अन्य उपलब्ध खाद्यान्नों का अधिक उपयोग करें। फालतू अनाज वाले राज्यों को चाहिये कि जितना भी अनाज वह दूसरों को दे सकते हैं, उसे सहर्ष दें।

हम इस बात का प्रयत्न करना चाहते ह कि चावल खाने वाले राज्यों में ही चावल की उपज बढ़ाई जाये। वस्तुत: खाद्यान्न के बारे में हम शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर होना चाहते है। सके लिये हम न केवल परम्परागत साधनों का ही पूर्ण उपयोग करेंगे अपितु कृषि के आधुनिक तरीके भी अपनायेंगे। खाद्यान्न की उपज में वृद्धि के लिये उर्वरकों का प्रयोग

किया जाना परमावश्यक है। विदेशी पूंजी के सहयोगसे उर्वरक कारखाने स्थापित करने की जो अनुमति दी गई है, उसकी शर्तों के बारे में कुछ आपत्तियां की जा रही है। परन्तु मैं समझती हूं कि विदेशों से उर्वरक आयात करने की तुलना में यह कही अधिक अच्छा है, क्योंकि इन कारखानों में भारतीय मजदूर काम करेंगे और भारत के कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा।

सरकार परिवार नियोजन पर अत्यधिक बल दे रही है क्योंकि हम महसूस करते है कि यदि हर योजना-अवधि के अन्ततक जनसंख्या में 6 से 7 करोड़ तक की वृद्धि होती रही तो हमारे लिये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना तथा जीवन स्तर में संतोषजनक सुधार करना असंभव हो जायगा। देश की प्रगति तभी संभव है, जब सब दिशाओं में दृढ़ संकल्प हो कर कार्यवाही की जाय।

हम विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और शायद कुछ समय के लिये हमें सहायता लेनी ही पड़ेगी। परन्तु यह सहायता है, दान नहीं। हम इसे तभी लेंगे जबकि अपने आत्म-सम्मान तथा सिद्धांतों को देखते हुये ऐसा करना संभव होगा। हम सहायता सहयोग की भावना से लेते है और जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है हम भी बहुत से देशों को सहायता दे रहे है, जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, तथा भविष्य में हम उन्हें सहायता देते रहेंगे। शायद 'सहायता' शब्द के बारे में कुछ गलतफहमी है, क्योंकि यह एक भ्रामक शब्द है। वास्तव में इसका अधिकतर भाग ऋण के रूप में होता है, जिसे हम लौटाते रहे है। इस सहायता का असली उद्देश्य यह है कि कुछ समय में हम स्वयं अपने पांव पर खड़े हो जाये और हमें किसी सहायता की आवश्यकता ही नही रहे। विदेशी सहायता से हमें अपनी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद अवश्य मिलती है, परन्तु हम आत्मनिर्भरता की दशा में प्रगति कर रहे है। कुल विदेशी सहायता जिसमें पी० एल० 480 भी शामिल है, हमारी तमाम आवश्यकता का केवल एक चौथाई भाग है।

मैं उन देशों की आभारी हूं जिन्होंने हमें कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सहायता दी है, परन्तु मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि संसार भर में बुभुक्षित भारत का अतिशयोक्ति-पूर्ण चित्रण किया जा रहा है।

सभा में तथा सभा से बाहर आपातकाल स्थिति को समाप्त करने की बड़ी जोरदार मांग की गई है। इस बारे में मेरी बहुत प्रबल इच्छा है और मैं चाहती हूं कि आवश्यकता न रहने पर आपातकालीन स्थिति की अवधि एक दिन के लिये भी नहीं बढ़ाई जाये। मेरी प्रबल इच्छा है कि संविधान द्वारा दिये गय मौलिक अधिकारों को पुनः लागू किया जाये। वास्तव में आपात का समाप्त किया जाना तो बाहरी खतरे के विषय में हमारी धारणा पर निर्भर होगा, फिर भी जैसा कि गृहमंत्री ने सभा को बताया था हमने यह निर्णय किया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियों का कम से कम प्रयोग किया जायेगा।

जहां तक पंजाबी सूबे की मांग का प्रश्न है, हमें आशा है कि इस मास के अन्त तक अथवा अगले मास के पहले सप्ताह तक इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार पूरा हो जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संत फतेसिंह ने अपना उपवास मार्च के अन्त तक स्थगित कर दिया है। यह कहना अनावश्यक होगा कि संत फतेसिंह का जीवन सारे राष्ट्र के लिए बहुत मूल्यवान हैं। मैं संत फतेसिंह से अनुरोध करूंगी कि वह इस मामले का एक ऐसा हल ढूंढने में, जो अधिकांश लोगों को स्वीकार्य हो, अपना पूरा सहयोग दें।

ताशकंद समझौते के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये थे। सरकार ने ताशकंद समझौते का अनुमोदन किया है तथा इस सभा ने भी इस बारे में अपनी शुभ कामना व्यक्त की हैं, संसार भर में इस का स्वागत किया गया है। हमें आशा है कि इस से भारत तथा पाकिस्तान के संबंध सुधरे हैं और दोनों देशों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। केवल चीन ही एक ऐसा देश है जिस ने इस समझौते का स्वागत नहीं किया है। चीन का रवैया अभी आक्रमक है और वह संसार में तनाव बनाये रखना चाहता है। वह ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जो विश्व शांति के अनकूल नहीं है।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

यह भी प्रश्न उठाया गया था कि सरकार दूसरे देशों के साथ सैनिक संधिया करना चाहती है अथवा नहीं। इस बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। हमारा विश्वास है कि दूसरे देशों से सैनिक सन्धिया करने से शांति स्थापित नही होती परन्तु हो सकता है इस से तनाव और बढ़े और कुछ मामलों में हमारी आजादी को धका लगे।

जहां तक परमाणु बम के निर्माण की बात है, भारत सरकार अपनी नीति पर ही चलेगी। चीन के विस्फोट के कारण हमारे लिये इसके निर्माण जरूरी नहीं है। हमारे बनाने से और अनेक देश इसे बनाना चाहेंगे। हम परमाणु विस्फोट खत्म करने के पक्ष में है।

वियतनाम के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। हम इस संघर्ष के बढ़ जाने के खतरे से चिन्तित हैं। हम महसूस करते है कि इस झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहियें।

रोडेशिया तथा जम्बिया के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि यद्यपि रोडेशिया के संवैधानिक भविष्य के बारे में मुख्यत: जिम्मेदारी ब्रिटेन की है फिर भी हम वहां के लोगों की इच्छाओं तथा भावनाओं के अनुसार हल ढूंढने के लिये अपने प्रभार का प्रयोग करेंगे। जम्बिया से हमारी मित्रता है और हम उन की जितनी भी सहायता कर सकते हैं, हम ने की है। दक्षिण अफ्रीका संघ संयक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। हम उन प्रस्तावों को पूर्णत: क्रियान्वित करेंगे। जहां कहीं भी उपनिवेशवाद अथवा जातिवाद शेष है हम उसे दूर करने के लिये प्रयत्न जारी रखेंगे।

देश के सामने आज बहुत सी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक तथा आर्थिक समस्यायें है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार अपने दृढ़ संकल्प कर के इन पर काबू पा लेगी। हमारा अन्तिम ध्येय आम आदमी की सेवा करना तथा उस के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई है, किन्तु लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी है। गरीबी को दूर करना है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना है। इस बारे में मैं माननीय संसद् सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वह अपना पूरा सहयोग दे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह एक अपूर्व बात है कि प्रधान मंत्री अमरीका यात्रा पर उस समय जा रही हैं, जब कि संसद में अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह अमरीका जल्दी में इस लिये जा रही है क्योंक अमरीका के राष्ट्रपति ने मदद के बारे में उनके पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है और अपनी या । स्थगित करके वह अमरीकी राष्ट्रपति को नाराज नही करना चाहती। क्या उहोंने अम ीका के राष्ट्रपति के पत्र का उत्तर दे दिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जल्दी में नहीं जा रही हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है पहले मेरी यात्रा की तिथि 1 फरवरी निश्चित की गई थी, परन्तु बाद में इसे मार्च के अन्त तक स्थगित कर दिया गया था। मैं ने संसद् के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही यह यात्रा निश्चित की है, क्योंकि मेरी एक सप्ताह की यात्रा के दौरान 3 दिन संसद् की बैठकें नहीं होगी। हमें अपने आर्थिक विकास के लिये मदद लेनी होगी। किन्तु इस के लिये हम अपने आत्मसम्मान और गौरव को नहीं खोयेंगे। यदि हमें सहायता नहीं मिली तो हम अपना काम अपने ही साधनों से चलायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रत्येक दल से एक सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूँ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अपने भाषण के दौरान पंजाबी सूबे के निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्री ने बताया कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिये उच्चतम प्राथमिकता देगी। उन्होंने यह भी बताया कि संत फतेसिंह ने कोई अग्रेतर कार्यवाही मार्च के अन्त तक स्थगित कर दी है, ताकि सरकार इस मामले के बारे में निर्णय कर सके। फिर भी प्रधान मंत्री ने संत फतेसिंह से सहयोग का अनुरोध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह संत फतेसिंह से और क्या सहयोग चाहती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने किसी विशेष बात के बारे में सहयोग का अनुरोध नहीं किया है। मेरा तात्पर्य यह था कि वहां वातावरण ऐसा होना चाहिये, जो इस समस्या के संतोषजनक हल के लिये अनुकूल हो।

श्री हरि विष्णु कामत : यद्यपि प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया, तथापि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया। मैंने अपने भाषण में मंत्री-परिषद् के एक उपमंत्री का उल्लेख किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह उपमंत्री वही व्यक्ति है जो दो अथवा तीन वर्ष पहले दो वर्ष तक किसी राज्य की जेल में रहे हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जम्बिया सरकार ने भारत सरकार से सहायता की प्रार्थना की है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा के समय घाना में क्रांति हुई थी, तथा चर्चा में इस का उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या घाना सरकार ने भारत सरकार से उन्हें मान्यता देने की प्रार्थना की है और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि सभा को विदित है कि हम में से बहुत से एक या अनेक दफह जेल में रहे हैं (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कहा कि वह राष्ट्रविरोधी कार्यवाही के कारण ..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न जम्बिया के बारे में था और तीसरा घाना के बारे में।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे खेद है कि विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि क्या जम्बिया ने सहायता की प्रार्थना की है और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसका उल्लेख मैं अपने भाषण में कर चुकी हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : घाना के बारे में बताया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह मामला हमारे विचाराधीन है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Prime Minister has stated in her speech that different problems facing the country would be met with determinations. May I know what decision has been taken regarding the implementation of Santhanam Commission's recommendations for uprooting corruption, as corruption is our main problem?

Mr. Speaker : Has any decision been taken regarding Santhanam Commission's recommendations?

Shrimati Indira Gandhi : Many decisions have been taken in this regard. I have clearly stated that if there is any *prima facie* case against any body, it will certainly be looked into.

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि आवश्यकता न रहने पर आपातकाल को एक क्षण के लिये भी नहीं रखा जायगा। परन्तु शब्द "आवश्यकता" तुलनात्मक है। यह निश्चित कौन करेगा कि अब आवश्यकता है अथवा नहीं—क्या इस बारे में किसी न्यायिक निकाय की सहायता ली जायेगी? मैं प्रधान मंत्री से यह भी आश्वासन चाहता हूं कि वह कहे कि आपातकाल तथा भारत-प्रतिरक्षा नियमों को कम से कम 1967 के निर्वाचन के बाद समाप्त किया जायेगा।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में विभिन्न राज्यों के बीच सीमा तथा जल सम्बन्धी विवादों का उल्लेख किया है, परन्तु प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में इस बारे में कुछ नहीं बताया। प्रधान मंत्री कह सकती है कि ये मामले महत्वहीन हैं, परन्तु इन मामलों से बहुत से राज्य प्रभावित हैं और कई वर्षों से इन का कोई हल नहीं निकाला जा सका है। मैं जानना चाहता हूं प्रधान मंत्री की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : निस्संदेह ये मामले महत्वपूर्ण हैं। हम इन पर पूर्ण गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने और विशेषत: प्रधान मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि विभिन्न राज्यों में दिये जाने वाले राशन की मात्रा भिन्न भिन्न है और कुछ राज्यों में तो यह केरल में दिये जाने वाले राशन से भी बहुत कम है। क्या सरकार इसे हर राज्य में समान बनाने के बारे में कोई निर्णय करेगी?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : खाद्य पर चर्चा करते समय इस पर विचार किया गया तथा खाद्य मंत्री ने बताया था कि समुचित खाद्य नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : प्रधान मंत्री ने केरल तथा पश्चिम बंगाल के सदस्यों को विशेष अपील की है कि हमें राष्ट्र की खाद्य संबंधी कठिनाई और विशेषतया चावल संबंधी कठिनाई को अपने लोगों के सामने रखनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री स्वयं इस बात से संतुष्ट है कि देश में जो कुछ पैदा किया जाता है उसका समान वितरण किया गया है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने माननीय सदस्यों से यह निवेदन किया है कि वे लोगों को बताये कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं तथा जिस प्रकार का खाद्यान्न हमें मिले हमें उसका ही उपयोग करना चाहिये। ऐसा करने से स्थिति सुधरेगी।

श्री वासुदेवन नायर : देश में चावल उपलब्ध है, परन्तु इस का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैंने पहले कहा है हम समूचे प्रश्न पर सविस्तार विचार कर रहे परन्तु हम बीच में अपनी नीति को एकदम नहीं बदल सकते।

Shri Maurya (Aligarh) : Mr. Speaker, many hon. Members and myself have attracted Government's attention towards the pitiable conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country, but the Prime Minister have not spoken, even a word about this main problem in the country in her speech. May I know whether the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be ignored in the same way in which the Prime Minister has ignored them in her speech?

Shrimati Indira Gandhi : The hon. Member is quite right. I am sorry for not making any reference regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But it does not mean that we are not paying due attention to this problem. We are quite aware of their conditions and every effort will be made to help them in whatever way we can.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I wish to draw your attention to the statement made by Sant Fateh Singh today. I want to plead to you very strongly that the rights of the people of Hariyana should not be suppressed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether the Parliamentary Committee on Punjabi Suba would submit its report to Parliament or to Government? The point may be clarified.

Mr. Speaker : I may clarify this point. If it is a Parliamentary Committee it would submit its report to Parliament, because it is defined in the Rules that a Parliamentary Committee is the Committee which submits its report to the Parliament. Moreover a Committee whose Chairman is Speaker cannot submit its report to the executive.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा सरकार को इस का उत्तर देना चाहिये। सरकार ने बहुत ही भिन्न मत व्यक्त किया है। आप को इस प्रश्न को ऐसे नहीं टालना चाहिये। यह प्रश्न सरकार से पूछा गया है, सरकार को इस का उत्तर देना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सरकार को इस का उत्तर देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमें इस बारे में गंभीर असंतोष है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि समाचार पत्रों में कुछ अन्य प्रकार के वक्तव्य छपे थे परन्तु मैंने उन में हस्तक्षेप किया है। यह गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य में है कि उन्होंने मुझे एक संसदीय समिति बनाने की प्रार्थना की थी। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह एक संसदीय समिति है, न कि संसद सदस्यों की एक समिति।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : चाहे यह संसद् सदस्यों की समिति हो अथवा नहीं। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे यह कहने को बाध्य होना पड़ रहा है कि इतने जटिल राजनैतिक प्रश्न को ऐसी समिति को नहीं सौंपना चाहिये जिसके सभापति अध्यक्ष महोदय हों। इस से दुर्भाग्यपूर्ण बात सभा में आज तक नहीं हुई है। यह तो प्रजातंत्र की कब्र खोदना है। सरकार को यह स्थिति समझनी चाहिये। हमें इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : मैं जिम्मेदार नहीं हूं . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : परन्तु गृह-कार्य मंत्री तो कुछ और ही बात कह रहे हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महोदय, आपसे संबंधित बातों पर मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसका उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं कि मैंने आपको इस समिति का सभापति बनने की प्रार्थना की थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह सरकारी समिति नहीं है। हम इस के लिये सरकार को जिम्मेदार नहीं हैं। श्री हरिश्चन्द्र माथुर को चाहिये कि वह अपने शब्द वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने स्थानों पर बैठ जायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक मत भेदों के कारण गृह-कार्य मंत्री ने अस्पष्ट वक्तव्य दिया था। सरकार ने आपके अध्यक्षता में समिति का गठन इस कारण से किया था, कि इस समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जा सके। आप के बारे में कुछ भी कहना गलत है तथा आप पर किया गया आक्षेप वापस लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें। अब हम श्री रंगा का संशोधन लेंगे (**अन्तर्बाधायें**)

श्री भागवत झा आजाद : हमें भी बोलने का अधिकार है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री ही० ना० मुकर्जी ने हम पर आक्षेप किया है कि हमारे दल में आन्तरिक मतभेद है । यह सर्वथा अनुचित है । मैं इस का विरोध करता हूं ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री ही० ना० मकर्जी ने हम पर आक्षेप किया है कि हमारे दल में आन्तरिक भेदभाव है । यह सर्वथा अनुचित है । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

श्री मौर्य : इस का क्या कारण है कि एक कांग्रेसी सदस्य इस प्रकार चिल्ला रहे है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि वाद विवाद में आप के बारे में भी कुछ कहा गया है । यह सर्वथा अनुचित है ।

श्री बूटा सिंह : श्री हरिश्चन्द्र माथुर के अपने शब्द वापस लेने चाहियें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं अपना एक भी शब्द वापस नहीं लूंगा । मैंने जो कुछ कहा है इस के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी कहना है । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री कपूर सिंह : अध्यक्षपीठ पर घोर आक्षेप किये गये है । सभा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री वासुदेवन् नायर : श्री हरिश्चन्द्र माथुर को ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

श्री मौर्य : उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रधान मंत्री के खेद प्रकट करने के बाद भी, श्री माथर खेद प्रकट नहीं करना चाहते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या प्रधान मंत्री ने मेरी ओर से खेद प्रकट किया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ; वह पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं ।

श्री मौर्य : श्री हरिश्चन्द्र माथुर अध्यक्षपीठ की ओर चिल्ला रहे थे । उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं । हम अल्पसंख्या में है अत: यदि हमारी ओर का कोई सदस्य ऐसी कार्यवाही करता तो आप उस के विरुद्ध कार्यवाही करते, परन्तु क्योंकि वह सत्ताधारी दल के है, इस लिये उन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने आप ही अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया था । यह तो मैंने सरकार की प्रार्थना पर किया था । जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो सभा के सभी वर्गों ने इसकी सराहना की थी . . .

श्री बूटा सिंह : हमने अपना सहयोग इस समिति को इस दृष्टि से ही दिया था कि यह संसदीय समिति है ।

अध्यक्ष महोदय : अब यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है । परन्तु जिस ढंग से आलोचना हो रही है, वह ढंग ठीक नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैंने आपकी आलोचना नहीं की । आपने हमको ठीक नहीं समझा । आपकी आलोचना में तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है ।

Shri Prakash Vir Shastri : It would have been better if the Home Minister would have replied to this. When you have replied it then it becomes a Controversy.

श्री बूटा सिंह : क्योंकि अध्यक्ष महोदय का अपमान हो रहा है, अतः मैं सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हो सकता । मैं बाहर जाता हूं ।

(श्री बूटा सिंह बहिर्गमन कर गये)

(Shri Buta Singh Left the House)

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 को मतदान के लिये रखे जाने पर सभा में मत विभाजन हुआ;

Amendment No. 1 *was put to vote, the Lok Sabha then divided*

पक्ष में 44; विपक्ष में 226/Ayes 44; Noes 226.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत नहीं किया गया और संख्या 7 को रोक दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 और 12 मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*Amendment Nos.* 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 *and* 12 *were put and negatived.*

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 13 से 32 तक को वापिस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।/*The amendments were, by leave, withdrawn.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35, 36, 37, 38, 39 से 41 और 42 मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुये ।/*Amendments Nos.* 35, 36, 37, 38, 39,—41 *and* 42 *were put and negatived.*

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Let there be division on amendment No. 43.

Mr. Speaker : I shall take it afterwards.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 44 से 49, 50, 51 मतदान के लिये सभा के समक्ष रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।/*Amendment Nos.* 44—49, 50, 51 *were put and negatived.*

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 52 वापिस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया/*Amendment was, by leave, withdrawn.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53, 54, 55, 59, 60 और 61 मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुये/*Amendment Nos.* 53, 54, 55, 59, 60 *and* 61 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 43 मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उस पर मत विभाजन हुआ/*Amendment Nos.* 43 *was put to vote, the Lok Sabha then divided.*

पक्ष में 18; विपक्ष में 200/Ayes 18; Noes. 200

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये" :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 14 फरवरी, 1966 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

सभा में मत विभाजन हुआ / *The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 225; विपक्ष में 35/Ayes 225; Noes 35.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The Motion was adopted.*

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये** ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलवे आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : आंध्र राज्य में श्री पाटिल काफी जाने पहिचाने हैं । चुनावों के बारे में उनकी योग्यता असाधारण है । उन्होंने रेलों का किराया बढ़ाकर लोगों पर भारी बोझ डाला यद्यपि सीजन टिकिटों की कीमत कम कर दी है । पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कोई भी समय नहीं आया जब किराये भाड़ बढ़ने हों। 1960–61 में, 5 नया पैसा प्रति रुपया अनुपूरक भार डाला गया था। 1962–63 में यह बढ़ कर 50 नया पैसा हो गया । 1963–64 में यह अधिभार 10 नया पैसा प्रति रुपया हो गया। 1964–65 के बजट में यह अधिभार माल भाड़े पर 2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। 1965–66 माल भाड़ा भी बढ़ा और यात्री किराया भी । इसी तरह इस्पात, सीमेण्ट, लौह अयस्क इत्यादि चीजों पर भाड़ा बढ़ाया गया है । भाड़े के दरों में 1966–67 में 3 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी गयी है । इस सारी स्थिति का अनुमान लगाने पर आपको पता चलता है कि रेलवे प्रशासन की स्थिति शोचनीय है । श्री पाटिल इस सब के तीन कारण बताते हैं । सरकार को अधिक देना होता है । मकान भत्ता इत्यादि बढ़ाना पड़ा है, और कोयला इत्यादि प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं । इसके अतिरिक्त यह भी एक कारण कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ा है । मेरा निवेदन है कि इस सब का समन्वय रेलवे अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिये था । आज की स्थिति में किराया भाडा नहीं बढ़ाना चाहिये था ।

रेलव प्रशासन की अनुमति के बिना कोई 300 मील की यात्रा नहीं कर सकता, ऐसा एक सर्कुलर सरकारकी ओर से जारी किया गया है । यातायात की मांग बहुत असाधारण मात्रा में बढ़ गयी है । हर प्रकार के यातायात की संभावनायें बढ़ गयी हैं । रेलवे सारे यातायात की मांग पूरी नहीं कर सकता । यह बात तो इस सभा में कई बार कही गयी है कि रेलों की भीड़भाड़ दूर नहीं हो रही । रेलवे वाले सड़क परिवहन को दबा कर अपनी कमजोरियां छिपाना चाहते हैं । इस तरह के सर्कुलर यातायात के प्रसार और विकास में बहुत बड़ी बाधा है । रेलवे यातायात और सड़क यातायात में अस्वस्थ मुकाबला नहीं होना चाहिये । सड़क परिवहन के रास्ते में रेलवे द्वारा कठिनाइयां पैदा करना उचित नहीं कहा जा सकता । आर्थिक दृष्टि से परिवहन के क्षेत्र के में रेलवे का एकाधिकार कोई बहुत अच्छी बात नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह परिवहन का जो भी ढंग अपनाना चाहे अपनायें । अत: मेरा निवेदन यह है कि सड़क परिवहन को दबाया नहीं जाना चाहिये । सड़क परिवहन का संसार भर में आर्थिक दृष्टि से काफी प्रभाव रहा है । बड़े बड़े गहन पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों को सड़क परिवहन से ही मिलाया जा सकता है । उद्योग और कृषि को इससे बहुत भारी प्रोत्साहन मिला है । सड़क परिवहन का अंशदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है । अमरीका जैसे देश में भी 119 लाख लोग इस उद्योग में काम करते हैं । रेलवे ने देश को 185 करोड़ रुपये की पूंजी दी है,

परन्तु मोटर परिवहन ने 282 करोड़ रुपया दिया है। अतः सारी स्थिति को देखते हुए यही परिणाम निकलता है कि सड़क परिवहन को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस प्रकार के विचार 22 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादकीय में भी व्यक्त किये गये हैं। इसका रेलवे मंत्री पर प्रभाव होना चाहिये। और इस देश में रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन के बीच जो अस्वस्थ दौड़ चल पड़ी है, उसे समाप्त करेंगे।

अब मैं अन्य बहुत महत्व की बात की ओर आता हूं। वह नई रेलों के निर्माण के बारे में है। दुःख की बात है कि रेलवे विभाग का कोई मंत्री भी सभा में विद्यमान नहीं है। हमें उन क्षेत्रों में नई रेलों का निर्माण करना चाहिये जिसे हमने कृषि की दृष्टि से तथा औद्योगिक दृष्टि से विकास करना है। इस मामले में आदरणीय मंत्री जी को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिये और किसी भी परियोजना को लेने से पूर्व उस पर पूर्णतः विचार करना चाहिये। हर परियोजना को क्रमशः लेना चाहिये और किसी को भी अनुचित तौर पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। रायलसीमा में रेलवे वहां की विशेष परिस्थितियों को देख कर बनाई गयी थी। यह क्षेत्र हमेशा दुर्भिक्षयुक्त क्षेत्र रहा है और यहां पर कई तरह के रासायनिक संसाधन भी है। दुःख की बात है कि आज की सूचि में पहले लेने वाली रेलवे लाइनों को अन्तिम रूप में लिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

रायलसीमा क्षेत्र में कड़प्पा और रायचोरी से होते हुए नन्दयाल से मदनपल्लि तक रेलवे लाइन का निर्माण करना बड़ा ही जरूरी है। कारण यह है कि रायलसीमा क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त रेनुगुण्टा से तिरुपति तक, जिनमें केवल 6 मील का ही केवल अन्तर है, एक बड़ी लाइन बनाने के लिए समय समय पर मांग की जाती रही है। इसके अतिरिक्त तिरुपति एक तीर्थस्थान है अतः इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। क्योंकि इसके साथ हिन्दुओं की धार्मिक भावनायें भी जुड़ी हुई हैं। कलकत्ता मेल को गुडुर पर, जो कि एक महत्वपूर्ण जंकशन भी है रुकना चाहिये। इससे इस क्षेत्र के यात्रियों को काफी लाभ हो सकता है। आमों के यातायात के लिये रायलसीमा को माल डिब्बे दिये जाने चाहिये, अन्यथा वहां के लोग बिल्कुल बरबाद हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त लम्बे फासले पर चलने वाली रेलगाड़ियों में सोने के डिब्बों में लोगों को सोने के लिये स्थान नहीं मिलते हैं। अतः लम्बे फासले वाली रेल गाड़ियों में सोने का डिब्बा एक एक और जोड़ा जाना चाहिये। हावड़ा और राउरकेला के बीच चलने वाली गाडी को वाल्टेयर तक चलाया जाना चाहिये।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : गत वर्ष मैंने रेल मंत्री को किरायों में तथा माल भाडे में वृद्धि किये बिना बचत का आयव्ययक पेश करने पर बधाई दी थी। इस वर्ष भी बचत का आयव्ययक है और न केवल किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है बल्कि सीज़न टिकट की दरों में कमी की गई है जिसके लिये मेरे मित्र श्री नरसिम्हा रेड्डी ने आलोचना की है की यह घटी हुई दर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों में 20 किलोमीटर से अधिक फ़ासले के लिये हैं।

परन्तु कोयला, कोक और नमक के लिये 800 किलोमीटर से अधिक फासले पर भाड़े की दर बढ़ा दी गई है। वद्धि का कारण यह बताया जाता है कि पिछले वर्ष भाड़े की दर का पुनर्विलोकन नहीं किया गया था। दूसरे लम्बे फासलों पर इन वस्तुओं का लाया-ले जाना अलाभप्रद सिद्ध हों रहा है। इस वृद्धि से रेल विभाग को 18.10 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। मेरे मत में कोयला व नमक के लिये 800 किलोमीटर से अधिक फासले के भाड़े में वृद्धि सवारी किरायों में वृद्धि से कहीं अधिक बुरी है। इस प्रकार इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा और दूसरी वस्तुओं के मल्य पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार देश के अधिकतर लोगों को खास तौर से उन लोगों को जो रेल में यात्रा भी कम करते हैं इसका भार उठाना पड़ेगा। किरायों में वद्धि होने से तो केवल यात्री वर्ग पर ही असर पड़ता है। गरीब से गरीब आदमी भी नमक खाता है। यदि माननीय रेल मंत्री इन वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि न करते तो बहुत अच्छा होता।

[श्री अ० प्र० शर्मा]

माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि वर्ष 1965–66 में रेल विभाग के कार्य-चालन व्यय बढ़ गये हैं और उनके कारण भी दिये हैं कि महंगाई भत्ते तथा मकान किराया भत्ते में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है। ईंधन के जिसमें डीज़ल और कोयला शामिल हैं मूल्य में वृद्धि भी इसका कारण बताया गया है। अतः यह कुछ जचता नहीं है कि एक तरफ तो रेल विभाग अधिक भाड़ा वसूल करे और दूसरी तरफ वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को कार्य चालन के खर्चों में वृद्धि का कारण बताये ।

महंगाई भत्ता तथा प्रतिकरात्मक मकान किराया भत्ता जो रेल कर्मचारियों को दिया जा रहा है उस संबंध में मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ बराबर रेल अधिकारियों से यह अनुरोध कर रही है कि नक़द भत्ता दिये जाने से कर्मचारियों को विशेष लाभ नहीं ही सकता और वे इस प्रकार संतुष्ट नहीं हो सकते । हमने यह सुझाव दिया है कि पहले की भांति सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायें। यह सुविधा दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जायें। मुझे खेद है कि रेल मंत्रालय नें जिसमें सबसे अधिक लोग नौकरी करते हैं इस सुझाव की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है ।

इसी प्रकार प्रतिकरात्मक मकान किराया भत्ता के संबंध में मैंने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों को भत्ता नहीं बल्कि रहने के लिये मकान चाहिये। इस संबंध में मेरा यह सुझाव था कि रेलवे स्टेशन या कारखानों के निकट रेल विभाग अपने कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार मकान बनाने के लिये भूमि दे। रेल विभाग भविष्य निधि से मकान बनाने के लिये क़र्ज़ या पेशगी दे कर कर्मचारियों की सहायता कर सकती है। परन्तु रेल विभाग नें मेरे किसी सुझाव पर कोई ग़ौर नहीं किया है। अतः इन भत्तों के कार्य-चालन में वृद्धि का कारण बताना उन रेल कर्मचारियों पर इल्ज़ाम लगाना है जो रात-दिन अच्छे और बुरे मौसम में काम कर के अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं ।

रेलों की रफ्तार के सम्बन्ध में रेल मंत्री ने कहा है कि कुछ गाड़ियों का विशेषकर हावड़ा-दिल्ली डाक गाडी और हावडा-मद्रास डाकगाडी का चलन-समय कम हो गया है; परन्तु कालका-हावड़ा डाक-गाड़ी औसतन 56 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से और मद्रास-हावड़ा डाकगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। विद्युतीकरण तक डीज़लकरण के होने पर भी केवल यह सुधार है। जब हावड़ा से इलाहाबाद तक विद्युतीकरण हो चुका है तो कालका-हावड़ा डाकगाड़ी को आसनसोल तक डीज़ल से क्यों चलाया जाता है? विद्युत् द्वारा चलाने से गाड़ी की रफ्तार हावड़ा से दिल्ली तक बढ़ायी जा सकती है ।

मद्रास-हावड़ा डाकगाड़ी कम से कम बेज़वाड़ा और वाल्टेयर के बीच, सवारी गाड़ी की चाल से नहीं चलनी चाहिये जब कि लोग डाकगाडी का किराया देते है। गुडूर पर गाडी रुकने की व्यवस्था किये जाने पर मुझ कोई आपत्ति नहीं है। रेल विभाग नें इस गाडी की गति के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया है ।

अब मैं श्रमिक सम्पर्कों के विषय में कुछ कहूंगा । रेल मंत्री ने रेल विभाग में श्रमिक सम्पर्कों के अच्छे होने की बड़ी प्रशंसा की है। रेल विभाग जिसमें 16 लाख श्रमिकों को रोज़गार मिला हुआ है, बराबर यही प्रचार करता है कि उसके श्रमिकों से संबंध बहुत अच्छे हैं और यह जानने की कोशिश नहीं की जाती कि क्या श्रमिक भी संतुष्ट है या नहीं ।

रेल विभाग और श्रमिकों के बीच झगड़ों को सुलझाने के संबंध में स्थायी समझौता वार्ता व्यवस्था के बारे में कहा जाता है। परन्तु पिछले 12 वर्षों में इस व्यवस्था का अनुभव अच्छा नहीं रहा है । ऐसा प्रबन्ध है कि यदि झगड़े रेल विभाग तथा संघ के बीच बोर्ड के स्तर पर नहीं सुलझ सकते तो एक तदर्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिये। रेल विभाग के समक्ष कई झगड़े सुलझाने के लिये हैं परन्तु कोई न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं किया गया है। क्या यह अच्छे श्रमिक सम्पर्कों का सूचक है।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आप कुछ सामयिक श्रमिकों के सम्बन्ध में क्यों नहीं कहते? वे सबसे अधिक शोषित वर्ग हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : हम बड़ी कठिनाई से रेल मंत्रालय के सामयिक श्रमिकों के लिये कुछ करा पाये हैं। रेल बोर्ड का नवीनतम निर्णय यह है कि सामयिक श्रमिकों को कम से कम 1.50 दैनिक मजूरी मिलनी चाहिये। अदक्ष श्रमिक क्या करेगा यदि उसे 1.50 रु० प्रति दिन मिलेगा। यदि कोई सामयिक श्रमिक किसी ऐसे व्यक्ति के स्थान में कार्य करता है जो आकस्मिक अवकाश पर गया हुआ है तो उसे भी 1.50 रु० दैनिक मिलेगा। परन्तु यदि वह श्रमिक ऐसे व्यक्ति के स्थान में कार्य करता है जो विशेषाधिकृत छुट्टी पर है तो उसे इस व्यक्ति के वेतन का 1/30 जो करीब 3 रुपये के होता है, मिलता है। अतः सामयिक श्रमिक किसी भी प्रकार के रिक्त स्थान में कार्य करे उसे क्या अन्तर पड़ता है। अतः रेल विभाग को ऐसे चार लाख सामयिक श्रमिकों के प्रति न्याय का रुख अपनाना चाहिये।

अब मैं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। रेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण जब किया जाता है तो इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता कि क्या रेल विभाग उसे मकान प्रदान करेगा, क्या उसके बच्चों की शिक्षा पर कोई कुप्रभाव पड़ेगा, क्या उसके घर पर कोई बीमार सदस्य है या वह स्वयं बीमार है।

स्थानान्तरण भी कई प्रकार के हैं। एक विचित्र प्रकार का स्थानान्तरण है जिसे नियतकालिक स्थानान्तरण कहा जाता है। हर 3 वर्षों या 5 वर्षों के पश्चात लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर के भेजा जाता है। और इसका कारण भ्रष्टाचार को दूर करने की व्यवस्था कहा जाता है।

यह स्थानान्तरण विशेषरूप से निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों का होता रहता है। उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का भी होता रहता है। परन्तु उनके लिये बंगला तैयार रहता है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह यह देखें कि स्थानान्तरण से पूर्व कर्मचारी के रहने के लिये मकान की व्यवस्था हो जाये।

उच्च श्रेणी के कर्मचारियों में भी असंतोष है। उन की यह शिकायत है कि 1,000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कुछ मिलता है और 2,250 वेतन पाने वालों को कुछ और मिलता है क्योंकि वे स्वयं नीतियों का निर्माण करते हैं। माननीय रेल मंत्री से मैं यही आग्रह करूंगा कि वह इन कर्मचारियों के असंतोष को भी दूर करें।

रेलवे के कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था करने वाले विभाग में लोग सामयिक आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। इनके लिये कोई नियमित संवर्ग नहीं है। वहां ऐसे अधिकारी भेज दिये जाते हैं जो अन्यत्र उच्चाधिकारियों द्वारा पसन्द नहीं किये जाते। रेलवे का श्रमिक सम्पर्क विभाग इस प्रकार चल रहा है।

रेल मंत्री श्री पाटिल ने आश्वासन दिया था कि वह पटना में एक सेवा आयोग की स्थापना के प्रश्न पर बड़ी सहानभूतिसे विचार कर रहे थे। आयोग की स्थापना के लिये मांग केवल बिहार के लोगों की ओर से ही नहीं है बल्कि निकटवती दूसरे लोग भी चाहते हैं।

अब मैं रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि रेल कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर नये सिरे से विचार किया जाये। दूसरा वेतन आयोग 1957 में बनाया गया था। उसकी सिफारिशों को 1959–60 में कार्यान्वित किया गया था। अब नये आयोग का बनाया जाना आवश्यक है ताकि संतुष्ट रेल कर्मचारी रेलों के कार्य को दक्षता से चला सकें।

डा० श्रीनिवासन् (मद्रास–उत्तर) : मैं रेल मंत्रियोंको उनके द्वारा अतिरेक आय-व्ययक पेश करने पर जिसमें 22.99 करोड का अतिरेक है बधाई देता हूं। परन्तु मैं रेल मंत्री के भाषण की पृष्ठ 17 में पैरा 18 की उन पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ सका हूं जिनमें कहा गया है कि किरायों में वृद्धि नहीं की जायेगी। क्या इसका यह मतलब है कि रेल विभाग हर वर्ष किराया बढ़ाने पर उतारु रहता है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। जनता करों के बोझ से पहले ही दुःखी है।

[श्री श्रीनिवासन्]

अब मैं नमक के भाडे पर 3% अधिभार के बारे में कहना चाहता हूं। श्री शर्मा ने पहले ही इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। सारा सदन जानता है कि देश को स्वाधीनता नमक सत्याग्रह के कारण मिली है। अत: ऐसी वस्तु पर किस प्रकार कर लगाया जा सकता है? अभी तक नमक पर कोई कर नहीं लगाया गया था परन्तु अब रेल मंत्री इसके लाने-लेजाने पर कर लगा रहे हैं। मुझे आशा है कि वह अपने उत्तर के समय उसे हटा देंगे।

यह 3% का अधिभार उपभोक्ताओं के लिये 100% से 200% तक हो जायेगा।

जैसा कि आप जानते हैं मैं मद्रास राज्य का प्रतिनिधि हूं। वहां से तीन गाडियां चलती हैं। जनता गाडी जो सवारी गाडी है करीब 54 घंटे लेती है, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस 45 घंटे लेती है और वातानुकूलित डिलक्स एक्सप्रेस और सदर्न एक्सप्रेस 42 घंटे लेती है। कुछ थोड़े से ऐसे अवसरों को छोड़कर जब मैंने वायुयान द्वारा यात्रा की थी, मैं 1400 मील की यात्रा इन गाड़ियों में से किसी न किसी गाड़ी से करता आया हूं परन्तु ये गाड़ियां शायद ही कभी समय पर चली या पहुंची होंगी। 42, 45 और 52 घंटे की इस यात्रा के कारण इनमें भोजन वाला डब्बा भी लगा होता है। परन्तु जब कभी मैंने यात्रा की है यह डब्बा नहीं था। जंक्शनों पर पीने के लिये पानी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। पिछली बार दिल्ली आते समय बेजवाड़ा से आगे भोजन वाला डब्बा हटा दिया गया था। गार्ड ने बताया कि धुरी में कोई खराबी के कारण भोजन वाला डिब्बा हटा दिया गया था। अत: नाश्ता सुबह 9.30 बजे मिला और दोपहर का खाना सायं 3 बजे मिला। रात का भोजन 11 बजे मिला।

सीज़न टिकट में कमी की गई है परन्तु मद्रास, कलकत्ता और बम्बई इससे क्यों वंचित रहें? लोग इतनी दूर से शौक़िया तरीके से या मनोरंजन के लिये तो नहीं आते। लोग काम पर 20, 30 या 40 मील से बड़ी कठिनाई और परेशानी उठाते हुए इसलिये आते हैं कि रहने के लिये इन जगहों में मकान नहीं मिलता। मंत्री महोदय को इन शहरी लोगों की कठिनाइयों को समझना चाहिये। मैं इन शहरी लोगों का प्रतिनिधि हूं और उनकी कठिनाइयों को खूब समझता हूं।

मद्रास राज्य में केवल एक विद्युत् से चलने वाली गाडी है जो विल्लूपूनम तक चिलापेट्टु हो कर और दूसरे क्षेत्र में मद्रास से तिरवल्लूर और अरकोणम तक अथवा मद्रास से गुडूर तक जाती है। यह गाडियां समय निष्ठता से चलती हैं। पंजाब के बाद मद्रास राज्य में इन स्थानों के निकट बहुत से उद्योग स्थापित हैं। तिरवल्लूर तक जहां कारखाने हैं, लोगों को डीज़ल गाड़ियों की सुविधा दी जाये क्योंकि साइकिल जैसे वैकल्पिक उपाय का भी लोग अधिक फ़ासले के लिये प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक विद्युत् द्वारा गाड़ियां चलायी जाना शुरू किया जाये डीज़ल गाड़ियों की व्यवस्था अत्यावश्यक है। मैं नहीं कह सकता कि तीसरी और चौथी योजनाओं में तथा पांचवी योजनामें विद्युतीकरण के लिये कोई प्रस्थापना की गई है या की जायेगी। अत: अन्तरिम काल में कम से कम डीज़ल से चलने वाली एक शटल गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं विवाचन तथा समझौते के पहल पर कुछ प्रकाश डालूंगा। जब श्रम मंत्री तथा अन्य मंत्री सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों से विवाचन तथा समझौता बोर्ड बनाने के लिये कह रहे हैं तो रेल मंत्री भी इस सुझाव पर ध्यान क्यों नहीं देते? उनके विभाग में कई व्यथायें हैं। उदाहरण के लिये महंगाई भत्ता का प्रश्न है। मेरा सुझाव है कि महंगाई भत्ता हमेशा के लिये समाप्त करके उपभोक्ता की वस्तुओं की उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जायें। रेल विभाग इस सुझाव पर अमल कर के राज्य तथा केन्द्र सरकारों के लिये उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका तथा दूर-पूर्व के देशों में साप्ताहिक वेतन दिये जाने की व्यवस्था को यहां भी लागू किये जाने की सिफारिश करूंगा। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बड़ा लाभ होगा। जिन लोगों को थोड़ा वेतन मिलता है उनके पास प्राय: दूसरे या तीसरे सप्ताह में कुछ शेष नहीं रह जाता और उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है।

इस के अतिरिक्त सहायक स्टेशन मास्टरों और 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों के गार्डों की बहुत सी शिकायतें हैं। वे अधिक कार्यभार तथा दबाव के कारण परेशान हैं। इसके पश्चात् चिकित्सा स्नातकों और अनुज्ञप्तिधारी चिकित्सकों के बीच भेद भाव किये जाने का प्रश्न है। हाल ही में मैंने विभाग के राज्य मंत्री से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की थी और मैं आशा करता हूं कि वह मेरे दृष्टिकोण को समझ गये होंगे। रेल विभाग के चिकित्सकों ने वेतन श्रेणी के सुव्यवस्थाकरण के सम्बन्ध में जो अभ्यावेदन दिया है उस में कहा गया है कि रेल विभाग के स्नातक तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों प्रकार के चिकित्सकों पर एक जैसा कार्यभार और उत्तरदायित्व है फिर भी बोर्ड ने अपने पिछले भेदभाव न किये जाने के निर्णय से विचलित होकर चिकित्सकों की दो श्रेणियां बना दी हैं। पहले यह दो श्रेणियां की व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी परन्तु अब दो श्रेणियां बना कर बोर्ड ने अपने पुराने नीति निर्णय के विरुद्ध जाकर ऐसा किया है कि स्नातकों को क्लास II की प्रतिष्ठा तथा 350—900 की वेतन श्रेणी दी है और अनुज्ञप्तिधारियों को 335—650 की वर्तमान वेतन श्रेणी दी है। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी सहायक चिकित्सकों के साथ भेदभाव किया गया है और सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के लिय प्रतियोगिता में भाग ले सकने के वर्तमान विशेषाधिकार में कमी कर के उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया है।

मैं रेल मंत्री से इस मामले पर विचार किये जाने के लिये अनुरोध करता हूं।

मद्रास राज्य में तिन्नेवेल्ली—कन्या कुमारी रेल लाइन के लिये भारी मांग है। इस लाइन के लिये राज्य सरकार ने सिफारिश की थी और केन्द्रीय सरकार ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। मैं नहीं कह सकता कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको रखा गया है या नहीं। तिरुचिरापल्ली—तूतीकोरिन लाइन को भी छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

श्री नरसिम्हा रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि रेनिगुन्टा से तिरुपति तक के 6 या 7 मील के फासले पर अभी तक छोटी लाइन ही चल रही है। इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को अपना निजी ध्यान देना चाहिये जिससे वेन्कटेश्वरजी के तीर्थ-यात्रियों को कोई कठिनाई न हो।

ऐसी माल गाड़ियों पर जिनमें करीब 60 माल डिब्बे होते हैं केवल एक ड्राइवर, दो फायरमैन और एक गार्ड रहते है जबकि ड्राइवर की सीट और गार्ड के डिब्बे के बीच का फासला दो-तीन फरलांग होता है। रास्ते में स्टेशनों पर बहुत लघुचोरी होती है। गार्ड व ड्राइवर यह जानते हुए कि चोरी हो रही है घायल हो जाने के भय के कारण बाहर निकल कर नहीं आते। इस प्रकार बहुत अधिक नुकसान होता है क्योंकि रेल विभाग को चोरी हुए माल का भारी मुआवाजा अदा करना पड़ता है। माननीय मंत्री को ऐसी गाड़ियों पर सशस्त्र पुलिस सिपाहियों को नियुक्त करने के बारे में सोचना चाहिये ताकि लघुचोरियां रोकी जा सकें।

भोजन के डिब्बों के बारे में मैं यह कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि भोजन के डिब्बों को बार बार किसी न किसी कारण से खराब हो जाने और हटाये जाने की शिकायते दूर की जा सके। ब्रिटिश काल में स्पेन्सर एण्ड कम्पनी भोजन के डिब्बों की व्यवस्था करते थे। यदि कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकती तो मंत्री महोदय साफ साफ़ ऐसा कह दे कि ब्रिटिश काल की भांति अब भोजन के डिब्बे गाड़ियों में नहीं लगाये जायेंगे ताकि लम्बे सफर पर लोगों को भोजन डिब्बों के खराब हो जाने के कारण कठिनाई न उठानी पड़े और वे अपने खाने और अल्पाहार इत्यादि की स्वयं व्यवस्था कर सके। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : मैं रेलवे मंत्री महोदय को इस बजट के लिये बधाई नहीं दे सकता। इस बजट में रेलवे के काम का ब्यौरा दिया गया है। उससे किसी प्रकार की संतोषजनक स्थिति हमारे समक्ष नहीं आती। इस में रेल कर्मचारियों तथा सामान्य जनता के उद्धार के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। पिछले वर्ष आय में वृद्धि हुई है। रेलवे ने योजना कार्य में अधिक राशि दी है। इस प्रकार वित्तीय पहलू से रेलवे की स्थिति अच्छी है। सामान्य राजस्व में भी रेलवे का अंशदान बढ़ गया है। इन सब बातों के होते हुए भी सामान्य जनता के लिये बहुत कम कार्य किया जा रहा है।

[डा० रानेन सेन]

यह चुनाव का वर्ष है इसलिये रेलवे मंत्री ने किरायों तथा माल भाड़े में वृद्धि नहीं की है। पिछले 20 वर्षों में तीसरे दर्जे के किराये में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहां कहा जाता है कि कोयले आदि के मूल्य में वृद्धि हो गयी है। मैं समझता हूं कि इस के लिये भी सरकारी ही जिम्मेदार है। सरकार ने ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं की है कि जिससे मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी नहीं करती और मुनाफाखोर अनुचित लाभ उठाते हैं। मैंने देखा है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में इस बजट के कारण मूल्यों में वृद्धि होती शुरू हो गयी है। सरकार केवल वक्तव्यों द्वारा कार्य करना चाहती है परन्तु इस से काम नहीं चलेगा।

रेलवे ने अपनी आवश्यकताओं के बारे में आत्मनिर्भरता करने में काफी प्रगति की है। यह ठीक है कि माल डिब्बों और अन्य साजसामान तैयार हो रहा है परन्तु कई वस्तुएं गैरसरकारी क्षेत्र के कारखानों में तैयार की जा रही है। सरकार को सभी चीजों का सरकारी क्षेत्र में निर्माण करना चाहिये। यह अच्छी बात है कि डीज़ल से और विद्युत से गाड़ियां चलायी जाने लगी हैं। इस सम्बन्ध में हमें सभी कलपुर्जे देश में ही बनाने चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी देनी चाहिये। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय यह बात स्पष्ट हो गयी है कि पश्चिमी देश हमें धोखा दे देते हैं। अतः सरकार को आत्म-निर्भरता पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये।

रेलवे में सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों के काम में वृद्धि हो गई है। डीज़ल और विद्युत् से गाड़ियों के चलाने से रेलवे में बेरोज़गारी होने का संदेह है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये। हमें सभी कामों में अमरीका का अनुकरण नहीं करना चाहिये। हां, हमें रूस का भी अनुकरण नहीं करना चाहिये। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति को हमें कुल धन के व्यय होने से नहीं आंकना चाहिये। हमें देखना होगा कि इनसे हमारी समस्याओं का कहां तक समाधान हुआ है। हम देख रहे हैं कि योजनाओं के साथ साथ हमारे देश में बेरोजगारी में भी वृद्धि होती जा रही है। रेलवे प्रशासन में सब से अधिक संख्या में लोग काम पर लगे हुए हैं। सरकार को रेलवे में और अधिक लोगों को रोज़गार सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये। बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें तुरन्त दूर की जानी चाहिये और उनको सभी प्रकार की सुविधाऐं मिलनी चाहिये। इस बारे में श्री अ० प्र० शर्मा ने जो बातें कहीं हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। यह भी कहा गया है कि रेल दुर्घटनायें मनुष्य की गलती के कारण होती हैं। परन्तु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा जब कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न हों तो उनसे गलती हो सकती। कलकत्ता नगर से बाहर के क्षेत्र में चावल 3 रुपये किलो बिक रहा है। जब लोगों को चावल इतना महंगा मिलता है तो उनमें क्षुब्धता की भावना फैलना स्वाभाविक ही है। सरकार को कर्मचारियों के लिये सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करनी चाहिये। सरकार को कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और स्थिति में सुधार करने के लिये एक मजूरी बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये। इन लोगों के लिये उचित मूल्य वाली अनाज की दुकान खोलनी चाहिये

कलकत्ता नगर के लिये वृत रेलवे की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने के लिय एक समिति बनायी गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या प्रगति हुई है। कलकत्ता में स्थानीय गाड़ियों के संचालन में सुधार की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

रेलवे उच्चाधिकारियों पर बहुत व्यय होता है। इस प्रकार सरकारी धन व्यर्थ में व्यय किया जाता है। इस बारे में मितव्ययता से कार्य होना चाहिये। सरकार को वातानुकूलित कोच हटा देने चाहिये। उनके स्थान पर तृतीय दर्जे के कोच लगाने चाहिये। जनता गाड़ियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये और अधिक सुविधायें उपलब्ध करनी चाहियें। छोटे छोटे स्टेशनों पर विशेष रूप से यात्रियों बहुत कठिनाई होती है। इन्हें सभी सुविधायें उपलब्ध करानी चाहियें। पिछले साल कहा गया था कि सभी मंत्रालय अपने लिये लेखन सामग्री की व्यवस्था करेंगे। परन्तु इसका रेलवे मंत्रालय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं मानता हूं कि रेलवे ने काफी प्रगति की है परन्तु इसमें और अधिक प्रगति और सुधार होना चाहिये।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The Railways deserve all praise for their magnificent performance during 1965. During the Indo-Pak conflict Railway administration did commendable work. I congratulate them for this. The Railways run about the thousand trains. There are about 6,800 Railway stations in our country. It is like an empire under our Government. Some sections of narrow guage are even now under private ownership. Government should take over this.

Railway is not a commercial organisation. It has played vital role in the development and defence of the country. About 97 per cent of our people avail themselves of railway for travelling purposes. Government should provide all facilities to the passengers of third class. They are the main source of earning. Government should abolish class distinctions. There should be only one class. It would be in keeping with the ideals of socialism. I would request the hon. Minister to consider the question of removing the saloons.

Railway's income can be increased by checking pilferage. Ticketless travel should be checked more vigorously and the expenditure on administration should be curtailed. By taking these steps Government can increase its income. The Railway authorities should prepare a long term plan to convert the narrow guage and metre gauge lines into broad guage ones. Special efforts should be made to avoid accidents.

Now I want to say about North-Eastern Railway. The railway line from Barauni to Lucknow should be doubled. A railway line should be laid from Banaras to Bhatni. It will help in economic development of Eastern U. P. The basic facilities like sheds should be provided for passengers on Railway stations.

There are many areas in the country where rail facilities are not there. It is important from defence point of view.

The railwaymen should be given equal facilities. There should not be any discrimination in this matter. I prefer departmental catering to private one. The catering requires much improvement. The hon. Minister should think over this seriously and take necessary steps. Railway authorities should provide financial help to all such educational institutions where children of Railway employees are studying.

I request that the suggestions put forward by us here should be considered seriously. The Railway offical's should also be instructed to attend our proposals carefully. I appreciate the working of Railways. There is still sufficient scope to improve. With these words I support the Railway Budget.

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि) : रेलवे मंत्री इस वर्ष का आय-व्ययक पेश करने के लिये हमारी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह न केवल अतिरिक्त आय-व्ययक है, अपितु इस में रेलों में यात्री करने वाली सामान्य जनता को रियायतें दी गई हैं तथा यात्री भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बीस मील से अधिक दूरी के सीज़न टिकटों की दर में भी कुछ कमी की गई है। चीनी, चाय, औषधियों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं जैसी नित्य प्रयोग की वस्तुओं के भाड़े की दर में भी थोड़ी सी कमी की गई है। मैं समझती हूं कि इस श्रेणी में शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं, परन्तु यदि इस में वह वस्तुयें शामिल नहीं है, तो मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगी कि इसमें शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि को भी शामिल किया जाय।

[श्रीमती अकम्मा देवी]

मैं श्री अ० प्र० शर्मा तथा डा० श्री निवासन् के कथन से सहमत हूं कि नमक पर 3 प्रतिशत की दर से लगाया गया अधिभार समाप्त किया जाय। नमक एक ऐसी वस्तु है जिस की समाज के हर व्यक्ति को समान रूप से आवश्यकता होती है। अत: यदि यह अधिकार समाप्त न किया गया तो इसका गरीब जनता पर कुप्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह आय-व्ययक पर हुई चर्चा का उत्तर देते समय यह घोषणा करें कि नमक पर से अधिभार समाप्त कर दिया गया है।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र उटकमण्ड के बारे में कुछ सुझाव देती हूं। उटकमण्ड को पर्वतीय रमणीय स्थानों की रानी कहा जाता है। देश के अन्य पर्वतीय रमणीय स्थानों की भांति वहां न केवल हमारे देश से पर्यटक आते हैं, अपितु विदेशी पर्यटकों के लिये भी वह आकर्षण का स्थान है। परन्तु वहां रेल की व्यवस्था अच्छी नहीं है उदाहरणार्थ हम नीलगिरि एक्सप्रेस द्वारा प्रात: 9 बजे मेत्तुपलयम पहुंचते हैं परन्तु वहां से कोन्नूर पहुंचने में जो केवल 20 मील की दूरी पर है हमें तीन घण्टे से अधिक समय लगता है। इस का परिणाम यह होता है कि यात्री जनता तथा पर्यटक रेल द्वारा यात्रा न कर के सड़क द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। इस से रेलवे की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत: मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार कालका से शिमला तक रेल-कार सेवा उपलब्ध है उसी प्रकार हमें मेत्तुपलयम से उटकमण्ड तक रेल-कार सेवा चालू करनी चाहिये। रेल कार-सेवा से न केवल समय की बचत होगी, अपितु रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी।

अगली बात मैं यह कहूंगी कि तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की सुख सुविधा और उनके कल्याण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ मद्रास से दिल्ली तक सप्ताह में दो दिन डी० लैक्स गाड़ियां चलाई जाती हैं। इन डी० लैक्स गाड़ियों के साथ बहुत से तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारी दिल्ली आते हैं। उन्हें मद्रास से दिल्ली पहुंचने में दो दिनका समय लगता है, तथा फिर गाड़ी चलने तक दो दिन और उन्हें दिल्ली ही रहना पड़ता है। परन्तु दिल्ली में उन के आवास का कोई प्रबन्ध नहीं है। उन्हें यहां आवास संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और विशेषत: जाड़े के दिनों में जब यहां कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो उन के लिये आवास के अभाव में जाड़े से अपनी रक्षा करना एक कठिन समस्या हो जाती है। वे लोग गर्म जलवायु से आते हैं, अत: उन्हें यहां बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। रेलवे के आरामघरों में उन्हें ठहरने की आज्ञा नहीं दी जाती। अत: मैं अनुरोध करूंगी कि हमें यात्रियों की सुख सुविधाओं पर ध्यान देने से पूर्व अपने कर्मचारियों की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिये। यदि हम रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं पर ध्यान देंगे, तो आवश्यक बात है वे स्वयं यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान देंगे। दिल्ली में उन के रहने के लिये होस्टल बनाये जाने चाहिये। उन के आवास का सुप्रबन्ध होना चाहिये। इस के बिना उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सद्दर्न ऐक्सप्रेस तथा डी० लैक्स गाड़ियों में भोजन के डिब्बे या ट्रेज रखने के लिये कोई पृथक स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले कर्मचारी गाड़ी के डिब्बों में बैठने के स्थान पर ही भोजन आदि की ट्रेज रख जाते है। इस से सफाई की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यात्रियों को भी असुविधा होती है। अत: यात्रियों की सुविधा और सफाई को ध्यान में रखते हुये गाड़ी में भोजन के डिब्बे रखने या ट्रेज रखने के लिये एक पृथक निर्माण किया जाना चाहिये। सफाई की दृष्टि से यह परमावश्यक है।

तीसरी श्रेणी के यात्रियों को स्थिति का अध्ययन करने के लिये मैंने कई दफा तीसरी श्रेणी के साधारण डिब्बों अथवा सोने के डिब्बों से यात्रा की है। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। जब कि प्रथम श्रेणी के डिब्बों की हर जंकसन पर सफाई की जाती है, तीसरी श्रेणी के डिब्बों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वह गन्दगी से भरे रहते हैं। उनके स्नान घरों में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। प्रथम श्रेणी के डिब्बों में तथा तीसरी श्रेणी के डिब्बों में यह अन्तर नहीं होना चाहिये और तीसरी श्रेणी के डिब्बों की सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मद्रास स्टेशन दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। वहां तीसरी श्रेणी के रिजर्वेशन काउन्टर पर लम्बी लम्बी लाइने लगी रहती है। वहां पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी भी नहीं है। अतः मद्रास केन्द्रीय स्टेशन के रिजर्वेशन काउन्टर पर अधिक स्थान और अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध किये जाने चाहिये।

दिल्ली की भांति ऊटी भी शीत स्थान हैं। वहां के इंजिनियरी तथा अन्य चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए गर्म कपड़ों की सप्लाई का उपबन्ध किया गया है। परन्तु साधारणतया यह देखा गया है कि यह गर्म कपड़े शीतकाल गुजर जाने के बाद दिये जाते है अतः उनका कोई लाभकारी उपयोग नहीं होता। मैं यह बात सलाहकार समिति की बैठकों में भी कह चुकी हूं तथा पुनः यहां अनुरोध करती हूं कि ऊटी स्टेशन पर शीतकाल आरम्भ होने से पूर्व इंजिनियरिंग के कर्मचारियों तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को गर्म कपड़े की सप्लाई करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : रेलवे मंत्रालय के लिये वास्तव में यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष रेलवे दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मरने वालों की संख्या में कमी आई है। रेलवे दुर्घटनाओं में इस वर्ष इतनी मौतें नहीं हुई है, जितनी वर्ष 1963 में हुई थी। परन्तु रेलवे दुर्घटनायें होती रहती है। हाल में ही हुई गुजरात मेल की दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। इन्टरलाक लाइनों पर दुर्घटना क्यों होती है यह बात सदा ही एक रहस्य बनी रहेगी क्योंकि रेलवे के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सदा सच नहीं बोलते है और इस का परिणाम यह होता है कि दुर्घटनाओं के सही निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है।

रेलवे के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में जो सच न बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसका सब से बड़ा कारण डिविजनों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का रवैया है। डिविजन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी छोटी छोटी बातों पर स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों का जवाब तलब करते है, उन पर चार्जसीट लगा देते है तथा उनकी वेतन वृद्धि खत्म कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि तृतीय श्रेणी के इन कर्मचारियों में सदा डर की भावना बनी रही है और वे हर काम डरते डरते करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में हमेशा एक अज्ञात भय विद्यमान होता है, इस लिये वे अपना काम सुचारु रूप से एवं आत्मविश्वास के साथ नहीं कर सकते। जब किसी स्टेशन मास्टर अथवा सहायक स्टेशन मास्टर को दो गाड़ियों का मिलान कराना होता है, तो वह आंतकित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उस की थोड़ी सी भूल का परिणाम क्या होगा तथा उस को सुख का सांस तभी मिलता है, जब दोनों गाड़ियां सकुशल गुजर जाती हैं। पदों में अवनति के मामलें इतने बढ़ गये है कि हाल में मुझे हिसाब लगाने से पता चला कि केवल पश्चिम रेलवे में चालू वर्ष में 783 मामलों में वाणिज्यिक क्लर्कों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों में अवनति की गई है। इस से तो यही पता चलता है कि रेलवे के अधीन एक ऐसा विभाग है जिसका काम केवल चार्जसीट लगाना अथवा सजायें देना है। यह जो रवैया रेलवे अधिकारियों ने अपना रखा है इस से कोई उपयोगी मतलब सिद्ध नहीं होता है, केवल समय और शक्ति नष्ट होती हैं। अतः इस रवैया में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

यह बात समझ में नहीं आती कि भारतीय रेलवे में केवल दो ही मजदूर संघों को, जिन में से एक का संचालन कांग्रेस तथा दूसरे का नियंत्रण साम्यवादी दल के हाथ में है, मान्यता दी गई है, जबकि भारत सरकार के अन्य विभागों में, जिस में डाक तथा तार विभाग भी शामिल है, श्रेणीवार संघों को मान्यता दी गई है। यह इस बात का द्योतक है कि रेलवे कर्मचारियों की हर श्रेणी का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं होता। हाल में ही मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक क्लर्कों को वर्दी दिये जाने पर विचार किया गया, और केवल एक विशेष श्रेणी के विशेष ज़ोन के ही वाणिज्यिक क्लर्कों को वर्दियां दी गई तथा उसी श्रेणी के अन्य जोन के वाणिज्यिक क्लर्कों को वर्दियां नहीं दी गई। जब यह प्रश्न मजदूर संघ तथा रेलवे प्रशासन की बैठक में उठाया गया तो मजदूर संघ तत्परता से इस बात पर सहमत हो गया कि अन्य वाणिज्यिक क्लर्कों को वर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि यह मजदूर संघ विभिन्न श्रेणियों का किस

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

प्रकार का प्रतिनिधित्व करते है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की समस्यायें अलग अलग है तथा श्रेणीवार विभिन्न संघों को मान्यता दी जानी चाहिये। रेलवे प्रशासन को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये जिससे इन दो संघों द्वारा जो मनमानी की जाती है उसको समाप्त किया जा सके क्योंकि इस से सारा कार्य ठप्प हो गया है। सरकार को उन सभी लोगों से बातचीत करनी चाहिये जो भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह बड़े दु:ख की बात है कि वर्तमान विधि के अनुसार यदि कोई रेलवे कर्मचारी फटा हुआ अथवा जाली नोट ले लेता है अथवा और कोई छोटी सी भूल कर देता है जिसके फलस्वरूप रेलवे को कुछ वित्तीय हानि होती है, तो रेलवे को पुन: पूर्ति की जिम्मेदारी उस रेलवे कर्मचारी की है। वह रेलवे कर्मचारी न एक दक्ष खजानजी होता है और नहीं उसके पास कोई साधन प्राप्त है जिससे वह यह जांच कर सके कि यह नोट ठीक है अथवा नहीं; इसे बैंक स्वीकार करेगा अथवा नहीं; अत: यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस की छोटी सी भूल के कारण कोई उसे जाली नोट दे जाय। परन्तु यह अन्याय की बात है कि यदि 150 रुपये मासिक वेतन पाने वाले क्लर्क को कोई 100 रुपये का जाली नोट दे जाये तो वह 100 रुपये उस के वेतन से काटे जायें। इस प्रकार की कटौती किये जाने के बाद वह निर्धन कर्मचारी कैसे अपना और अपनी परिवार का गुजारा करेगा इस का केवल अनुमान लगाने से ही हृदय पीड़ित होता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि नुकसान का पुन: भुगतान तो करना ही होता है, साथ ही उस की वेतन वृद्धि भी रोक दी जाती है। मुझे मालूम है कि कुछ मामलों में तो यह वेतन वृद्धि 10, 12, 14 अथवा 18 वर्षों तक रोक दी जाती है। इस व्यवस्था के कारण तृतीय श्रेणी के वाणिज्यिक शाखा के कर्मचारियों जैसा कि सहायक स्टेशन मास्टरों, वाणिज्यिक क्लर्कों आदि को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

[श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुई
SHRIMATI RENUKA RAY *in the Chair*]

रेलवे प्रशासन को इस बात की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। निर्धन कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था बहुत ही अनुचित है। अत: इस प्रथा को शीघ्र खत्म किया जाना चाहिये।

इस वर्ष के आय-व्ययक में यात्रियों की सुख सुविधा के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रेलवे प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि यह धन राशि जो यात्रियों की सुविधा के लिये निर्धारित की गई है वह उसी प्रयोजन के लिये खर्च की जाये, क्योंकि रेलवे अधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिये निर्धारित धन को अपनी सुविधाओं पर खर्च कर लेते है। उदाहरण के लिये अधिकारियों को अपने मकानों में एक शौच्यालय की आवश्यकता थी तो उन्होंने वह शौच्यालय बनवा लिया और उस पर खर्च किया हुआ धन यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च किया हुआ दिखा दिया गया। जब यह बात उन्हें बताई गई तो उत्तर मिला कि भूल हो गई। मेरा विश्वास है कि ऐसी भूलें प्राय: हो जाती है। अत: रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसी भूलें न हों।

इस संबंध में एक अन्य बात यह ही कि केवल ठेकेदारों की जेबें भरने के लिये और यह सिद्ध करने के लिये कि यात्रियों की सुख सुविधा के लिये निर्धारित धन का उपयोग किया गया है, अनावश्यक कार्य किये जाते है और धन का दुरुपयोग किया जाता है जैसाकि हटुंडी से खंडवा तक 390 मील लम्बी लाइन पर बहुत अच्छे पत्थर के शौच्यालय बनने हुये थे, परन्तु उन्हें केवल ठेकेदारों की जेब भरने के लिये गिरवाया गया और नये शौच्यालयों का निर्माण करवाया गया।

रेलवे अधिकारियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपने दफ्तरों में बैठे रहते है अथवा सैलूनों में यात्रा करते रहते है। वे अपना कर्त्तव्य परिश्रम से नहीं करते हैं। अत: रेलवे प्रशासन को रेलवे अधिकारियों की अपने दफ्तर में बैठने और सैलून में यात्रा करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये। अधिकारियों को चाहिये कि वे साधारण यात्रियों के साथ यात्रा करें और यात्रियों को कठिनाइयों को मौके पर ही दूर करें। इस रवैये को समाप्त किया जाना चाहिये।

पिछले कई वर्षों से हमारी गाड़ियों की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विदेशों में चलने वाली गाड़ियों की तुलना में हमारी गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है। अतः अब समय आ गया है कि हमारी गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाया जाना चाहिये। यह खेद की बात है कि हमारी गाड़ियों की रफ्तार 55 मील प्रति घंटे से अधिक नहीं बढ़ी है जब कि इंगलैण्ड में 1938 में 126 मील प्रति घण्टे की रफ्तार से गाड़ियां चला करती थी। आप अनुमान लगा सकते है कि अब उन गाड़ियों की क्या रफ्तार होगी। अतः हमें भी अपनी गाड़ियों की रफ्तार को दूसरे देशों की गाड़ियों की रफ्तार तक बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। $5\frac{1}{2}$ फुट की मजबूत पटरी पर हमारी गाड़ियों को अधिक रफ्तार से चलना चाहिये।

जहां तक रेलवे टाइम टेबल में परिवर्तन का प्रश्न है, जब भी रेलवे का टाइम टेबल बदल जाता है तो नये टाइम टेबल की एक प्रति हर संसद सदस्य के पास भेजी जाती है, जिस पर लिखा रहता है कि संसद् सदस्यों के रेलवे के टाइम टेबल में परिवर्तन के बारे में सुझाव आमन्त्रित हैं। संसद सदस्य सुझाव देते हैं, परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता। इस संबंध में मैं स्वयं पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर से कम से कम दस बार मिला हूं परन्तु इस का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। यदि सुझावों को स्वीकार भी कर लिया जाता है तो उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता। मैं अनुरोध करता हूं कि सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। यदि सदस्य अपने सुझावों के समर्थन मे ठोस बातें बताते है तो उन सुझावों को स्वीकार किया जाना चाहिये।

एक और अपूर्व घटना का मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। एक उच्च अधिकारी की शिकायत पर ऐसी गाड़ी में 'कण्डक्टरों' की व्यवस्था कि गई है, जिस में प्रथम श्रेणी का केवल एक डिब्बा है और जिस से सामन्यतः 5 या 6 प्रथम श्रेणी के यात्री यात्रा करते है। ऐसी गाड़ियों पर 'कण्डक्टरों' की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस से रेलवे के संचालन व्यय में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि इस एक गाड़ी पर कण्डक्टरों की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप दर्जनों ऐसी अन्य गाड़ियों पर भी कण्डक्टरों की व्यवस्था करनी होगी। यह ठीक है कि इस से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परन्तु हमें आर्थिक दृष्टि से भी हर मामले को देखना होता है। केवल किसी उच्च अधिकारी को खुश करने के लिये हमें कण्डक्टरों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि अधिक व्यक्तियों को रोजगार क्यों दिया जाये। परन्तु इस प्रकार धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के कारण रेलवे अधिकारियों में और तहसीलदार आदि राजस्व अधिकारियों में एक और प्रवृत्ति पैदा हो गई है और वह यह कि तहसीलदार आदि स्टेशन मास्टरों को लिखित आदेश भेज देते है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन फला वस्तुका लदान मना है। रेलवे अधिकारी इस से घबरा जाते हैं और वे उस वस्तुका बुकिंग नहीं करते। इस का परिणाम यह होता है कि रेलवे की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह ज़िम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होनी चाहिये कि किस वस्तुका लदान मना है और किस का नहीं। रेलवे स्वयं एक जिम्मेदार विभाग है। रेलवे अधिकारियों को केवल रेलवे प्रशासन के आदेशों का पालन करना चाहिये, न कि राजस्व अधिकारियों के आदेशों का।

रेलवे विभाग बहुत बड़ा विभाग है। अतः जो भी शिकायत की जाती है, उसका ठीक ब्यौरा रेल बोर्ड तक नहीं पहुंचता। इस का कारण यह है कि जब कभी रेलवे के जनरल मैनेजर आदि उच्च अधिकारी दूर दूर के स्टेशनों के दौरे पर जाते है, तो वहां के अधिकारियों को पूर्वसूचना मिल जाती है और वह स्टेशनों की सफेदी आदि करा कर तथा सफाई आदि का उचित प्रबन्ध करके वास्तविक स्थिति को छपा देते हैं। परन्तु ज्योंहि ये अधिकारी वापस आ जाते है, तो फिर वही पहले जैसी दयनीय स्थिति हो जाती है, न सफाई का प्रबन्ध और न ही किसी अन्य वस्तु की सुविधा। बेहिसाब किताब बड़ी संख्या में छाबड़ी वाले फिर स्टेशन पर चक्कर लगाने लगते है और उन की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में भी असुविधा होती है। अतः रेलवे अधिकारियों को भेष बदल कर स्टेशनों का निरीक्षण करना चाहिये तभी वहां की अवस्था की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

रेलवे के उच्चस्तरों पर भी भ्रष्टाचार है। अतः इसे खत्म करने के लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। जिस किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाये उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये तथा उस के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिये। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों में अनिवार्य तथा गैरअनिवार्य सेवाओं के वर्गीकरण को समाप्त किया जाना चाहिये। यह एक आश्चर्य की बात है कि रेलवे के बहुत से कर्मचारियों को गैरअनिवार्य श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई कर्मचारी रेलवे के लिये अनिवार्य नहीं है, तो उसे सेवा से निकाल देना चाहिये। आप गैरअनिवार्य व्यक्तियों को सेवा में क्यों रखते है। इस वर्गीकरण का कारण रेलवे की इंजिनियरी शाखा है, उनके अनुसार मेट, टाइमकिपर, ओवरसियर आदि ही रेलवे के लिये अनिवार्य है, तथा बिचारे वाणिज्यिक क्लर्क, माल क्लक, पारसल क्लर्क आदि, जो दिन रात काम करते हैं, और रात को दो से चार मील पैदल चल कर अपने घर पहुंचते है रेलवे के लिये अनिवार्य नहीं है। मैं समझता हूं कि रेलवे के लिये हर व्यक्ति जो उस की सेवा में है अनिवार्य है तथा यह अनिवार्य और गर अनिवार्य का वर्गीकरण समाप्त किया जाना चाहिये।

रेलवे बजट बहुत बड़ा है तथा यह भारत सरकार के सामान्य बजट के बराबर ही है। समस्त बजट को पढ़ना अथवा उस की आलोचना करना कठिन है। परन्तु मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि जब रेलवे से नई लाइने आदि बिछाने के लिये प्रार्थना की जाये, तो नई लाइने बिछाने के लिये सर्वेक्षण राजनीतिक दृष्टि से नहीं, अपितु व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिये। नई लाइने लोगों को खुश करने के लिये नहीं; बल्कि रेलवे के लाभ को दृष्टि में रख कर बिछाई जानी चाहिये।

Shri K. N. Tiwari (Bagaha) : Railway's performance during our war with Pakistan was very Commendable. For this all the people connected with Railway Ministry deserve to be congratulated. The railway administration and the railway employees also deserve our thanks for the fine work they did during the recent conflict with Pakistan. I also welcome the Government's decision not to increase the Passenger fares. This is wrong to say that it has got to do anything with the elections. I also want to stress this point that all the Railway Officers, big and small, should be transferred to other places after every 3 or 4 years. It is not a good suggestion that they should not be transferred.

I do not oppose the increase of salaries, but it is the duty of the railway administration to see that the employees discharge their duties sincerely and honestly. This matter should be made clear to everybody. There is a complaint of uncleanness. Stations are kept almost unclean there is no arrangement of water and latrines in the third class compartments. These things should be attended to properly. A direct link should be provided between Pahleja and Bagaha. We should look to the convenience of the farmers and not the profits in the matter.

Let me also point out that Dhanaha in Bihar is a place which produce a considerable quantity of sugar cane. There is a great necessity of sugar factory. But in order that sugar factory is established there it is essential that a twelve mile line should be constructed to connect that place. The Government should not wait for any agitation in this connection but take the required action. There should also be halt-Station at Bhitarwa. Arrangements for reservation of seats should be done at the main Howrah railway station. The number of retiring rooms at Muzaffarpur and Raxaul stations should be increased. The broad gauge line which is up to Samastipur should be extended up to Narkatiaganj.

Let me tell the House if a railway line is provided from Bagaha to the Gandak Project. It will be a very useful and important line on the border. I am of the opinion that if a railway line is taken up as a part of the Gandak Project, the cost will also be less. The freight rates for the transport of sugar, whether from North to South or elsewhere should be uniform throughout the country. It should be like Coal. We have uniform rates for carrying coal. It should be understood that such a step is very necessary in order to maintain effectively the sugar industry in the north. And the most important is the passenger amenities. This thing is very important, more attention should be paid by the authorities to this Ministers and list officers should pay surprize visits to these places and see the deplorable plight of these places.

अधिवक्ता अधिनियम की कार्यान्विति का पुनरीक्षण करने वाली समिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : COMMITTEE TO REVISE WORKING OF ADVOCATES ACT

सभापति महोदय : विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं।

विधिमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): मैंने आज ही राज्य सभा में बताया है कि सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम की कार्य प्रणाली के सभी पहलूओं के पुनरीक्षण के लिए एक छोटी समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

इस समिति के सभापति भारत के विधि मंत्री होंगे। इनके अतिरिक्त इस समिति में भारत के महान्यायवादी और संसद के 9 सदस्य होंगे जो कि वकीलों के प्रतिनिधि होंगे। 9 में से 3 सदस्य राज्य सभा से और 6 लोक सभा से लिये जायेंगे। इस समिति के निर्देश पद इस प्रकार होंगे :—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की कार्यप्रणाली का सभी पहलूओं से पुनरीक्षण करना;

(ख) इस बात पर विचार करना कि क्या इस अधिनियम में किसी संशोधन की आवश्यकता है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सिफारिशों करना, और

(ग) 31 मई, 1966 तक सरकार के विधि मंत्रालय को यह समिती अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : वकीलों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति इस समिति में लिया जाना चाहिये, इसे किसी भी प्रकार विशेषज्ञ समिति नहीं बना दी जानी चाहिये।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस समिति ने केवल व्यावसायिक मामलों को ही तय करना है। और समिति का प्रतिवेदन तो सदन के समक्ष आ ही जाना है। उस समय इस पर-चर्चा हो सकती है।

रेलवे आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (काचर) : यात्री भाड़े नहीं बढ़ाये गये हैं, इसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देती हूं। परन्तु माल यातायात पर तीन प्रतिशत जो अधिकर लगाया गया है उसे मैं उचित नहीं समझती। उससे उपभोक्ताओं को काफी बोझ सहन करना पड़ेगा। इससे गैर सरकारी सड़क परिवहन के दर भी 50 प्रतिशत बढ़ गये हैं। आसाम, मनीपुर, और त्रिपुरा में हमें धान और चावल को छोड़ कर सभी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। इस अधिकर के बढ़ जाने से हमें अब उपरोक्त राज्यों में वस्तुओं के मूल्य अधिक देने पड़ेंगे। वैसे भी उस क्षेत्र में चीज़ों की कीमते आगे ही ज्यादा ह। मंत्री महोदय ने लोहअयस्क और मैंगनीज़ को अधिकर से छूट दी है। मेरा निवेदन यह है कि चाय और पटसन को भी इस अधिकर से छूट देने पर विचार किया जाना चाहिये।

[श्रीमती ज्योत्सना चन्दा]

यह वस्तुयें भी निर्यात की चीजें हैं। मेरा यह भी विचार है कि यदि रेलवे के बारे में लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर अमल किया जाता तो विकास निधि में विनियोग के लिये फालतू धन बच जाता। परन्तु ऐसा किया नहीं गया। यदि चीजें भी तनिक छानबीन से खरीदी जातीं तो काफी बचत हो सकती थी। मेरा विचार यह है कि यदि सरकार अधिकर में वृद्धि करना ही चाहती थी तो उसे सभी आवश्यक वस्तुओं पर इस कर की छूट देनी चाहिये थी।

यात्री सुविधाओं के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसकी ओर प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये। यह देखने में आता है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। डिब्बों में पंखें काम नहीं करते और बिजली की रोशनी नहीं होती। स्थान रक्षित करने में भी काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरे विचार में तीन सौ मील से अधिक यात्रा करने वालों के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि रेलवे कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। उत्तरी सीमांत के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उनके लिये जो मकान बन रहे हैं उनमें रोशनदान, सफाई और दूसरी कई अपेक्षित सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। यह बड़ी आवश्यक बातें हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। यहां तक कि उनकी टट्टियां भी सम्मिलित हैं। मैं नहीं कह सकती कि उत्तर रेलवे की ही यह हालत है या सभी जगह ऐसा ही चल रहा है।

आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, और नेफा में संचार की बहुत अधिक कठिनाई महसूस हो रही है। सरकार को आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और 'नेफा' की शेष भारत के साथ संचार व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये। यदि उन क्षेत्रों में रेलवे संचार व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये। यदि उन क्षेत्रों में रेलवे संचार व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता तो पड़ौसी देश के आक्रमण के समय वे क्षेत्र अलग ही रह जायेंगे। बड़ो लाइन जो जोगीघोपा तक जाती है उस को यदि दिब्रुगढ़ तक नहीं तो कम से कम लुमडिंग तक अवश्य बढ़ा देनी चाहिये। प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये करीमगंज से धर्मनगर तक जाने वाली छोटी लाइन को तुरन्त अगरतला तक बढ़ा देना चाहिये। काटलीचेरा या सिलचर से मिजो जिले तक और सिलचर से जिरीबुन होती हुई मनीपुर तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिये।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी क्षेत्र की रेल पटरी के दोनों ओर जंगल को साफ किया जाना चाहिये और वहां पर आसाम के बेघर लोगों को बसाया जाना चाहिये ताकि वे नागा विद्रोहियों से इस पटरी की रक्षा कर सकें।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : रेलवे बजट में जो कुछ हमारे सामने आया है उससे यह पता चलता है कि भाड़ा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे जनता को काफी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सारी व्यवस्था पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा। रेलवे ने अभी अभी बहुत अधिक धन व्यय किया है। परन्तु इतना धन व्यय करने पर भी बहुत से मामलों में समय पर लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। यह भी खेदकी बात है कि मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं किये। उन्हें यह बताना चाहिये था कि खर्च करने में किस प्रकार बचत की गयी है। यह दुख की बात है कि इतना कुछ होते हुए भी रेलवे कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं किया गया। यद्यपि समाजवादी समाज का नारा लगाया जाता है।

कहा जाता है कि प्रबन्धकों के श्रमिकों के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं परन्तु मेरे विचार में यह अच्छे सम्बन्ध केवल चाय की मेज पर ही दिखाई देते हैं। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है रेलवे मंत्रालय ने विवादों को हल करने के लिये कुछ भी नहीं किया है। यह भी खेद की बात है कि 1951 के समझौते के अनुसार भी द्विपक्षीय आधार पर भी इन्हें हल नहीं किया जा सकता। विवादों को

सुलझाने के लिये इसके अन्तर्गत मध्यस्थ की व्यवस्था नहीं की गयी है। रेलवे प्रशासन ने इस दिशा में हिव्टले परिषद् बनाने का निश्चय किया है। मेरे विचार में इस परिषद् के नाम पर सरकार रेलवे कर्मचारियों के अधिकार छीन लेना चाहती है। दुख की बात यह है कि सरकार दूसरे देशों के ढंगों की नकल करके भी मामले सही हल नहीं निकाल सकती। मामले को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौवालीसवां प्रतिवेदन

श्री श्रीनारायणदास (दरभंगा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राज्यों की अनाज वसूली योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : PROCUREMENT LEVY SCHEMES OF STATES

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It was said that the Government should give an account of the success attained in fulfilling the schemes of procurement levy. Whatever has been stated by the Minister, is not satisfactory. The small cultivators have been very hardly hit by these schemes. But the big cultivators have sufficient marketable surplus. Government should try to take this Stock from them. They save even after paying off the procurement levy. So on the whole great injustice has been done to them.

सभापति महोदय : क्योंकि सभा में कोरम नहीं है, अतः सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार 2 मार्च, 1966, 11 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 2, 1966/Phalguna 11, 1887 (Saka).

भा० स० मु० ना०—वि 2—27 लोक सभा/66—17-6-67—600